सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग

पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका

(इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग हेतु)

2013

निर्वाचन सदन

अशोका रोड़, नई दिल्ली-110001

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	प्रस्तावना	1-6
अध्याय 2	मतदान दल का गठन एवं प्रशिक्षण	7-8
अध्याय 3	मतदान मशीन और मतदान सामग्री एकत्रित करना	9-12
अध्याय 4	फोटो निर्वाचक नामावली	13
अध्याय 5	इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन का रैण्डमाइजेशन	14-17
अध्याय 6	मतदान केन्द्र की स्थापना	18-21
अध्याय 7	मतदान केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था	22-23
अध्याय 8	मतदान अधिकारियों को कर्त्तव्यों का अभिहस्तांकन	24-27
अध्याय 9	मतदान केन्द्र में प्रवेश करने और बैठने के प्रबंध का विनियमन	28-34
अध्याय 10	मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान मशीन को तैयार करना	35-37
अध्याय 11	नियंत्रण यूनिट की तैयारी	38-39
अध्याय 12	दिखावटी मतदान संचालित करना	40-42
अध्याय 13	नियंत्रण यूनिट में ग्रीनपेपर सील का लगाया जाना	43-44
अध्याय 14	नियंत्रण यूनिट को बन्द और सील करना	45-61
अध्याय 15	मतदान का प्रारम्भ	62-63
अध्याय 16	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए रक्षोपाय	61
अध्याय 17	मतदान केन्द्र में और इसके इर्द-गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन	65-66
अध्याय 18	चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान का सत्यापन एवं प्रक्रिया	67-70
अध्याय 19	मतदाता को अपना मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना	71-73
अध्याय 20	मत डालना और मतदान प्रक्रिया	74-76
अध्याय 21	मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना	77
अध्याय 22	अन्धे और विकलांग मतदाताओं द्वारा मतदान	78
अध्याय 23	मतदाता का मत नहीं देने का निश्चय	79
अध्याय 24	लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के समय मतदान	80
अध्याय 25	डाक द्वारा मतपत्र इश्यु करना	81-84
अध्याय 26	प्रॉक्सी द्वारा मतदान	85
अध्याय 27	निविदत्त मत	86-87
अध्याय 28	बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना	88-90
अध्याय 29	मतदान की समाप्ति	91-92
अध्याय 30	रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा	93

		पृष्ठ संख्या
अध्याय-31	मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना	94
अध्याय-32	निर्वाचन से संबंधित कागज-पत्रों का मुहरबन्द किया जाना	95-97
अध्याय-33	डायरी तैयार करना और संग्रह केन्द्रों पर मतदान मशीन तथा निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों को संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना।	98-99
अध्याय-34	पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन	100-105
उपाबन्ध-1	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से उद्धरण	106-116
उपाबंध-2	निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण	117-119
अधिसूचना	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	120-131
प्ररूप 17 क	मतदाता रजिस्टर	132
प्ररूप 17 ख	निविदत्त मतों की सूची	133
प्ररूप 17 ग	रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा	134-136
उपाबंध-3	पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये गये कार्यों की रूपरेखा	137-142
उपाबंध-4	पीठासीन अधिकारियों के लिये चैक लिस्ट	143-144
उपाबंध-5	किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहां इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन को उपयोग में लाया जाना है।	145-149
उपाबंध-6	इलेक्ट्रोनिक्स मतदान मशीन के लिये मॉडल मतदान केन्द्र	150
उपाबंध-6क	इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के लिए आदर्श मतदान केन्द्र समानान्तर निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र का लेआऊट।	151
उपाबंध-7	पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	152-155
उपाबंध-8	आपत्ति शुल्क के लिये रसीद	156
उपाबंध-9	थाना अधिकारी को शिकायती पत्र	157
उपाबंध-10	निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप	158
उपाबंध-11	मतदाता द्वारा आयु के संबंध में घोषणा	159
उपाबंध-12	अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा	160
उपाबंध-13	रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा	161-163
उपाबंध-14	पीठासीन अधिकारी की डायरी	164-166
उपाबंध-15	पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षकों/रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने के लिये प्रपत्र।	167
उपाबंध-16	दिखावटी मतदान प्रमाण-पत्र	168
उपाबंध-17	फोटो मतपत्रों का नमूना	169-175

अध्याय-1

प्रस्तावना

1. परिचय

1.1 इस पुस्तिका का उद्देश्य पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपको निर्देश देना है ताकि आप प्रभावशाली ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकें। आपके प्रभाराधीन मतदान केन्द्र की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु आपको सम्पूर्ण विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। आपके मतदान केन्द्र पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका प्रमुख कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वयं को विधि एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन के संचालन के संबंध में आयोग द्वारा जारी किये गये सुसंगत अनुदेशों तथा निर्देशों की जानकारी, उपाबंध I और II से प्राप्त कर लें तथा किसी भी युक्तिसंगत शिकायत के लिए अवसर न दें।

1.2 आपकी नियुक्ति जन प्रतिनिधि एक्ट, 1951 के सेक्शन 26 के अंतर्गत की गई है। संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन अब तक मतपत्रों एवं मत पेटियों की परम्परागत पद्दति के अधीन आयोजित होते रहे हैं। निर्वाचन आयोग वैज्ञानिक और तकनीकी अभिवर्धन का लाभ लेकर निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए प्रयासरत है। आयोग के सुझाव पर केन्द्र सरकार के दो उपक्रमों अर्थात् इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर ने इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का निर्माण किया। इस प्रकार निर्मित इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (जिसे इसमें आगे मतदान मशीन कहा गया है) निर्वाचन के संचालन के लिए बहुविध और विश्वसनीय पद्धति है। मतदान मशीन वर्तमान पद्धति, जिसके अधीन मतपत्र और मत पेटियां प्रयुक्त की जाती हैं, को ध्यान में रखकर परिकल्पित की गयी है। वर्तमान में वोटिंग मशीन का उपयोग प्रत्येक मतदान केन्द्र पर किया जाता है।

1.3 धारा 28क के तहत आप उस मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी हैं जिसमें मतदान मशीनें उपयोग में ली जानी हैं। इसलिए, आपको मतदान मशीनों द्वारा मतदान के संचालन के लिए विहित नियमों और प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति से पूर्णतः अवगत होना चहिए। आपको स्वयं को न केवल मतदान केन्द्र पर मतदान के संचालन में लिये जाने वाले प्रत्येक कदम बल्कि मतदान मशीन के प्रचालन से भी पूर्णतः परिचित होना चाहिए। एक छोटी-सी भूल या गलती या विधि या नियमों का दोषपूर्ण लागू किया जाना या मतदान मशीन की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया में बाधक हो सकता है।

2. मतदान मशीनों का संक्षिप्त परिचय :

2.1 मतदान मशीनें भारत सरकार के अन्तर्गत दो उपक्रमों इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया हैदराबाद एवं बी. ई.एल. बैंगलौर द्वारा बनाई गई है। इस इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के दो माडल मात्र देश के चुनाव में उपयोग हो रहे हैं, एक वर्तमान मॉडल तथा दूसरा सुधार कियागया मॉडल/मशीन के पेनल पर डिस्प्ले से संबंधित दोनों मशीनों में एक ही अन्तर है। जिन्हें हैण्डबुक के आगामी अध्यायों में स्पष्ट किया गया है।

2.2 मतदान मशीन 6 वोल्ट की बैट्री द्वारा संचालित होती है तथा इसका उपयोग कहीं भी तथा किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। इसका संचालन सुगम है तथा यह गलती रहित होती है। मतदान मशीन की दोनों यूनिट दो अलग-अलग वहन बक्सों में दी जायेगी, जो आसानी से परिवहनीय है। मशीन में एक बार रिकॉर्ड की गई जानकारी उसकी स्मृति में रहेगी चाहे बैट्री निकाल दी जाये।

2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दो यूनिट से बनी होती है, अर्थात् कंट्रोल यूनिट तथा बेलट यूनिट। ये दोनों यूनिट केबल द्वारा एक से जुड़ी रहती है जिसका एक सिरा स्थायी रूप से बेलट यूनिट से जुड़ा रहता है।

2.4 एक मतदान यूनिट सोलह अभ्यर्थियों तक की सेवा करती है। मतदान यूनिट में निर्वाचन की विशिष्टियां, चुनाव प्रत्याशियों के क्रम संख्यांक, नाम और उन्हें आवंटित क्रमशः प्रतीकों से युक्त मतपत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने एक नीला बटन है इस नीले बटन को दबाकर मतदाता इच्छित अभ्यर्थी के लिए अपना मत अंकित कर सकता है। इस बटन के साथ, प्रत्येक के लिए लम्प है। जब मत रिकॉर्ड हो जाता है तब लेंप लाल हो जाएगा। साथ ही साथ, बीप की आवाज भी सुनाई देगी।

कन्ट्रोल यूनिट

बैलेट यूनिट

2.5 एक कंट्रोल यूनिट अधिकतम चौसठ अभ्यर्थियों तक को देय मत रिकॉर्ड कर सकती है। इस कार्य हेतु आपस में जुड़ी चार बेलट यूनिट्स एक कंट्रोल यूनिट से जुड़ी रहती है। नियंत्रण यूनिट के सबसे ऊपरी भाग पर विभिन्न जानकारियां और मशीन में रिकॉर्ड किये गये आंकड़े प्रदर्शित करने की व्यवस्था है जैसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गये कुल मतों की संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत इत्यादि। इस भाग को सरल भाषा में नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन भाग कहा जाताहै। प्रदर्शन भाग के नीचे, बैटरी लगाने के लिए कक्ष है जिससे मशीन चलती है। इस कंपार्टमेंट के दायीं ओर एक और कंपार्टमेंट है जिसमें विशिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के लिए मशीन सैट करने के लिए एक बटन है। इस बटन को ''कैंड सैट'' बटन कहा जाता है और इन कक्षों से मिलकर बने नियंत्रण यूनिट के सम्पूर्ण भाग को ''कैंड सैट सेक्शन'' कहा जाता है। केंड सेक्शन के नीचे कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन है। इस भाग में (i) मतदान बन्द करने का ''क्लोज'' बटन (ii) संसदीय और विधान सभा निर्वाचनों के पृथकतः परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए दो ''रिजल्ट'' बटन, और (iii) मशीन में रिकॉर्ड किये गये आंकड़ों की जब आवश्यकता न हों तब उन्हें मिटाने के लिए ''क्लीयर'' बटन होते हैं। कंट्रोल यूनिट के निचल हिस्से में दो बटन हैं। एक पर ''बेलट'' तथा दूसरे पर ''टोटल'' अंकित है। बेलट बटन दबाने पर वोट रिकॉर्ड करने केलिए बेलट यूनिट तैयार हो जाती है तथा टोटल बटन दबाने पर इस स्थिति तक वोट रिकॉर्ड हो जाते हैं। (अभ्यर्थीवार ब्रेकअप के बिना) जहाँ तक संभव हो। यह सेक्शन बेलट सेक्शन कहलाता है। अपग्रेडेड मॉडल में, रिजल्ट बटन को ''प्रिन्ट'' बटन से रीप्लेस किया गया है जिसे दबाने पर विशद परिणाम का प्रिन्ट आउट मिल जाता है। इस कार्य हेतु एक विशेष उपकरण कंट्रोल यूनिट के साथ लगाना होता है।

3. मतदान के संचालन के सम्बन्ध में वैधानिक उपबन्ध :

वैधानिक उपबन्ध, जिसका सम्बन्ध पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों से है, उपाबंध 1 और 2 में उद्धृत किये गये हैं।

4. कर्तव्यों की व्यापक रूपरेखाएं :

इस पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, फिर भी आपके मार्गदर्शन के लिए आपके कर्त्तव्यों के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण पहलू नीचे दिये गये हैं :-

(1) आपको मतदान मशीनों द्वारा मतदान के संचालन के लिए विहित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिइत से स्वयं को भलीभांति अवगत करना चाहिए। (उपर्युक्त 1.1 अनुच्छेद से संदर्भित)।

(2) आपको मतदान मशीन के संचालन और उसमें उपलब्ध विभिन्न बटन और स्विचों के कृत्यों से स्वयं को पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। (यह ' वोटिंग मशीन का संक्षिप्त परिचय' के पेरा 2 में वर्णित है)।

(3) आपको आयोग के समस्त अनुदेशों को अपने पास में रखना होगा।

(4) आपको अपने मतदान केन्द्र की स्थिति और मतदान केन्द्र से आने और जाने की स्टचार्ट का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ताकि मतदान केन्द्र पर आप समय पर बिना विलम्ब के मतदान केन्द्र का रास्ता ढूंढ सकें।

(5) आपको, अनुपस्थित हुए बिना, समस्त पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए।

(6) निर्वाचन सामग्री संग्रहित करते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त वस्तुएं आपको सौंप दी गयी हैं। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु (i) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट), (ii) निविदत्त मतपत्र, (iii) मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17क), (iv) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (v) पीठासीन अधिकारी को डायरी का प्ररूप 17ग और (vi) नामावली की अतिरिक्त प्रतियां, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, सांविधिक प्ररूप, सीलिंग वैक्स और अमिट स्याही है।

(7) मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर, आपको समुचित मतदान केन्द्र की स्थापना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं विशेषतः मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने, मतदाताओं की पंक्ति का विनियमन करना, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त मतदान कार्यवाहियों का संरक्षण इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। डिस्प्ले सेंटर पर आने के बाद, यह सुनिश्चित कर लें कि आपके मतदान केन्द्र पर सी.जी.एफ. या पुलिस व्यवस्था है। यह भी कि माइक्रो आब्जर्वर तथा वीडियो कैमरा मतदान केन्द्र पर तैनात हैं।

(8) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को सन्तुष्ट करने के लिए मतदान मशीन का प्रदर्शन करना होगा कि उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। उनको यह भी प्रदर्शित करना होगा कि मशीन एकदम चालू स्थिति में है। इन प्रयोजनों के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए अचानक कुछ मत रिकॉर्ड करके एक दिखावटी मतदान आयोजित किया जायेगा और परिणाम की गणना की जायेगी।

(9) आपको यह स्पष्ट होना चाहिये कि आयोग के निर्देशानुसार यदि दिखावटी मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं की जाती तो उस केन्द्र पर मतदान नहीं होगा।

(10) दिखावटी मतदान आयोजित करने के पश्चात् ऐसे दिखावटी मतदान में रिकॉर्ड किये गये मत मतदान मशीन से हटा दिये जायेंगे ताकि दिखावटी मतदान से सम्बन्धित कोई भी आंकड़े मशीन की स्मृति में नहीं रहे। मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को तब, उसमें उपलब्ध स्थान पर, ग्रीन पेपर सील लगाकर मुहरबंद और सुरक्षित किया जाये। इस सीलिंग की प्रक्रिया अध्याय 13 और 14 में वर्णित है।

(11) मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारम्भ किया जाना चाहिए। मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्ध पढ़ने चाहिये तथा उनके ध्यान में लाये जाने चाहिए।

(12) मतदान प्रारम्भ होने पर, आपको विहित प्ररूप में, मतदान मशीन के प्रदर्शन, मतदाता निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति औ मतदाताओं के रजिस्टर के बारे में उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्त्ताओं के समक्ष एक घोषणा करनी होगी और इस पर उनसे हस्ताक्षर करवाने होंगे।

(13) आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं को वोट देने के लिये अपने फोटो परिचय-पत्र दिखाना आवश्यक है। यदि मतदाता को फोटो परिचय-पत्र नहीं मिला है, या लाना भूल गया है तो उसकी पहचान मतदाता सूची में लगे फोटो से की जाये। यदि ऐसा सम्भव न हो सके तो आयोग द्वारा निर्देशित अन्य वैकल्पिक मापदण्डों द्वारा की जा सकती है। यदि मतदाता किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र लाता है और उसका नाम यदि आपके मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में है तो उसे वोट देने का अवसर दिया जाये। जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है।

(14) मतदाता की पहचान प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उचित रूप से निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि, मतदाता फोटो पहचान-पत्र, निर्वाचक नामावली में मतदाता का फोटो (यदि मतदान केन्द्र एक है जहाँ फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियाँ उपलब्ध कराई गई हैं या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य दस्तावेज हों) निर्वाचक की पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग समय-समय पर अन्य दस्तावेज पहचान हेतु निर्देश जारी करता है। सत्यापित की जायेगी किसी मतदाता द्वारा लायी गयी अशासकीय पहचान पर्ची नहीं मानी जाएगी।

(15) मतदाता के फोटो परिचय-पत्र संख्यांक के अंतिम चार अंकों को मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17-क) में नोट किया जाना चाहिए।

(16) किसी मतदाता की पहचान करने के पश्चात् निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति में मतदाता में सम्बन्धित प्रविष्टि को रेखांकित करना चाहिए। महिला निर्वाचक के मामले टिक मार्क (√) बायीं ओर भी प्रविष्टि अंकित की जाएगी।

(17) किसी मतदाता की, निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि के सम्बन्ध में, पहचान होने के पश्चात् दूसरा मतदान अधिकारी को उसके बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही चिन्हित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता की तर्जनी पर लगाया गया अमिट स्याही का चिह्न पूरी तरह से सूख गया है और सुस्पष्ट अमिट स्याही का चिह्न बन गया है, उसकी बांयी तर्जनी की जांच मतदाता के मतदान केन्द्र छोड़ने के पूर्व दोबारा करनी चाहिए। बांये हाथ की तर्जनी पर चिन्ह की कार्यवाही अध्याय 8 में वर्णित है।

(18) मतदाता की क्रम संख्या (नाम नहीं) जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में, मतदाता रजिस्टर के प्ररूप 17-क में नोट करें।

(19) मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, उसे मत रिकॉर्ड करने को अनुज्ञात करने के पूर्व, मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17-क) में अभिप्राप्त करवा लेनी चाहिए। यदि कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देने से इंकार करता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 'वोट देने से मना किया', इस वाक्य को रिमार्क वाले खण्ड (प्ररूप-17क) में लिखें तथा आप उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें। यदि मतदाता रजिस्टर में लिख दिया गया है और उसने हस्ताक्षर कर दिये हैं या अंगूठे का निशान भी लगा दिया है और फिर भी मत देना नहीं चाहता तो उसके नाम के आगे 'वोट देने से मना किया' लिखें व मतदाता से उस स्थान पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवायें। ऐसी परिस्थिति में सूची के क्रम में बदलाव आवश्यक नहीं है। यदि कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने के बाद भी कोई मतदाता मतदान करने से मना करता है तो मतदान अधिकारी दूसरे/अगले मतदाता को मतदान के लिये कक्ष में बुलायें, इसके अतिरिक्त मतदान अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच बन्द कर दें और अगले मतदाता के आने पर पुनः चालू कर लें और बैलेट बटन दबाकर अगले मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में मतदान के लिये बुलायें।

(20) किसी परिस्थिति में अन्तिम मतदाता कन्ट्रोल यूनिट का ''बैलेट बटन'' चालू रहने की स्थिति में मतदान करने से मना करे तब पीठासीन/तृतीय अधिकारी जो भी प्रकोष्ठ की कंट्रोल यूनिट के प्रभारी हों, मतदान अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट के ''पावर'' बटन को बन्द की स्थिति में करके मतदान यूनिट तथा कन्ट्रोल यूनिट के सम्पर्क को विच्छेद कर देंगे। कंट्रोल यूनिट से बेलट यूनिट को अलग करने के बाद विच्छेद के बाद पुनः कन्ट्रोल यूनिट का पावर बटन चालू करें। अब बिजी लैम्प बुझ जायेगा और मतदान समाप्त करने हेतु ''क्लोज बटन'' चालू हो जायेगा।

(21) मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के बाद उसके बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान लगायें तथा उसे मतदाता पर्ची (निर्धारित प्रपत्र में) दी जाये जिस पर मतदाता रजिस्टर में अंकित क्रमांक दर्शित हो।

(22) मतदाता को, मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाता पर्चियों के आधार पर कड़ाई से क्रमानुसार मतदान मशीन में उनके मत रिकॉर्ड करने के लिए अनुमति दी जायेगी।

(23) यदि आप यह समझते हैं कि कोई व्यक्ति मतदाता की न्यूनतम आयु अर्थात् 18 वर्ष से काफी कम है किन्तु आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसका नाम सम्मिलित होने के तथ्य से सन्तुष्ट हैं तो आपको उससे उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा उपाबंध-10 के घोषणा प्ररूप में ले लेना चाहिए।

(24) जब कभी सुसंगत घटनाएं घटें, आपको उसी समय उन्हें पीठासीन अधिकारी की डायरी में अभिलिखित करना आपका महत्वपूर्ण दायित्व होगा।

(25) यदि आपको शंका है कि स्क्रीन्ड मतदान प्रकोष्ठ की बेलट यूनिट ठीक से कार्य नहीं कर रही या किसी मतदाता ने जो मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश कर चुका है, उसके साथ छेड़छाड़ की है या किसी वस्तु को उसके अन्दर डाला है या सैलोटेप या माचिस या च्युंगम को नीले बटन पर चिपकाया है या मतदाता अनावश्यक रूप से अधिक समय तक उसमें रहा है, आपको नियम 49 के तहत् यह अधिकार होगा कि आप स्वयं मतदान कक्ष में जाकर कार्यवाही करें एवं कदम उठाएं कि यह सुनिश्चित हो कि बेलट यूनिट के साथ छेड़छाड़ न की जाये व मतदान सुचारू रूप से तथा नियमानुसार चलता रहे। ध्यान रखें कि कक्ष में अकेले न जायें साथ में एक या दो मतदान अभिकर्ता ले जायें तथा माइक्रो ऑब्जर्वर ले जाए।

(26) यदि मतदान केन्द्र पर कोई अप्रत्याशित घटना घटती है और उसकी सूचना आपके द्वारा न दी जाये और किसी अन्य स्रोत से आयोग की जानकारी में आये तो आयोग इसे गंभीरता से लेगा आपके विरुद्ध गंभीर कार्यवाही कर सकता है।

(27) आपको मतदान के शान्तिपूर्वक और निर्बाध संचालन के लिए मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों का विनियमन करना होगा। आपको काफी व्यवहार कुशल किन्तु साथ ही स्थिर विचार का और तटस्थ होना चाहिए।

(28) आप समय-समय पर डाले गये मतों की कुल संख्या ''टोटल बटन'' दबाकर जांचते रहें।

(29) यदि किसी कारण से मतदान देर से आरम्भ हुआ हो तो भी आपको निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बन्द करना चाहिए। फिर भी मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा चाहे मतदान कुछ और समय तक चलता रहे। यहभी सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान समाप्ति के समय के पश्चात् कोई व्यक्ति पंक्ति में नहीं जाने पाये। उस प्रयोजन के लिए, आपको पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को पर्चियां वितरित करनी चाहिए, ऐसा वितरण पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता से प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(30) मतदान की समाप्ति पर, आपसे प्ररूप 17ग के भाग I में ''अभिलिखित मतों का लेखा'' तैयार करना अपेक्षित है। ऐसे अभिलिखित मतों के लेखे की अधिप्रमाणित प्रतियां प्रत्येक प्रत्याशी के अभिकर्ता को देने की अपेक्षा की जाती है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप आयोग द्वारा विहित प्ररूप में अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को ऐसी प्रतियां देने सम्बन्धी घोषणा करें।

(31) मतदान की समाप्ति पर, मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति से मुहरबन्द और सुरक्षित रखने चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी, यदि वे ऐसा करना चाहें, आपकी मुहर के साथ-साथ मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों पर उनकी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात करना है। आपको मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों को मुहरबन्द तथा सुरक्षित रखने के बारे में सुसंगत अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

(32) यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सम्यक् रूप से मुहरबन्द और सुरक्षित मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि, को अधिकृत अधिकारी को, सौंप कर रसीद ले लें।

5. विभिन्न स्तरों पर आपके कर्त्तव्य आपकी सुविधा के लिए पांच विभिन्न शीर्षकों के अधीन उपाबंध 3 में संक्षेप में दिये गये हैं।

6. चैक मेमो :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं की आपने पूर्ति कर ली है, निर्वाचन आयोग ने आपके लिए एक चैक मेमो बनाया है जो उपाबंध 4 में दिया गया है। उक्त चैक मेमो आपके द्वारा उचित रूप से भरा जाना चाहिए।

अध्याय-2

मतदान दल का गठन तथा प्रशिक्षण

1. मतदान दल :

अब मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संचालित होता है, लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन के समय आपके दल में आपके अलावा दो या तीन मतदान अधिकारी होंगे। जहां किसी मतदान केन्द्र को समनुदिष्ट निर्वाचकों की संख्या बहुत अधिक है, अर्थात् 1500 या उससे अधिक है, तो निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के विशिष्ट निर्देश हैं कि आपकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपका जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपके दल के किसी मतदान अधिकारी को, मतदान केन्द्र पर अपरिहार्य कारणों से आपके अनुपस्थित रहने पर, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। लोक सभा, विधान सभा चुनाव साथ-साथ होने पर आपके दल में आप के अतिरिक्त पांच मतदान अधिकारी मतदान सम्पन्न कराने हेतु होंगे।

2. मतदान प्रशिक्षण :

2.1 जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध करेंगे। आप ऐसे सभी प्रशिक्षण में उपस्थित रहें ताकि आपको वोटिंग मशीन तथा मतदान प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके तथा चुनाव संबंधी कानूनी जानकारी भी मिल सके। आप यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रशिक्षण में आपको निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका (पीठासीन अधिकारियों के लिये) की प्रति भी प्राप्त हो। आपको एक-एक परिचय-पत्र भी दिया जायेगा जिसे आप अपने शरीर पर प्रदर्शित करेंगे।

2.2 आपको अपने साथ प्रशिक्षण में उस अधीनस्थ मतदान अधिकारी को भी साथ रखना है जो आपकी अनुपस्थिति में रिहर्सल में आपके कार्य का निर्वाह कर सके। यह अत्यन्त आवश्यक है कि आप तथा आपके साथी मतदान अधिकारी स्वयं वोटिंग मशीन को संचालित करके देखें, केवल अवलोकन न करें। आप दोनों विभिन्न सीलों (हरी सील व स्ट्रिप सील) तथा टैग (स्पैशल टैग व एड्रेस टैग) को भली-भांति समझ लें। यह सुनिश्चित करे कि आप तथा आपका साथ दे रहा मतदान अधिकारी प्रशिक्षण कक्षाओं में मशीन को अनावश्यक रूप से न छेड़े।

2.3 आप प्ररुप 17-ग पर डाले गये मतों का लेखा तथा पेपर सील के ब्यौरा का नमूना तैयार करें।

2.4 प्रशिक्षण कक्षाओं तथा रिहर्सल को गंभीरता से लें पूर्व में यद्यपि आप पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और मशीन का उपयोग भी कर चुके हों तब भी इन प्रशिक्षणों कक्षाओं रिहर्सल में आप कुछ नये तथ्यों से परिचित होने के लिये उपस्थित रहें ताकि मतदान संबंधी कानून तथा प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। निर्वाचन नियम तथा प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित होती है। अतः यह आवश्यक है कि आप इन प्रशिक्षणों तथा रिहर्सल में आकर नवीनतम नियम, कानून व निर्देशों की जानकारी लें। यदि नियमों तथा प्रक्रिया में परिवर्तन न हो तो भी यह आवश्यक है कि आप अपनी स्मृति को इससे ताजा करें। प्रशिक्षण की समाप्ति पर आप वोटिंग मशीन का संचालन, हरी सील लगाना, स्पेशल टैग लगाना, स्ट्रिप सील लगाना तथा सीलिंग प्रक्रिया को पूर्णतः समझ जायेंगे।

3. डाक मतपत्र के लिए आवेदन :

3.1 आप और आपके मतदान अधिकारी उसी निर्वाचन क्षेत्र के, जहां आपको ड्यूटी पर लगाया गया है या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी आपके पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का आदेश दो प्रतियों में जारी करेंगे और इस आदेश के साथ, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपको पर्याप्त संख्या में प्ररूप 12 और 12-क भेजेंगे ताकि आप और मतदान अधिकारी डाक मतपत्रों और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकें। यदि आप में से कोई भी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप 12-क में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप में से कोई निर्वाचन ड्यूटी पर लगाये गये निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है तो आपको प्ररूप 12 भरना होगा और डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा। दोनों दशाओं में आपको नियुक्ति के आदेश की दूसरी प्रति के साथ आवेदन प्ररूप तुरन्त भेजना है अन्यथा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र, डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए और आपका मत दर्ज करने के लिए डाक मतपत्र के मामले में, गणना से पूर्व उसे समय पर रिटर्निंग ऑफिसर को लौटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रशिक्षण कक्षाओं में डाक मतदान की प्रक्रिया समझाई जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि एक बार यदि आपको एक बार डाक मतपत्र जारी किया गया है तो आप डाक मतपत्र से ही वोट करेंगे भले ही आप किसी भी कारण से चुनाव ड्यूटी पर तैनात न हों।

3.2 रिहर्सल/प्रशिक्षण कक्षाओं में जिले के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक की निर्वाचक नामावली की एक प्रति पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं के केन्द्र (केन्द्रों) पर निरीक्षण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि आप निर्वाचक नामावली संख्यांक की विशिष्टियां नोट कर सकें जो आपको डाक मतपत्र, या यथास्थिति, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आपके आवेदनों में देनी है। प्ररूप 12 और 12-क की अतिरिक्त प्रतियां उक्त केन्द्र (केन्द्रों) पर भी उपलब्ध होंगी।

3.3 निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 24 के उपनियम 2 के अनुसार निर्वाचक द्वारा डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए प्ररूप-13क में घोषणा पर किसी मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी जो इस इस कार्य के लिए विनिर्दिष्ट हो के समक्ष हस्ताक्षर करेगा तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करायेगा। नियमों के अन्तर्गत आपके साथ कार्य कर रहे मतदान अधिकारी की घोषणाओं/ज्ञापनों कोआप अभिप्रमाणित कर सकते हैं।

3.4 यदि आपकी नियुक्ति चुनाव कार्य में हुई है तो ड्यूटी के स्थान सम्बन्धी सूचना का इन्तजार किये बिना तुरंत ही आपको डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।

अध्याय-3

मतदान मशीन और मतदान सामग्री एकत्रित करना

1. मतदान सामग्री :

मतदान से एक दिन पूर्व या मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने के दिन आपको सम्पूर्ण मतदान सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी सूची उपाबंध-5 में दी गयी है। मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने समस्त मद प्राप्त कर लिये हैं।

2. मतदान मशीन की जांच :

निम्नलिखित की विशेष रूप से, जांच कर लें :-

(1) कि आपको दी गयी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटें) वही है जो आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु बनी हैं। इसकी, उक्त यूनिटों से संलग्न एड्रेस टैग के सन्दर्भ में, जांच की जानी चाहिए जैसे कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक ऐसे एड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। बैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट के एड्रैस टैग में निम्नलिखित जानकारी होगी।

एड्रेस टेग

लोक सभा/विधान सभा .....

निर्वाचन क्षेत्र ..... के लिये

बैलट यूनिट/कंट्रोल यूनिट संख्यांक .....

मतदान केन्द्र का नं. व नाम .....

.....

मतदान की तारीख .....

रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(2) कि नियंत्रण यूनिट का ''केंडिडेट सेट सेक्शन'' सम्यक् रूप से मुहरबंद किया गया है और उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई पिंक पेपरसील के सुरक्षित होने की जांच करे।

(3) कि नियंत्रण यूनिट के ''केंडिडेड सेट सेक्शन'' में स्थापित बैटरी पूरी तरह से परिचालयनीय है। इसकी, पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को 'आन' स्थिति में डालकर, जांच की जायेगी। उक्त जांच के पश्चात् पावर स्विच को 'ऑफ' स्थिति में लाना होगा।

(4) कि आपको अपेक्षित संख्या में 'मतदान यूनिटें' दी गयी है और मतपत्र, उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अन्दर सम्यक् रूप से लगा दिये गये हैं। आपको दी जाने वाली मतदान यूनिटों की संख्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 और 16 के बीच की है तो केवल एक मतदान यूनिट दी जायेगी और मतदान यूनिट के दायीं ओर सबसे ऊपर विन्डो से दिखने वाला स्लाइड स्विच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा

'1' स्थिति में सैट किया जायेगा। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 17 और 32 के बीच है तो आपको दो मतदान यूनिटें दी जायेंगी। पहली मतदान यूनिट जिसमें उपर्युक्त उल्लिखित स्लाइड स्विच '1' स्थिति में सैट किया जायेगा, मतपत्र में क्र. सं. 1 से 16 पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के नाम होंगे। दूसरी मतदान यूनिट 17 से आगे (और 32 तक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों से युक्त मतपत्र की दूसरी शीट प्रदर्शित करेगी और उस यूनिट में स्लाइड स्विच '2' स्थिति में सैट किया जायेगा। इसी तरह, तीन मतदान मशीनें दी जायेंगी यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 48 के बीच हो और वहां ऐसी चार यूनिटें होंगी यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक और 64 तक हो। तीसरी मतदान यूनिट में मतपत्र में क्र.सं. 33 से आगे (48 तक) अभ्यर्थियों के नाम होंगे और इसका स्लाइड स्विच '3' स्थिति में सैट किया जायेगा। चौथी मतदान यूनिट, उसमें लगे मतपत्र पर क्रम सं. 49 से आगे के अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित करेगी और इसका स्लाइड स्विच स्थिति '4' दर्शित करेगा। सुनिश्चित करें कि बेलट यूनिट पर 'स्लाइड' स्विच (चें) पारदर्शी सेलो टेप से सुरक्षित कर दी गई हैं। स्लाइड स्विच पर 1, 2, 3 तथा 4 अंकित है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, स्विच को 1, 2, 3 तथा 4 की स्थिति में रखना चाहिए। स्विच की स्थिति को बेलट यूनिट की दांई ओर ऊपर से देखा जा सकता है। अपग्रेड किए गए मॉडल में स्लाइड स्विच की स्थिति को नीचे दर्शाए अनुसार देखा जा सकता है।

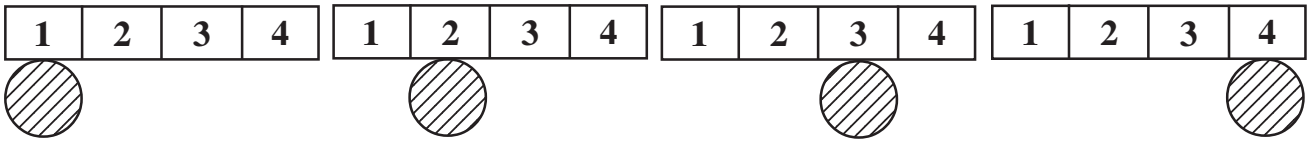

स्थिति 1 स्थिति 2 स्थिति 3 स्थिति 4

स्लाइड स्विच फिक्स करने में यदि आप कोई विसंगति देखें तो तत्काल उसे सेक्टर मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में लाएं। परन्तु किसी भी प्रकरण में आप या आपका मतदान अधिकारी स्लाइड स्विच के साथ छेड़छाड़ नहीं करें।

(5) कि प्रत्येक मतदान यूनिट पर के मतपत्र और स्लाइड स्विच सही तरह से फिक्स/सैट किये गये हैं जैसाकि पूर्ववर्ती मद में वर्णन किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान मशीनों पर लगाये गये मतपत्र उचित तौर से पंक्तिबद्ध कर लिये गये हैं और कि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक उसके तत्स्थानी लैम्प और बटन के लाइन में है और मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल विभाजित करने वाली गहरी रेखाएं, मतदान यूनिट पर के तत्स्थानी सन्धियों की लाइन में है।

(6) कि प्रत्याशियों के बटन, जो मतदान यूनिटों पर दृश्यमान हैं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर हैं, और शेष बटन, यदि कोई हों, ढक दिये गये हैं।

(7) कि प्रत्येक मतदान यूनिट सम्यक् रूप से मुहरबंद कर दी गयी है और दो स्थानों अर्थात् दायीं ओर ऊपर और दायी ओर केनीचे भाग रिटर्निंग ऑफिसर की मुहर से सुरक्षित कर दिये गये हैं और एड्रेस टैग उसके साथ पक्की तरह से लगा दिये गये हैं। पिंक पेपर सील भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान मशीन में नीचे की ओर लगी है, इसके सुरक्षित होने की जांच करें।

3. मतदान सामग्री की जांच करना :

यह भी जांच कर लें :-

(1) कि आपको दी गयी दो शीशीयों में, प्रत्येक में, पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे हुए नहीं हैं। क्योंकि बांये हाथ की की तर्जनी पर नाखून के टॉप से ऊंगली के प्रथम जोड़ के बॉटम तक लाइन के रूप में स्याही लगानी है तथा स्टेम्प पेड़ सूखे नहीं रहें।

(2) कि निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की तीनों प्रतियां पूर्ण और सभी तरह से समान हैं और, विशेषतः कि–

(क) आपको दिया गया सुसंगत भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है और यह कि उसकी प्रत्येक अनुपूरक सूचियों सभी प्रकार से पूर्ण है;

(ख) अनूपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम काट दिये गये हैं और लिपिकीय या अन्य गलतियों से सम्बन्धित शुद्धियां सम्यक् रूप से कर दी गयी है;

(ग) निर्वाचक नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ पाण्डुलिपि के अनुसार क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में संख्यांकित है;

(घ) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को स्याही से या अन्य प्रकार से ठीक नहीं किया गया है और उनके स्थान पर नये क्रम प्रतिस्थापित नहीं किये गये हैं।

(ङ) यह कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (निर्वाचक नामावली की प्रति का उपयोग वोट देने हेतु अनुमति प्राप्त निर्वाचकों के नाम 'चिन्हित करने हेतु') में ''पी.बी.'' डा. म. या ''सी.एस. वी.'' के अलावा अन्य कोई चिन्ह अंकित नहीं होगा। यदि अनुपूरक में कोई है तो अंतिम प्रकाशन से पूर्व दावे और आपत्तियां प्राप्त कर पूरक सूची तथा ड्राफ्ट रोल के बाद संलग्न करें। जो मूल नामावली या सुधार के साथ में या यूनिक क्रमांक जोड़ते हुए मतदाता फोटो परिचय-पत्र के पुनः मुद्रण के समय मतदाता विवरण के खाते में (DELETED)शब्द सुपर इम्पोज किया जाए तथा ऐसा करते समय कोई भी अन्य प्रविष्टि न तो हटाई जाएगी व न संशोधित की जाएगी या न ही मिटाई जाएगी।

(च) सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एक अन्य अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली पर हस्ताक्षर होने चाहिए।

(छ) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के रूप में उपयोग हेतु मुखपृष्ठ के ऊपर निम्नलिखित प्रारूप में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया हैः-

प्रमाण–पत्र

(अनुपूरक परिशिष्ट संख्या एक (1) एवं दो (2) में सुधार तथा विलोपन दर्शाती सूची का पुनः प्रकाशन हुआ है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता सूची का भाग क्रमांक ..... का ..... विधान सभा क्षेत्र, संशोधन तथा विसंगतियां दूर करने के बाद जैसा कि पूरक क्रम 1, 2 में दर्शाये गये हैं, पुनः प्रकाशित किये गये हैं। उनका मिलान कर लिया गया है तथा कोई विसंगति नहीं पाई गई है। इसकी कुल पृष्ठ संख्या ..... है। (एक से ..... तक)।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर व सील

रिटर्निंग ऑफिसर/असि. रिटर्निंग ऑफिसर

या

(जहां पुनः प्रकाशित मतदाता सूची अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची से मिलान करने पर विसंगतियां पाई जायें और पुनः प्रकाशित सूची के अतिरिक्त चिन्हित प्रति के रूप में पूरक 2 के अनुसार उपयोग किया जाये)

प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता सूची का भाग क्रमांक ..... का ..... विधान सत्रा क्षेत्र ..... को अन्तिम रूप से प्रकाशित रूप से प्रकाशित सूची तथा पूरक क्रमांक 2 के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें कुल पृष्ठ सं. ..... है। (1 से .....) यह मतदाता सूची की विश्वसनीय प्रतिलिपि है तथा किसी प्रकार की विसंगति की सम्भावना में भी यह प्रतिलिपि अन्तिम मानी जायेगी।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर व सील

रिटर्निंग ऑफिसर/असि. रिटर्निंग ऑफिसर

(3) यह कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के साथ अनुपस्थिति, अन्यत्र स्थानांतरित मतदाता यदि कोई हों, की सूची आपको मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को चिह्नित करने में सुविधा की दृष्टि से दी जा रही है।

(4) यह कि आपको उपलब्ध कराए गए निविदत्त मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र के हैं आपके मतदान केन्द्र के वे किसी भी दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं हैं। आप यह चेक कर लें कि आपको उपलब्ध कराई गई जानकारी से क्रम संख्या का मिलान हो।

(5) यदि किसी प्रकार से आप मतदान मशीन या अन्य मतदान सामग्री खराब पाएं तो आप यह कमी तत्काल मतदान मशीन/मतदान सामग्री वितरण अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने हेतु लाएं।

(6) यह भी चेक करें कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों की छायाप्रतियां आपको दी गई हैं। मतदान केन्द्र पर यह आपको, अभ्यर्थियों/उसके मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति पत्र हेतु हस्ताक्षर की वैद्यता को सत्यापित करने में सहायक होगा।

अध्याय-4

फोटो निर्वाचक नामावली

1. फोटो निर्वाचक नामावली :

1.1 सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अब फोटो निर्वाचक नामावली उपलब्ध है। यह मतदान के समय मतदाता के पहचान करने में आने वाली कठिनाईयों को रोकने के लिये बनायी गयी है।

1.2 फोटो निर्वाचक नामावली में सभी निर्वाचकों के फोटो के साथ अन्य जानकारियों को नमूना निर्वाचक प्ररूप के अनुसार दिया गया है। इससे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों के पहचान करने में आसानी होती है, फोटो निर्वाचक नामावली का एक नमूना शीर्षक एवं विषय सूची के अतिरिक्त उपाबंध XVIII में दियागया है।

1.3 निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता फोटो पहचान-पत्र का प्रयोग मतदान केन्द्र में मतदाता के पहचान की जांच करने के लिये होता है, यदि मतदाता का फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होता है तो उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है और यदि निर्वाचक का फोटो निर्वाचक नामावली में नहीं है तो उसकी पहचान की जांच आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के अनुसार की जा सकती है। इस संबंध में चुनाव आयोग हर चुनाव के समय अलग से आदेश जारी करेगा।

1.4 जहां तक मतदाता फोटो पहचान-पत्र के सत्यापन हेतु निर्वाचक की पहचान का संबंध है, यदि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रदत्त फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे ध्यान में रखा जा सकता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है, जो अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी ने जारी किया है, ऐसे पहचान-पत्र पर भी ध्यान रखा जाएगा। यदि जहाँ निर्वाचक मतदान हेतु उपस्थित हुआ है वहाँ के मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। परन्तु ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचक दो स्थानों पर मतदान न करें, इस हेतु निर्वाचक के बांये हाथ की तर्जनी को यह देखने हेतु जांचा जाए कि उस पर किसी प्रकार की अमिट स्याही का निशान नहीं है तथा उसकी बांई तर्जनी पर अमिट स्याही लगाकर उसे मत देने हेतु मान्य किया जाए।

अध्याय-5

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन का रेण्डमाइजेशन

निर्वाचन आयोग द्वारा 1982 में पहली बार केरल में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रायोगिक तौर पर उपयोग करने के बाद इस मशीन का प्रयोग शनै :-शनै : बढ़ गया एवं इसका प्रयोग सम्पूर्ण देश में होने लगा तथा 2004 में इस इलेक्ट्रानिक मशीन का उपयोग लोक सभा निर्वाचन में देश के समस्त मतदान केन्द्रों में वास्तविक रूप में होने लगा।

ई. व्ही. एम. के क्षमता की न्यायिक जांच एवं स्वतंत्र अध्ययन ने मतदाताओं को निर्वाचन में ई.व्ही.एम. के उपयोग के बारे में संतुष्टि की पुष्टि की। भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर निर्वाचन में ई.व्ही.एम. के उपयोग के लिये निर्देश जारी करता रहा है। (संदर्भ संख्या 51/8/7/2007 पी.एल.एन. IV 12 अक्टूबर, 2007) निर्वाचन पूर्व ई.व्ही.एम. को प्रथम स्तर पर परीक्षण (51/6/16/2007), दिनांक 12 अक्टूबर, 2007) एवं सुरक्षा साधनों को कानूनन मान्यता दी गई (464/BS/EVM/2007 पी.एल. एन. IV 12 अक्टूबर, 2007)। मीडिया के सहयोग एवं निर्वाचन आयोग के प्रकाशन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित रिटर्निंग ऑफिसर की पुस्तिका में ई.व्ही. एम. के उपयोग एवं प्रबंधन के लिये विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण निष्पक्षता के लिये निर्वाचन आयोग ने ई.व्ही.एम. के प्रयोग को कानूनन मान्यता दे दी एवं विधान सभा/लोक सभा निर्वाचनों में प्रयोग के लिये निम्नलिखित निर्देशों को अत्यधिक सावधानी से बरतने की हिदायत दी।

1. सामान्य नीति के अनुसार जिला मुख्यालय में उपलब्ध सभी ई.वी.एम. जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन संग्रहित रखी जायेगी। यह भी संभव है कि स्थान के अभाव में ई.व्ही. एम. को विकेन्द्रित रूप से अलग-अलग स्थानों में रखा जाये। इन स्थितियों में ई.व्ही. एम. की प्रथम जांच एवं रेण्डमाइजेशन की तैयारी के लिये दिये निर्देश के अनुसार सभी मशीनों को जिलों से जिला मुख्यालय में उचित अनुरक्षक के अधीन लाया जाएगा।

2. पूर्व निर्देशों के अनुसार प्रथम जांच बी.एल./ई.सी. आय.एल. इंजीनियरों द्वारा जिला मुख्यालयों में किया जायेगा, सभी कार्यों के संयोजित करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी (डी.ई.ओ.) एक नोडल अधिकारी अपने स्तर पर नियुक्त करेगा एवं इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) को देगा। प्रथम स्तर की जांच उस समय के निर्देशों एवं प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

3. ई.व्ही.एम. के प्रथम स्तरीय जांच रेण्डमाइजेशन एवं तैनाती को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से एक पूर्व से गोंद लगा प्रिंटेड स्टीकर बनाया जायेगा एवं प्रयोग के लिये उपलब्ध होगा। (यह प्रिंटिंग व्यवस्था मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर की जाएगी) इस लेबल एक नमूना नीचे दिया गया है।

<table>
<tr><td colspan="5">कर्नाटक एल.ए. 2008 : जिले का नाम</td></tr>
<tr><td colspan="2">सी.यू. क्रमांक</td><td>जिला रनिंग क्रमांक</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">करेन्ट आय डी</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रथम स्तरीय जांच</td><td colspan="2">सी.यू. रेडमाइजेशन-1</td></tr>
<tr><td>दिनांक</td><td>आर.ई.पी.बी.ई.एल.</td><td>आर.इ.पी.
डी.ई.ओ.</td><td>दिनांक</td><td>आर.ई.पी.
डी.ई.ओ./रिट. अधिकारी</td></tr>
<tr><td>रेडमाइजेशन 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दिनांक</td><td>डिप्लायमेंट स्थिति</td><td>पी.एस. क्रमांक</td><td></td><td>आ.ओ./ए.आर.ओ.</td></tr>
</table>

4. जैसे ही प्रथम स्तर की जांच समाप्त होगी स्टीकर को सी.यू. के पीछे वाले भाग में चिपकाया जायेगा एवं जांच इंजीनियर दिनांक के साथ नियत स्थान पर अपने दस्तखत करेगा। इसका मतलब होगा कि सी.यू. पूर्णतः सही स्थिति में है। सी.यू. का विशिष्ट मशीन क्रमांक भी उचित स्टीकर के निर्धारित स्थान पर दर्शाया जायेगा, इसके सिवाय एक रनिंग क्रम भी सी.यू. को दिया जायेगा एवं उचित स्थान पर दर्शाया जायेगा, इसके साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी का अधिकृत प्रतिनिधि भी अपने दस्तखत नियत स्थान पर करेगा, इसके पश्चात् पूर्ण सावधानी के साथ सी.यू. को स्टोर किया जायेगा। यदि जांच के दौरान किसी कारणवश सी.यू. में कोई खराबी पाई गई तो उसे अन्य सी.यू. से अलग रखा जायेगा एवं खराबी को दूर किया जायेगा, उपर्युक्त प्रक्रिया (बी.यू.) बेलेट यूनिट की जांच के सत्यापन, हस्ताक्षर एवं क्रमांक अंकित करने पर भी लागू होगी।

5. सत्यापित एवं प्रमाणित सी.यू. एवं बी.यू. की डेटा बेस अलग बनाया जायेगा एवं रेण्डमाइजेशन के लिये तैयार रखा जायेगा। यह सी.यू. एवं बी.यू. की जानकारी रखेगा जिसमें मशीन क्रमांक (निर्माता द्वारा दिया गया जैसा धातु प्लेट पर सी.यू./बी.यू. के पीछे लिखा होगा) दर्शाया जाएगा। इन सी.यू./बी.यू. को सत्यापन के पश्चात् सुरक्षित कस्टडी में रखा जायेगा।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी एक समय सारणी बनायेंगे जो निर्वाचन कार्यकर्त्ता के ट्रेनिंग के पहले निश्चित होगा। सी.यू./बी.यू. की तैयारी के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष को बांटा जायेगा। मतदान के दिन की जरूरत के अनुसार सी.यू./बी.यू. को एकाएक (रेंडम) चुना जायेगा एवं निर्वाचन क्षेत्र अनुसार ट्रेनिंग के लिये दिया जायेगा। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं मतदाताओं की जागरुकता के लिये अलग-अलग रंगों में एक-एक स्टीकर सी.यू./बी.यू. (प्रशिक्षण हेतु रखे गये) के सामने भाग में लगाया जायेगा जिस पर राज्य में निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं निर्वाचन का वर्ष दर्शायेगा। ''कर्नाटका 2008 : ट्रेनिंग सी.यू./बी.यू.'' के रेंडमाइजेशन के समय जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को मतदान केन्द्रों की संख्या का ध्यान रखेंगे।

7. विधान सभा क्षेत्र अनुसार सी.यू./बी.यू. के ग्रुपिंग के बाद एक करेंट आयडी प्रत्येक सी.यू./बी.यू. को उपयुक्त स्लॉट में करेंट आईडी उचित स्थान स्टीकर में दी जाएगी। तात्कालिक आयडी का मतलब होगा कि विधान सभा क्षेत्र क्रमांक का एक रनिंग सीरियल उस विधान सभा क्षेत्र के नए चालू सीरियल क्रमांक है। जैसे विधान सभा क्षेत्र नं. 56, 280 सी.यू./बी.यू. को दिया गया है (क्रमांक 001 से 280) करेंट आयडी 56/सी.यू./001 से 56/सी.यू./280 होगा। इसी प्रकार बी.यू. के लिये भी करेंट आयडी ''56/BU/001 to 56/BU/280'' पढ़ा जावेगा।

8. मतदान केन्द्र तथा प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को आवंटित सीयू /बीयू की रेण्डमाइज्ड सूची अलग से बनाई जाएगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि एवं रिटर्निंग अधिकारी के दस्तखत लेकर सभी अधिकारिक राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी जायेगी। यदि रेण्डमाइजेशन के समय प्रतिनिधि उपलब्ध न हो तब भी वह सूची उनकी पार्टी कार्यालय में भेजा जायेगी एवं तदर्थ एक रसीद प्राप्त की जाएगी।

9. इसके पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी सी.यू./बी.यू. को अपने चार्ज में ले लेगा। चुनाव में उपयोग के लिये सभी सी.यू./बी.यू. को रिटर्निंग ऑफिसर के सुरक्षित कमरे में अति सुरक्षा से ले जाया जायेगा एवं सुरक्षा की जायेगी। ट्रेनिंग ई.व्ही.एम. को उपयुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये बांट दिया जायेगा, स्टाँग रूम के मुहरबंद करते वक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है एवं वे भी ताले पर अपनी मोहर लगा सकते हैं।

10. निर्वाचन में उपयोग के लिये सी.यू./बी.यू. को तैयार करने के लिये जो दिन निश्चित किया जायेगा उस दिन रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सी.यू./बी.यू. की तैयारी विशेष तौर पर उम्मीदवार अभिकर्ता या अधिकारिक प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है। अब रिटर्निंग अधिकारी सी.यू./बी.यू. की दूसरी रेंडमाईजेशन करेगा निश्चित मतदान केन्द्रों को देने केलिये। उसके बाद वह मतदान केन्द्र क्रमांक दिये गये सी.यू./बी.यू. पर नियत स्थान पर लिखेगा। बचे हुए

सी.यू./बी.यू. (जो किसी मतदान केन्द्र को नहीं दिये गये) को सुरक्षित कभी जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिये रखे जायेंगे। इन सी.यू./बी.यू. के मतदान केन्द्र अंकित के स्थान पर और (रिज़र्व) अंकित किया जावेगा।

11. इस स्तर पर चिन्हित सी.यू./बी.यू. मतदान केन्द्र अनुसार मिलान किया जायेगा एवं एक साथ टेग करके रखे जायेंगे। कोई उपस्थित उम्मीदवार या अभिकर्ता बनावटी मतदान एवं परिणाम की जांच को परखने के लिये तैयारी के समय सी.यू./बी.यू. फिर से जांच के लिये चुन सकेगा एवं मास्टर ट्रेनर/टेक्निकल व्यक्ति से जांच करवा सकेगा। अपने आपको संतुष्ट करने के लिये कि ई.व्ही.एम. सही काम कर रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं भी सी.यू./बी.यू. पार्ट्स के 10% को ई.व्ही.एम. के सही काम करने की स्थिति जानने के लिये सत्यापित कर सकता है।

12. इसके पश्चात् करंट आयडी एवं सी.यू./बी.यू. के मशीन क्रमांक दर्शाते हुये एक मतदान केन्द्रानुसार सूची तैयार की जायेगी एवं रिटर्निंग अधिकारी उस पर दस्तखत करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी सी.यू./बी.यू. की अलग सूची बनायेंगे एवं ''आर'' एवं करंट आयडी एवं मशीन नं. लिखेंगे। दोनों सूचियां आर.ओ. द्वारा दस्तखत की जायेगी एवं सभी उम्मीदवारों, अभिकर्त्ताओं, प्रतिनिधियों को दी जायेगी एवं उनके हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

13. वर्तमान निर्देशों के अनुसार दो प्रकार के एड्रेस टेग्स एक सी.यू. में उपयोग करने के लिये दूसरा बी.यू. में अब से टेग में करेंट आयडी क्रमांक (जैसा स्टीकर पर दिया है पैरा 7 के अनुसार) होगा। एड्रेस टेग रिजर्व सी.यू./बी.यू. रिजर्व स्थिति दर्शायेगा। एड्रेस टेग की टेगींग इस स्तर पर उम्मीदवारों/अभिकर्त्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में की जायेगी। सभी सी.यू./बी.यू. जो मतदान केन्द्रों को दिया जाना है, को स्टांग रूम में रखा जायेगा। रिजर्व सी.यू./बी.यू. भी इसी प्रकार उम्मीदवारों, अभिकर्त्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सुरक्षित स्टांग रूम में रखे जायेंगे। उन्हें अपना सील स्टाँग रूम के ताले पर लगाने की अनुमति होगी।

14. जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को भेजने के लिये सुरक्षित कमरे से निकाला जायेगा तब विशेष सावधानी स्वरूप दिनांक एवं स्ट्रांग रूम खोलने का समय आदि की लिखित जानकारी प्रत्याशी या उनके एजेंट को दी जायेगी।

15. मशीन भेजने के पहले पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दें कि वे मशीन नं. जो धातु लेबल एवं मेटल लेवल एवं एडीसिव स्टीकर पर अंकित मशीन क्रमांक और मतदान केन्द्र क्रमांक जो स्टीकर पर है एड्रेस टेग के क्रमांक से मेल करे। इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन स्वीकार करने के पहले यह जांच लें। यदि कोई अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारी को सूचित करें। इसी प्रकार R.O. द्वारा लगाई गई पिंक पेपर सील (दोनों मतदान मशीनों पर) लगाई गई हैं इनके सुरक्षित होने की जांच करें।

16. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अभिकर्त्ताओं को करंट आयडी एवं ई.व्ही.एम. का मशीन क्रमांक बतायें जिस मतदान केन्द्र में दिया गया है कि जिससे कि वे ई.व्ही.एम. की जांच अपने संतुष्टि के लिये कर सके। यह वे मतदान के दिन बनावटी मतदान होने के पहले कर लें। पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे स्टीकर पर दर्शाये जो मशीन क्रमांक एवं करंट आयडी आदि अभिकर्ताओं को बनावटी मतदान के पहले दिखाये। पीठासीन अधिकारियों को उपयोग में सी.यू./बी.यू. का संख्या क्रम (स.क्र.) संख्या अपनी डायरी में लिखें। निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाये।

17. किसी कारणवश यदि सी.यू./बी.यू. को मतदान केन्द्र में बदले जाने की आवश्यकता महसूस हो तो एस.ओ. (सेक्टर ऑफिसर) या कोई अधिकृत अधिकारी ऐसा करें। एक विशेष रिपोर्ट यह दर्शाते हुए बनायें कि किस सी.यू./बी.यू. एवं नये सी.यू./बी.यू. को बदला जाना है। क्रमांक एवं क्रम संख्या के साथ इसके साथ ही वे सी.यू./बी.यू. के बदले जाने का कारण भी अभिव्यक्त करें। इसकी एक प्रति पीठासीन अधिकारी के पास भी रखे जो रिटर्निंग अधिकारी को दी जाये। प्रतिस्थापित मशीन में डाले गये वोट की जानकारी की रिपोर्ट की एक प्रति पीठासीन अधिकारी एवं एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाये।

18. मतदान समाप्त होने के बाद मशीनों को सुरक्षा में रिसेप्सन काउंटर (प्राप्ति केन्द्र) में पहुंचाया जाय, सभी औपचारिकताओं के होने के बाद ई.व्ही.एम. को सुरक्षित कमरों (स्ट्रांग रूम) में उम्मीदवारों, अभिकर्त्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सीलबंद करें।

19. पुनः मतदान की स्थिति में पुनः मतदान के लिये लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को रिजर्व सूची में निकाला जायेगा एवं सी.यू./बी.यू. क्रमांक की उम्मीदवारों/अभिकर्त्ताओं को लिखित में सूचना दी जायेगी, यह ध्यान रखा जाए कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि सी.यू./बी.यू. के एड्रेस टेग पर पुनः मतदान के लिये प्रयुक्त ई.व्ही.एम. दिनांक एवं मतदान केन्द्र के क्रमांक दर्शाया जाए।

20. पुनः मतदान के पश्चात् पुनः मतदान में प्रयुक्त ई.व्ही.एम. को सुरक्षित रखने के लिये स्ट्रांग रूम को पुनः खोला जायेगा, ऐसा करते समय उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति आवश्यक होगी। पुनः मतदान में उपयोग में लायी गयी ई.व्ही.एम. को पहले मतदान में प्रयुक्त ई.व्ही.एम. के साथ ही रखा जायेगा, एक टेग ''नहीं गिना जाए'' लिखकर पुराने ई.व्ही.एम. पर लगाया जाए एवं दूसरा टेग ''पुनः मतदान ई.व्ही.एम. गिना जाए'' लगाया जाए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर दोनों टेगों पर हस्ताक्षर करेंगे।

21. राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने गणना करने वाले व्यक्तियों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करें एवं प्ररूप 17ग लाएं जिस पर मतदान केन्द्र में मशीन क्रमांक लिखा था एवं जो उन्हें मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया था, मतदान केन्द्रों के अनुसार मतदान के दौरान उपयोग की गई सीयू पूरी सूची उम्मीदवारों को दी गई है। (पैरा 12 पढ़ा जाए) जिसमें पुनः मतदान में उपयोग में लाये गये सी.यू. मतदान केन्द्र में प्रयुक्त ई.व्ही.एम. के विषय में जानकारी देगा, इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी ई.व्ही.एम. के प्रयोग का हिसाब सी.यू. क्रमांक मतदान केन्द्रानुसार चिपकाए या जो मतगणना हाल में सभी के लिये देखने को होगा।

22. उपर्युक्त सभी वर्णित स्तरों की पूर्णतः वीडियोग्राफी होगी एवं उपर्युक्त प्रकार से रिकॉर्ड रखा जाएगा।

अध्याय-6

मतदान केन्द्र की स्थापना

1. मतदान केन्द्र पर पहुंचना :

आपको अपने दल के साथ मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंच जाना चाहिए। यदि आप मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन पहुंच सकने की स्थिति में नहीं है तो आप एक दिन पहले भी पहुंच सकते हैं तथा मतदान केन्द्र में ही सो सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान में रखें कि ई.व्ही.एम. को खोलना नहीं है तथा प्रत्येक स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशों का पालन करें साथ ही स्थानीय निवासियों का आतिथ्य स्वीकार न करें।

2. मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति :

यदि आपके मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहता है तो आपके पास उसके स्थान पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को उसी समय नियुक्त करें तथा बाद में, आपको ऐसी नियुक्ति की सूचना औपचारिक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त न करें जो निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी का सक्रिय समर्थक या कार्यकर्ता हो या किसी भी अभ्यर्थी का सक्रिय विरोधी हो।

3. मतदान केन्द्र की स्थापना :

3.1 आपके उस स्थान पर पहुंचने पर, जहां मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना है, मतदान के प्रयोजन हेतु भवन निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि वहां पहले से ही मतदान केन्द्र बना हुआ है तो केन्द्र का निरीक्षण कर लें। (मतदान केन्द्र का ले-आउट बतलाते हुए मॉडल मतदान केन्द्र का रेखा-चित्र उपाबंध-6 में दिया गया है)। यदि आवश्यक समझें तो यह आप पर निर्भर है कि आप मतदान केन्द्र के वास्तविक स्थापन में मामूली फेरबदल कर लें किन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि-

(क) मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए काफी जगह है;

(ख) जहां तक व्यवहारिक हो, पुरुष और महिलाओं के लिए पृथक् प्रतीक्षा स्थल हो;

(ग) मतदाताओं के लिए अलग प्रवेश तथा निकास द्वार हो।

(घ) मतदान केन्द्र के कमरे में यदि एक ही दरवाजा है तो दरवाजे के बीच से बांसों और रस्सियों की सहायता से पृथक् प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जा सकती है। यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान कक्ष के अंदर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है। यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक कक्ष के लिए उपयुक्त रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ङ) मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से लेकर उसे छोड़ने तक आसानी से आ जा सके और उन्हें मतदान केन्द्र के भीतर आड़ा-तिरछा न चलना पड़े;

(च) मतदान अभिकर्त्ताओं को ऐसे ढंग से बिठाया जाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, जब कभी भी वह मतदान केन्द्र में प्रवेश करे, देख सके और प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उसकी पहचान की जा सके ताकि आवश्यकता होने पर वे निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकें। वे पीठासीन अधिकारी की मेज, (जहां नियंत्रण यूनिट रखी है) की समस्त क्रियाएं देख सकें और निर्वाचक के पीठासीन अधिकारी की मेज तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल से मतदान कक्ष तक और उसके मत रिकॉर्ड करने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़ने तक का संचालन भी देख सकें। किन्तु वे किसी भी स्थिति में ऐसे स्थान पर नहीं बैठेंगे, जहां उनको मतदाता द्वारा विशेष बटन दबाकर अपना मत वास्तविक रूप से रिकॉर्ड करते हुए देखने का अवसर मिल सके;

(छ) समस्त मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे ऐसी स्थिति में न हो कि मतदाता द्वारा विशेष बटन दबाकर अपना मत वास्तविक रूप से रिकॉर्ड करते हुए देख सके;

(ज) मतदान कक्ष कंट्रोल यूनिट से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए, बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबिल लगभग 5 मीटर लम्बी होनी चाहिए। केबिल इस तरह लगाई जाना चाहिये ताकि मतदाता को आने-जाने में कोई बाधा नहीं होना चाहिये। मतदान प्रकोष्ठ की उपयुक्त दूरी होनी चाहिए। पूरा केबिल दृष्टिगोचर होना चाहिए। ईवीएम मतदाता कक्ष में रखते समय मतदान की गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता कक्ष कार्ड बोर्ड का बना हो एवं 21''×21''×21'' का होना चाहिए। यह खिड़की या दरवाजे से दूर होना चाहिए।

लोक सभा/विधान सभा चुनाव एक साथ होने पर मतदान केन्द्र की स्थापना :

(क) मतदान केन्द्र के ले-आउट योजना जहां ईवीएम के दो सेट लोक सभा एवं विधान सभा के साथ-साथ चुनाव होने पर उपयोग में लायी जानी है, उपाबंध 6 में दिया गया है। ले-आउट में प्रवेश एवं निकास का एक ही दरवाजा दिखाया गया है। यद्यपि मतदान केन्द्र पर दो दरवाजे होने पर प्रवेश एवं निकास अलग-अलग दरवाजे से व्यवस्था की जा सकती है।

(ख) यह ध्यान रहे कि दो भिन्न-भिन्न मतदान कक्ष हो, एक मतदान इकाई लोक सभा चुनाव के लिए एवं दूसरी मतदान इकाई विधान सभा चुनाव के लिए।

(ग) मतदान कक्ष में पृथक्-पृथक् रूप से दो सूचनाएं बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित करें। एक नोटिस पर ''मतदान कक्ष-लोकसभा निर्वाचन'' एवं दूसरे पर ''मतदान कक्ष-विधान सभा निर्वाचन'' लिखें एवं चिपकायें।

5. मतदान प्रकोष्ठ-नमूना ड्राइंग :

5.1 मतदाताओं को मतदान गोपनीय तरीके से करना चाहिये तथा इस हेतु वोटिंग कम्पार्टमेंट में बेलेट यूनिट रखी जानी चाहिए। उपाबन्ध 6 में वोटिंग कम्पार्टमेंट का चित्र नमूने के लिये देखा जा सकता है। वोटिंग कम्पाटमेंट तीन तरफ से घिरा हुआ है। वोटिंग कम्पार्टमेंट के अन्दर बेलेट यूनिट को एक टेबल पर रखा जाना चाहिए। बेलेट यूनिट इस तरह रखी जाना चाहिए कि मतदाताओं को अपना मत रिकॉर्ड करने में कोई परेशानी न हो वोटिंग कम्पार्टमेंट टेबल से उपयुक्त दूरी पर स्थित हो जहां कन्ट्रोल यूनिट रखी तथा संचालित की जाएगी। बेलेट यूनिट तथा कन्ट्रोल यूनिट को जोड़ने वाले केबल की लम्बाई लगभग 5 मीटर है और स्थाई रूप से बेलेट यूनिट से जुड़ा है। केबल को इस तरीके से ले जाना चाहिए कि यह मतदान केन्द्र के अन्दर मतदाताओं के आने-जाने में बाधक न बने तथा वे उसे लांघ कर

न जाएं किन्तु, सम्पूर्ण केबल की लम्बाई साफ दिखाई पड़े तथा किसी भी परिस्थिति में वह कपड़े या टेबल के नीचे न छुपे। इसे वोटिंग कम्पार्टमेंट के पिछले भाग में नीचे आना चाहिए। यह उपकरण इतना बड़ा हो कि बेलेट यूनिट, (जिसके अन्दर से केबल बाहर आ रहा) बाहर से भी साथ दिखाई पड़े। यह देखना इसलिये आवश्यक है कि वोटिंग कम्पार्टमेंट के अन्दर कोई मतदाता इसके साथ छेड़छाड़ या खराबी न करे। फिर भी वोटिंग कम्पार्टमेंट में लगा यह उपकरण इतना चौड़ा भी न हो कि मतदान की गोपनीयता को भंग करें। वोटिंग कम्पार्टमेंट में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन रखते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान की गोपनीयता का निषेध न हो। इस कार्य हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि यह मतदान केन्द्र के खिड़की या दरवाजे के पास न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वोटिंग कम्पार्टमेंट सिर्फ कार्ड बोर्ड का बना हो तथा इसका आकार 21''×21''×21'' हो तथा खिड़की या दरवाजे से दूर रखा हो।

5.2 यदि आपके मतदान केन्द्र पर अधिक संख्या में पर्दानशीन महिला मतदाता हों तो आपको उनकी पहचान के लिए और गोपनीयता, गरिमा और शिष्टता को ध्यान में रखते हुए अलग कक्ष में उनकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही महिला मतदान अधिकारी द्वारा लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे विशेष कक्ष के रूप में आप स्थानीय उपलब्ध कक्ष का उपयोग कर सकते हैं किन्तु यह व्यवस्था अपनी सूझबूझ से कम खर्चीली योजना से काम में लायें। इसके लिए आप चारपाई या चद्दर का कपड़ा काम में ले सकते हैं।

5.3 यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थित हों तो आपका इस बात से सन्तुष्ट हो जाना चाहिए कि बिना परेशानी के मतदाताओं को अलग करने और प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने की जगह में अलग-अलग स्थानों पर उनके प्रतीक्षा करने की आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गयी है।

5.4 यदि मतदान केन्द्र किसी निजी भवन में हो तो वह भवन और उसके 200 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए। भवन के स्वामी से संबंधित कोई प्रहरी या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह हथियारबन्द हो या नहीं, मतदान केन्द्र पर या इसके आस-पास के 200 मीटर की परिधि के भीतर नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र और उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा इन्तजामों की जिम्मेदारी पूर्णतः आपके नियंत्रण के अधीन, पुलिस की होगी।

5.5 राजनैतिक दलों के नेताओं के फोटो या ऐसे नारे जिनका सम्बन्ध निर्वाचनों से है, प्रदर्शित नहीं किये जाने चाहिए और यदि वे पहले से ही वहां प्रदर्शित हो रहे हों तो आपको मतदान समाप्त होने तक इन्हें हटाये रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

5.6 मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6. नोटिस प्रदर्शित करना :

6.1 प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें :-

(क) मतदान क्षेत्र या मतदान केनद्र के निर्वाचकों की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस; और

(ख) प्ररूप 7-क में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची और जहां व्यवहारिक हो, प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक की अनुकृति।

6.2 नोटिस की भाषा वही होगी जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में है और नामों का क्रम भी वही होना चाहिए।

7. लोक सभा/विधान सभा चुनाव एक साथ होने पर मतदान प्रक्रिया :

7.1 मतदाता जब मतदान केन्द्र में प्रवेश करेगा तब वह पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचेगा एवं प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान कर मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। इस प्रविष्टि करने की विधि अध्याय-1 के पैरा 4 (16) में दी गई है।

7.2 मतदाता फिर दूसरे मतदान अधिकारी के पास जावेगा एवं बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा तथा मतदाता से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाता रजिस्टर में दर्ज करायेंगे। अंगूठे का निशान देने पर मतदाता को मतदान अधिकारी स्टेम्प पैड की स्याही को इस हेतु टेबल पर रखे गीले कपड़े में पोंछने के लिए कहेगा।

7.3 जब द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही लगा रहा होगा तथा रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले रहा होगा। इसी दौरान तृतीय मतदान अधिकारी दो समान मतदाता पर्चियां एक सफेद कागज पर तथा दूसरी गुलाबी कागज पर देगा तथा मतदाता की उंगली का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि अमिट स्याही ठीक से लगी है या नहीं। तत्पश्चात् मतदाता पर्चियां मतदाता को देकर चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास भेजेगा।

8. लोक सभा के निर्वाचन हेतु मतदान

8.1 लोक सभा तथा विधान सभा के लिये मतदान हेतु मतदाता दोनों पर्चियां लेने के पश्चात् चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जावेगा जो कि लोक सभा निर्वाचन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। मतदाता सफेद पर्ची चतुर्थ मतदान अधिकारी को देगा। उसकी बारी सुनिश्चित करने पर यह अधिकारी कंट्रोल यूनिट मतदान बटन को दबायेगा एवं मतदाता लोकसभा के मतदान कक्ष में मतदान हेतु जाने के लिए निर्देशित करेगा तथा यह अधिकारी मतदाता को लोक सभा हेतु मतदान के पश्चात् गुलाबी पर्ची के साथ विधान सभा चुनाव हेतु मतदान करने के लिए पंचम मतदान अधिकारी के पास भेजेगा।

8.2 लोक सभा चुनाव हेतु मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में पहुंचेगा में तत्पश्चात् अंदर रखी बेलट यूनिट के नीले बटन को दबाकर मतदान करेगा।

9. विधान सभा चुनाव हेतु मतदान :

मतदाता लोक सभा चुनाव हेतु मतदान के पश्चात् पंचम मतदान अधिकारी-प्रभारी-कंट्रोल यूनिट-विधान सभा के पास जावेगा। गुलाबी पर्ची लेने के बाद उसकी बारी सुनिश्चित कर यह अधिकारी बैलेट बटन को दबाकर मशीन को विधान सभा चुनाव के लिये सक्रिय करेगा तथा मतदाता को मतदान कक्ष में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान हेतु भेजेगा तथा पाचंव निर्वाचन अधिकारी अमिट स्याही के निशान का भी परीक्षण करेगा कि वह यथावत् है।

अध्याय-7

मतदान केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था

1. मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन आयोग केन्द्रीय पोलिस बल की नियुक्ति करता है, स्थानीय राज्य पोलिस (अन्य बलों के साथ) एवं केन्द्रीय अर्थ सैनिक बल मतदान के समय निर्वाचन आयोग के साथ प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त रहते हैं एवं वे समस्त कार्यों के लिए उसके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में रहते हैं। अन्य बलों के साथ निर्वाचन आयोग इन सभी की सहायता से निर्वाचन सम्पन्न कराता है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11 जनवरी, 2005 को सिविल अपील नं. 9228 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिये केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की नियुक्ति के संबंध में कुछ सुझाव व निर्देश दिये हैं। निर्वाचन आयोग ने इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विस्तृत निर्देश जारी किये हैं ताकि इस विषय पर कठिनाई दूर हो तथा एक रूपता सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने मामले पर विचार किया तथा समरूपता बनाने एवं डिस्क्रीशन को दूर रखने की दृष्टि से निम्नांकित विशद् निर्देश जारी किए हैं :

''केन्द्रीय पोलिस बल (जवान) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार स्थायी बल के रूप में मतदान केन्द्र के बाहर नियुक्त रहते हैं। माननीय उच्च अदालत के आदेश नं. 9228, 2003 (जनक सिंह Vs. रामदास राय एवं अन्य) दिनांक 11 जनवरी, 2005 निर्देशानुसार आयोग ने निर्देश दिया कि मतदान केन्द्र में एक सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर रहेगा एवं मतदान केन्द्र में हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रख पायेगा। विशेषतः यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई भी अवांछित व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश न कर पाये या कोई अनियमितता मतदान अधिकारियों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा मतदान के दौरान नहीं किया जाए, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के अन्दर न जाए।

मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर नियुक्त सीपीएफ जवान विशेषतः निम्न गतिविधियों पर नजर रखेगा :-

(1) कोई भी अनाधिकारिक व्यक्ति कभी भी मतदान केन्द्र के भीतर मतदान के समय न जाए।

(2) मतदान दल या अभिकर्ता मत देने का या मतों को देने का प्रयास ना करें, जब कोई भी निर्वाचक मतदान बूथ में न हो।

(3) पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी भी निर्वाचक के साथ मतदान कक्ष में मतदाता के साथ ना जाए।

(4) कोई भी अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी निर्वाचक को डराये धमकाये नहीं किसी तरह का डराने वाला व्यवहार न करे।

(5) कोई भी हथियार मतदान केन्द्र के भीतर न ले जाए।

(6) किसी प्रकार की धांधली न हो पाये।

मतदान केन्द्र के दरवाजे पर तैनात सीपीएफ जवान यदि किसी तरह की भी निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लंघन देखताहै या मतदान केन्द्र के भीतर कुछ भी अवांछित पाता है वह किसी भी तरह मतदान क्रिया में व्यवधान नहीं करेगा, वरन् अपने प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा

या पर्यवेक्षक को इसकी जानकारी देगा। सीपीएफ का प्रभारी अधिकारी तत्पश्चात् इसे रिटर्निंग ऑफिसर तथा पर्यवेक्षक के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लिखित में लाएगा।

एक ही बिल्डिंग में यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र हो एवं जहां एक ही सीपीएफ जवान नियुक्ति हो तो प्रवेश द्वार पर नियुक्त जवान दोनों मतदान केन्द्रों की गतिविधियों पर नजर रखेगा एवं अवांछित घटनाओं की सीपीएफ प्रभारी को सूचना देगा।

सहायक रिटर्निंग/रिटर्निंग अधिकारी/पर्यवेक्षक, उन सभी अवांछित घटनाओं की सूचना जो सीपीएफ दलों द्वारा दी गई है आगे की आयोग को निर्देशों के लिये सूचना देंगे। सीपीएफ जवान उन्हीं मतदान केन्द्रों के बाहरी द्वार पर नियुक्त होंगे जहां कि सीपीएफ नियुक्त हो। यह भी ध्यान रहे कि सीपीएफ जवान किसी भी निर्वाचक की पहचान नहीं करेगा। क्योंकि यह कर्तव्य मतदान अधिकारियों का होता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के भीतर नहीं नियुक्त किया जाए।

निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संचालन के संबंध में अपने निर्देशों में सीपीएफ एवं राज्य पोलिस के कर्तव्यों को विस्तार से समझाया है-''जब भी सीपीएफ पहले से आयेगी तो फ्लेग मार्च करेगा या प्लाईंट पेट्रोलिंग एवं विश्वास पूर्ण वातावरण निर्मित करेगा। मतदान के पहली रात सीपीएफ जवान अपना स्थान सुनिश्चित करेगा एवं मतदान केन्द्र को कंट्रोल करेगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र की सुरक्षा एवं मतदान केन्द्र में आगमन को सुनिश्चित करने की पूर्णतः जिम्मेदारी सीपीएफ जवान की होगी। एक सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर नियुक्त होगा या तो वह खड़ा रहेगा या घूमता रहेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वह मतदान की गतिविधियों को देखेगा। इसके सिवाय सीपीएफ के कम्पनी कमाण्डर अपने मतदान केन्द्रों में घूमते रहेंगे। अगर मतदान केन्द्र पर सीपीएफ जवान नहीं पहुंचता तो मतदान प्रारंभ नहीं होगा। स्थानीय राज्य पोलिस मतदान केन्द्र के अन्दर व बाहर शांति एवं कानून व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगी। लोकल राज्य पुलिस मतदान केन्द्र के भवन के अन्दर यदि नियुक्त हैं तो वे मतदान केन्द्र एवं मतदाताओं की कतार से पर्याप्त दूरी बनाये रखेंगे। यह भी सलाह दी जाती है कि एक या दो हथियार रहित लोकल राज्य पुलिस/होमगार्ड हर मतदान केन्द्र के भवन में नियुक्त किया जावे ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल को बुलाया जा सके। वे किसी भी स्थिति में वे सीपीएफ की जगह नहीं लेंगे। कोई भी वरिष्ठ पोलिस ऑफिसर सीपीएफ पर निरीक्षण एवं कंट्रोल नहीं करेगा। विशेष परिस्थिति में स्टेट पोलिस को भी मतदान केन्द्र पर नियुक्त किया जा सकेगा। यदि सीपीएफ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो। यह निर्वाचन आयोग के आदेश पर पर्यवेक्षक के द्वारा ही किया जा सकेगा।

कानून व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय राज्य पोलिस की ही होगी। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्र के क्षेत्र में यदि ऐसे रहवासी या ग्रामीण हों जिन पर अवांछित प्रभाव एवं दबाव की आशंका की पहचान की जायेगी एवं पहले से ही इसको रोकने की व्यवस्था की जायेगी। स्थानीय राज्य पोलिस इस पर विशेष महत्व देगी कि निर्वाचकों को अपना मतदान करने में किसी प्रकार व्यवधान न आए।

मतदान की समाप्ति के बाद ई.व्ही.एम. एवं पीठासीन अधिकारी सीपीएफ अभिरक्षा के साथ सामग्री संग्रहण स्थल में ले जायेंगे। इसकी विस्तृत प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक प्रेक्षकों के साथ पहले से ही कर लेंगे।

सीपीएफ स्टॉंग रूम की सुरक्षा हेतु भी जवाबदेह होगी, जिसमें निर्वाचन हेतु ईवीएम संरक्षित रहेंगी जो मतगणना की तिथि तक जारी रहेगी।

अध्याय-8

मतदान अधिकारियों को कर्त्तव्यों का अभिहस्तांकन

1. मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रिया और मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य :

यह आवश्यक आवश्यक है कि आप मतदान केन्द्र पर मतदान के सहज और सुचारू संचालन के लिये उस प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हों जो निर्वाचक के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से लेकर उसके मत डालने के पश्चात् उसे छोड़ने तक समय-समय पर अपनायी जानी है। ऐसी मतदान प्रक्रिया और प्रत्येक मतदान अधिकारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्यों का विस्तृत उल्लेख पश्चात्वर्ती अध्यायों में है। तथापि, मतदान अधिकारियों के बीच कर्त्तव्यों का विस्तृत विवरण नीचे उपदर्शित है।

2. (क) लोकसभा/विधानसभा के एकल निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य जब मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी हों।

2.1 प्रथम मतदान अधिकारी :

प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचन की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर, निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आयेगा, जो अध्याय 18 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचक की पहचान के बारे में आश्वस्त होगा।

3.1 द्वितीय मतदान अधिकारी :

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक के बायें हाथ की तर्जनी का यह देखने के लिये निरीक्षण करेगा कि इस पर अमिट स्याही का कोई चिह्न या संकेत तो नहीं है और तब नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिह्न इस तरह से लगायेगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच रिज पर भी फैल जाये और तर्जनी पर स्पष्ट चिह्न रह जाये। जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है।

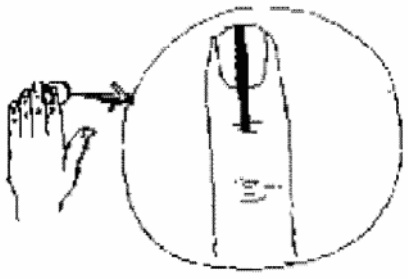

3.2 द्वितीय मतदान अधिकारी प्ररूप 17-क में मतदाताओं के रजिस्टर का भी प्रभारी होगा। वह उस रजिस्टर में निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा जिनकी पहचान की जा चुकी है और जो मतदान केन्द्र पर मत डालते हैं। वह उस रजिस्टर पर प्रत्येक निर्वाचक के, उसे मत डालने की अनुज्ञा देने से पूर्व, हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त करेगा। वह प्रत्येक निर्वाचक को, अध्याय 19 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता रजिस्टर में उसकी (निर्वाचक) विशिष्टियां इन्द्राज करने के पश्चात् मतदाता स्लिप जारी करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मतदान केन्द्र छोड़ने के पूर्व मतदाता की उंगली पर लगी अमिट स्याही सूख जाये। हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अमिट स्याही लगाने के बाद लिया जावे।

4. तृतीय मतदान अधिकारी :

4.1 तृतीय मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। वह उसी मेज पर बैठेगा जहां द्वितीय मतदान अधिकारी बैठता है ताकि पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान प्रक्रिया पर नजर रख सके। तृतीय मतदान अधिकारी निर्वाचक को मतदान कक्ष में जाने की अनुज्ञा द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान स्लिप के आधार पर और उस स्लिप में उपदर्शित क्रम सं. के सर्वथा अनुसार देगा। वह, अध्याय XX में विस्तृत रूप से यथावर्णित, नियंत्रण यूनिट पर के उपयुक्त (मत) बटन को, दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट (यूनिटों) को चालू करेगा। निर्वाचक को मतदान कक्ष में आने के लिये अनुज्ञात करने के पूर्व, वह यह भी जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का स्पष्ट चिह्न है। (यदि अमिट स्याही का निशान मिट गया हो तो बायीं तर्जनी पर फिर से अमिट स्याही लगायें)।

4.2 जहां किसी मतदान केन्द्र को सौंपे गये निर्वाचकों की संख्या कम है, वहां तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों का पालन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं किया जा सकता है। इस प्रकार मतदान दलों के गठन में और मितव्ययता की जा सकती है।

मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य जब एक से अधिक निर्वाचन हो तथा मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी तथा पांच मतदान अधिकारी हों :

प्रथम मतदान अधिकारी— वह निर्वाचकों की पहचान करेंगे तथा निर्वाचक नामावली के प्रभारी होंगे।

द्वितीय मतदान अधिकारी— वह अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर के प्रभारी होंगे।

तृतीय मतदान अधिकारी— वह मतदाता पर्ची के प्रभारी रहेंगे।

चतुर्थ मतदान अधिकारी— वह लोक सभा निर्वाचन के नियंत्रण इकाई के प्रभारी रहेंगे।

पंचम् मतदान अधिकारी — वह विधान सभा निर्वाचन के नियंत्रण इकाई के प्रभारी होंगे।

चतुर्थ एवं पंचम् मतदान अधिकारियों के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य :

ऐसा प्रतीत हो सकता है कि चतुर्थ एवं पंचम् मतदान अधिकारियों के कर्तव्य आसान हैं इसके विपरीत दो निर्वाचन एक साथ होने पर सफलता उनकी सतर्कता पर निर्भर है। उनके कार्य केवल ''बैलेट बटन'' दबाकर वोटिंग मशीन को सक्रिय (Activate) करना ही नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि मतदाता को दी गई पर्ची में अंकित क्रमांक के अनुसार अपनी बारी आने पर मतदान कर सके। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि मतदाता सही मतदान कक्ष में जाकर मतदान करता है। यदि किसी कारणवश मतदाता नहीं समझ पाता है कि उसे कहां जाना है और क्या करना है तो यह इन अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि मतदाता सही प्रक्रिया अपनाये। विशेषतः मतदान के प्रथम घंटे में जब अधिक भीड़ हो तो शांत रहते हुए यह देखें कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। समय मिलने पर या प्रत्येक घंटे के मतदान के पश्चात् कुल डाले गये मत एवं कुल मतदाता जो कि मतदाता रजिस्टर में दर्शाये गये हैं, का मिलान करें।

5. पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से मतदान केन्द्र का प्रभारी है तथा उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं-

(i) ''बैलेट इकाई'' को उनके नियत स्थान पर मतदान कक्ष में टेबल पर ही रखें। किसी भी स्थिति में ''बैलेट इकाई'' को फर्श पर न रखें।

(ii) ''बैलेट इकाई'' को उनकी नियत ''नियंत्रण इकाई'' से जोड़े।

(iii) पॉवर बटन को चालू करें।

(iv) उम्मीदवार/अभ्यर्थी के समक्ष मतदान शुरू होने से पूर्व नियत समय पर वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करें, ताकि यह स्पष ट हो कि वोटिंग मशीन में कोई मत नहीं डाले गये हैं।

(v) मतदान अभिकर्ता के समक्ष Mock Poll (दिखावटी मतदान) कर यह सुनिश्चित करें कि ईवीएम पूर्णतः कार्य करने की स्थिति में है।

(vi) दिखावटी मतदान के परिणाम को हटा दें।

(vii) दिखावटी मतदान का प्रमाण-पत्र तैयार करें (उपाबंध 17 में दर्शाये अनुसार)।

(viii) यह स्पष्ट हो कि यदि मतदान केन्द्र में दिखावटी मतदान नहीं हुआ है तो आयोग के निर्देशानुसार उस मतदान केन्द्र पर वास्तविक मतदान भी नहीं होगा।

(ix) यह सुनिश्चित करें कि हरे कागज की मोहर (जो कि लोक सभा चुनाव के लिए नियंत्रण इकाई पर चिपकी है) पर केवल लोक सभा चुनाव के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो कि उस समय मतदान केन्द्र प उपस्थित हो हस्ताक्षर करेंगे। उसी प्रकार विधान सभा चुनाव के लिए नियंत्रण इकाई पर लगी हरे कागज की सील पर केवल विधान सभा चुनाव के लिए नियंत्रण इकाई पर लगी हरे कागज की सील पर केवल विधान सभा चुनाव के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो कि मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, वहीं हस्ताक्षर करेंगे।

(x) यह भी देखें कि मतदान कक्ष के बाहर उपयुक्त पोस्टर चिपकाये गये हैं जो कि यह दर्शाये कि किस चुनाव की बैलेट इकाई अन्दर रखी गई है।

(xi) यह भी सुनिश्चित करें कि बैलेट इकाई को नियंत्रण इकाई से जोड़ने वाला केवल दृष्टिगोचर हो तथा किसी भी प्रकार से केबल को हानि न पहुंचने पाये। बैलेट तथा कंट्रोल यूनिट की पिंक पेपरसील के सुरक्षित होने का सुनिश्चित करें।

(xii) यह भी सुनिश्चित करें कि मतदान दल के सदस्य मतदान शुरू होने के पूर्व नियत स्थान पर बैठे तथा आवश्यक सामग्री एवं रिकॉर्ड को मतदान को सही समय पर शुरू करने के लिए तैयार रखें।

(xiii) मतदान दल के किसी भी सदस्य को मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में इधर-उधर घूमने न दें तथा नियत स्थान पर ही बैठें।

(xiv) मतदान को नियत समय पर शुरू करें।

(xv) यह कि ध्यान रखें कि कोई भी मतदाता बिना मतदान किये न जा सके तथा मतदाता की गतिविधियों पर नजर रखें।

(xvi) शुरुआत में भारी मतदान के समय मतदान दल का कोई भी सदस्य अपने कर्तव्य पालन में कोताही न बरते।

(xvii) कुछ डाले गये मतों की संख्या का दोनों नियंत्रण इकाईयों पर परीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करेंकि मतदाताओं ने पर्ची में दिये गये क्रमांक के अनुसार ही मतदान किया है।

(xviii) यह सुनिश्चित करें कि समानान्तर चुनाव होने पर लोक सभा चुनाव हेतु प्ररूप 17-ग की प्रति लोक सभा के उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता को प्रदान की गई है तथा विधान सभा चुनाव हेतु प्ररूप 17-ग की प्रति विधान सभा क्षेत्र के उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता को प्रदान की गई है।

(xix) समय-समय पर बैलेट इकाई को यह सुनिश्चित करने के लिए चेक करें कि मतदाताओं ने किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है। जो मतदाता पहले से ही कतार में है वह मतदान समाप्ति के समय के पश्चात् अपना मतदान कर सकता है।

6. मतदान समाप्ति :

6.1 पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करें कि मतदान '' नियत मतदान प्रक्रिया के तहत'' सही समय पर समाप्त हुआ। आखिरी मतदाता के मत दे के पश्चात् वह नियंत्रण इकाई के क्लोज बटन को दबाये। नियत फार्म को सावधानी से भरने के पश्चात् बैलेट यूनिट को नियंत्रण इकाई से अलग कर मोहरबंद कर उनके नियत केस/बाक्स में रखें। समानान्तर होने वाले चुनाव में नियत प्रपत्र अलग-अलग रूप से तैयार कर मोहरबंद किये जावें।

6.2 समानान्तर चुनाव होने पर (लोक सभा तथा विधान सभा) पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी इकाईयों के ''केस''/ ''बॉक्स'' पर संबंधित चुनाव के ही स्टीकर को बाहर चिपकाया जाये। बैलेट यूनिट एवं नियंत्रण यूनिट उनके निर्धारित केसेस में ही रखा जावे तथा चुनाव पहचान का लेबल भी चिपकाये जावें, यह भी सुनिश्चित किया जावे। सही रंग का Address Tag भरकर (लोक सभा चुनाव के लिए सफेद रंग) तथा (विधान सभा चुनाव के लिए गुलाबी रंग का) उनके निर्धारित केसेस पर चिपकायें/लगायें।

6.3 पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी मोहरबंद इकाईयां एवं चुनावी रिकॉर्ड रिटर्निंग ऑफिसर को संग्रहण केन्द्र पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सौंप दिया जावे।

अध्याय-9

मतदान केन्द्र में प्रवेश करने और बैठक व्यवस्था का विनियमन

1. मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति :

1.1 आपके मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकते हैं :-

(क) मतदान अधिकारी;

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्त्ता;

(ग) आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जैसे मीडियाकर्मी, माइक्रो ऑब्जवर्स;

(घ) निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक;

(ङ) आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक;

(च) यदि निर्वाचक के साथ गोद में शिशु/बच्चा हो;

(छ) ऐसे दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाता, जो बिना सदस्यता के चल फिर नहीं सकते, उनके साथ कोई व्यक्ति; और

(ज) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें समय-समय पर मतदाताओं की पहचान के लिये या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के प्रयोजन के लिये, आप प्रवेश की अनुमति दें।

1.2 रिटर्निंग ऑफिसरों को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पहचान-पत्र जारी करने की आवश्यकता होने पर आप उससे पहचान-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं। उसी प्रकार, अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी उनके नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति प्रस्तुत करने के लिये कहा जा सकता है जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित हो और जिस पर निर्वाचन अभिकर्ता की फोटो हो।

1.3 आप यह नोट कर लें कि 'निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लोक सेवक' शब्द में सामान्यतः पुलिस अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं। सामान्य नियम के अनुसार ऐसे अधिकारियों को, चाहे वे वर्दी में हों या सामान्य कपड़ों में, मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, परन्तु आवश्यकतानुसार कानून और व्यवस्था बनाये रखने या किसी ऐसे प्रयोजन से आप उन्हें बुलाने का निर्णय ले सकते हैं। किसी भी बाध्यकारी कारण के बिना मतदान बूथ पर उनकी उपस्थिति ने कुछ अभ्यर्थियों या दलों को शिकायत का अवसर दिया है, जिन्होने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अभिकर्ताओं को अनावश्यक बल के दिखावे द्वारा आतंकित किया गया है।

1.4 इसी प्रकार, निर्वाचक या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के साथ किसी सुरक्षाकर्मी, यदि कोई हो, को मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।

1.5 आप यह भी नोट कर लें कि 'निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लोक सेवक' अभिव्यक्ति में संघ और राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उप-मंत्री सम्मिलित नहीं है। आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार, उक्त व्यक्तियों को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता भी नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं उन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। सुरक्षा गार्ड मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं।

1.6 उपर्युक्तानुसार व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित किया जाना चाहिए अन्यथा निर्बाध और सुचारू रूप से मतदान का संचालन दूषित हो सकता है। आपको एक समय पर तीन या चार निर्वाचकों का ही मतदान केन्द्र में प्रवेश अनुज्ञात करना चाहिए।

1.7 यदि मतदान बूथ पर उपस्थित किसी व्यक्ति के प्रत्यय-पत्र के बारे में आपको युक्तियुक्त सन्देह है तो यदि आवश्यक हो तो, आप उसकी तलाशी करवा सकते हैं चाहे सम्बन्धित व्यक्ति के पास मतदान बूथ में प्रवेश कने का विधिमान्य प्राधिकार पत्र हो।

1.8 अपने कर्तव्यों के पालन में, आप केवल निर्वाचन आयोग के अनुदेशों से आबद्ध है। आपको अपने सरकारी उच्च अधिकारियों या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं से कोई आदेश नहीं लेने हैं या कोई पक्षपात नहीं दिखाना है। इनके मतदान बूथों में प्रवेश करने के अनुरोधों के मामले में भी, आपको उन्हें तभी अनुमति देनी चाहिए जब उनके पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये विधिमान्य प्राधिकार पत्र हों।

1.9 निर्वाचक की पहचान में आपको सहायता करने के लिये या मतदान कराने में आपकी सहायता करने के लिये आपके द्वारा नियुक्त ग्राम अधिकारी या अन्य अधिकारी या महिला परिचारक को सामान्यतः मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बिठाया जाना चाहिए। उनको मतदान केन्द्र में तब ही अनुज्ञात करना चाहिए जब किसी विशिष्ट मतदाता की पहचान या मतदान के सम्बन्ध में किसी विशेष प्रयोजन के लिये सहायता हेतु उसकी आवश्यकता हो। मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को, किसी विशिष्ट तरीके से मत देने के लिये शब्दों या इशारों से मतदाताओं को प्रभावित करने या प्रभावित करने के प्रयत्न की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए।

2. केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा मतदान केन्द्र की प्रक्रिया पर निगरानी :

प्रचलित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मी मतदान केन्द्र के बाहर तैनात किए जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश क्र. 9228/2003 (जनक सिंह विरुद्ध रामदास राय और अन्य) दिनांक 11-1-2005 के परिपालन में, आयोग ने यह निर्देशित किया है कि जिन मतदान केन्द्रों पर सी.पी.एफ. बल तैनात है, उन केन्द्रों पर सी.पी.एफ. बल का एक जवान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तैनात रहे ताकि वह मतदान केन्द्र की प्रक्रिया पर निगरानी रख सके। वह इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश न करे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता न तो मतदान कर्मियों द्वारा, ना ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा बरती जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि सी.पी.एफ. का जवान मतदान केन्द्र के अन्दर न हों।

सी.पी.एफ. बल का जवान जो मतदान केन्द्र के बाहर तैनात है वह निम्न बातों पर विशेष ध्यान दे:-

2.1 मतदान के दौरान किसी भी समय कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केन्द्र में ना पाया जाए।

2.2 मतदान दल का कोई सदस्य अथवा कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में मतदाताओं की अनुपस्थिति के दौरान मतदान न करे।

2.3 कोई भी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता के साथ मतदान कक्ष के अन्दर ना जाएं।

2.4 कोई भी मतदान अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को डराने अथवा इशारों से धमकाने का प्रयास न करें।

2.5 किसी भी प्रकार का हथियार मतदान केन्द्र में ना ले जाया जाए।

2.6 किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अव्यवस्था ना हो।

यदि मतदान केन्द्र के बाहर तैनात सी.पी. बल के जवान द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो वह स्वयं मतदान प्रक्रिया में व्यवधान न करते हुए, घटना की सूचना के पुलिस बल के अधिकारी या पर्यवेक्षक को दे तत्पश्चात् केन्द्रीय पुलिस बल के अधिकारी तुरन्त घटना की लिखित जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर एवं पर्यवेक्षक को आगे उचित कार्यवाही हेतु देंगे।

उन भवनों में जहां एक से अधिक मतदान केन्द्र हों और जहां अधिक संख्या में सी.पी.एफ. बल तैनात हो वहां ड्यूटी हेतु चयनित सी.पी.एफ. बल के एक ही जवान को दोनों मतदान केन्द्रों पर निगरानी हेतु निर्देशित किया जा सकता है। जवान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उसकी सूचना के.पु. बल के अधिकारी या पर्यवेक्षक को लिखित में आगे की कार्यवाही हेतु देंगे।

जिन प्रकरणों में सी.पी.एफ. द्वारा प्रतिकूल सूचना दी जाए, उनकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर/पर्यवेक्षक द्वारा आयोग को आगामी निर्देश हेतु दी जाएगी।

आयोग के निर्देशानुसार सी.पी.एफ. जवान मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर तैनात रहें जहां उनकी तैनाती की गई है। और मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तैनात सी.पी.एफ. के जवान मतदान केन्द्र के अन्दर मत डालने के लिये आने वाले मतदाताओं का सत्यापन नहीं करेंगे क्योंकि यह सत्यापन करने का दायित्व मतदान कर्मियों का है। उसे मतदान केन्द्र के अन्दर तैनात नहीं होना चाहिए।

3. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्रों का प्रस्तुत किया जाना :

3.1 आयोग द्वारा हाल ही में उसके पूर्व के निर्देशों/आदेशों की समीक्षा के बाद मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, में परिवर्तन किया है एवं जिनका पालन किया जाना है। चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है कि उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान क्षेत्र का निवासी एवं मतदाता हो। इन मतदान अभिकर्ताओं के पास मतदाता परिचय-पत्र आवश्यक रूप से हो। यदि चुनाव उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित मतदान अभिकर्ता के पास मतदाता परिचय-पत्र नहीं हो, तब रिटर्निंग आफिसर उम्मीदवार के लिखित आवेदन पर, उस मतदाता को मतदाता फोटो परिचय-पत्र जारी करने हेतु प्रबंध करें। इस बात का ध्यान रखें कि मतदान के दिन समस्त मतदान अभिकर्ता अपना मतदाता फोटो परिचय-पत्र अपने शरीर पर लगाये रहेंगे ताकि मतदान वाले दिन उनकी पहचान जल्दी एवं सही तरीके से हो सके।

3.2 प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 10 में वह नियुक्ति-पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसके द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है। इसी जांच करें कि नियुक्ति आपके मतदान केन्द्र के लिये ही है। मतदान अभिकर्ता को तब दस्तावेज को पूर्ण कर और उसमें दी गई घोषणा पर आपकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए और वह मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सके, इससे पूर्व आपको वह सौंप देने चाहिए। ऐसे समस्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान की समाप्ति पर अन्य दस्तावेजों के साथ उन्हें लिफाफे में रखकर रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दें।

3.3 आपके समक्ष किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा उक्त प्ररूप 10 में प्रस्तुत किये गये नियुक्ति-पत्र की असलीयत के बारे में सन्देह होने पर आपको, अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षरों का मिलान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराये गये उनके नमूना हस्ताक्षरों से करना चाहिए।

4. मतदान अभिकर्ताओं की हाजिरी :

4.1 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को मतदान प्रारंभ होने के कम से कम एक घण्टे पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिये कहा जाना चाहिए। ताकि जब आप प्रारम्भिक व्यवस्थायें कर रहे हों तो वे उपस्थित रहे। यदि इन प्रारंभिक व्यवस्थाओं का कोई भाग पहले पूरा किया जा चुका है तो किसी देर से आने वाले व्यक्ति के लिये कार्यवाही को नये सिरे से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।

4.2 कानूनन, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिये कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं करती है और यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर विलम्ब से भी आता है तो उसे मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

5. मतदान अभिकर्ताओं के लिये पास :

प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये एक मतदान अभिकर्ता और दो आरक्षित मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तथापि, एक समय पर किसी अभ्यर्थी के केवल एक ही मतदान अभिकर्ता का मतदान केन्द्र में प्रवेश अनुज्ञात किया जाना चाहिए। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को जिसको मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया गया है, एक अनुज्ञा-पत्र या पास दें जिसके प्राधिकार से वह आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्र में आ जा सके। यह सुनिश्चित कर लें कि कोई एजेंट मतदाता सूची की प्रति केन्द्र के बाहर न ले जा सकें। मतदान समाप्त होने में आधा घंटा रहने पर किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र के बाहर न जाने दिया जाये न मतदान केन्द्र छोड़ने दिया जाय। आयोग के निर्देशानुसार कोई भी एजेंट मोबाईल फोन या वायरलेस मतदान केन्द्र के अन्दर न ले जाये।

6. मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था :

मतदान केन्द्र इस प्रकार बनाया जाये कि मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र के अन्दर बैठ सकें और मतदान के लिये अन्दर आने वाले मतदाता को देख सकें।

6.1 मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के प्रभारी मतदान अधिकारी के बिल्कुल पीछे बिठाइए। जहां प्रवेशद्वार की स्थिति के कारण ऐसा किया जाना साध्य न हो, वहां उन्हें मतदान अधिकारियों के ठीक सामने बैठाया जायेगा। किसी भी तरह की बैठने की व्यवस्था में, उन्हें निर्वाचकों के चेहरे देखने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पहचान को चुनौती देने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनका मतदान केन्द्र में इधर-उधर आना-जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं बैठाया जाना चाहिये जहां से वह मतदाता को वोट डालते देख सकें और वोट की गोपनीयता भंग हों इसके लिए एजेंट को मतदान अधिकारी के पीछे बैठाये जिनके पास मतदाता सूची की चिन्हित प्रति हो, यदि यह संभव न हो तो एजेंट को निर्वाचन अधिकारी के सामने बैठाया जाये।

6.2 छोटे मतदान केन्द्रों में जहां स्थान का अभाव हो एवं उम्मीदवारों की संख्या अधिक हो, तथा उनके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकर्ताओं को मतदान केन्द्र के अन्दर समाहित न किया जा सके, उस परिस्थिति में पर्यवेक्षक से उचित सलाह ली जाएगी तथा सहमति प्राप्त की जाएगी।

6.3 निर्वाचन आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार, अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं की मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकताओं के प्रवर्गों के अनुसार रखी जायेगी, अर्थात् :-

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी;

(ii) मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी;

(iii) अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दलों के वह अभ्यर्थी, जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है;

(iv) रजिस्ट्रीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी; और

(v) निर्दलीय अभ्यर्थी;

7. मतदान केन्द्र में धूम्रपान का निषेध :

आपको मतदान केन्द्र के भीतर धूम्रपान अनुज्ञात नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता धूम्रपान की इच्छा व्यक्त करे तो वह, मतदान में कोई रुकावट लाये बिना, मतदान केन्द्र से बाहर जाने को कहा जायेगा।

8. प्रेस प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफी के लिये सुविधाएं :

8.1 चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर गंभीर घटनाक्रमों की वीडियोग्राफी के लिये निर्देश जारी किये जा चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव को मान्य करते हुए निर्वाचन आयोग ने अब निर्देशित किया है कि मतदान केन्द्रों के अंदर चल रही मतदान प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी पर्यवेक्षक के साथ विचार-विमर्श के बाद की जा सकती है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाए कि वीडियोग्राफी के दौरान मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो अर्थात् मतदाता को मत डालते हुए ना दर्शाया जाए। किसी भी अनाधिकृत एवं मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी ना की जाए।

8.2 शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के अध्यधीन रहते हुए, किसी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर लाइन में खड़े मतदाताओं की भीड़ के फोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

8.3 न तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और न ही रिटर्निंग ऑफिसर को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो न तो निर्वाचक है और नहीं उससे मतदान करवाने में आपकी सहायता की अपेक्षा की जाती है, मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिये प्राधिकृत करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकार के प्रचार विभाग के पदाधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति को आयोग के प्राधिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी मतदाता द्वारा मतपत्र पर अपना मत चिन्हित करते हुए फोटो लेना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

9. आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के लिये सुविधाएं :

9.1 आजकल निर्वाचन आयोग सामान्यतः निर्वाचन के लिये अपने प्रेक्षक करता है। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 (ख) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त कानूनी प्राधिकारी है।

9.2 मतदान के दिन के दौरान कोई पर्यवेक्षक आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर सकता है। यह संभव है कि वह आपके मतदान केन्द्र के निरीक्षण से ही निर्वाचन क्षेत्र के निरीक्षण का कार्य आरम्भ करे और जब आप मतदान की प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी कर रहे हों, वह वहां उपस्थित हो जाये। जब वह आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण करे, आपको उसके प्रति सम्यक् शिष्टाचार और सम्मान दिखाना चाहिए और उसे ऐसी जानकारी देनी चाहिए जो वह निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिये आपसे अपेक्षा करे, आपको उन्हें

अनुपस्थित मतदाता तथा अन्यत्र भेजे गये मतदाता तथा डुप्लाकेट मतदाता (ए.एस.डी. सूची) की सूची उपलब्ध कराना चाहिये। वह केवल आपके मतदान केन्द्र पर कराये जाने वाले मतदान का निरीक्षण करेगा किन्तु आपको कोई कोई निर्देश नहीं देगा। तथापि, यदि वह निर्वाचकों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने या आपके मतदान केन्द्र पर मतदान मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव देता है तो आपको ऐसे सुझाव पर उचित ध्यान देना चाहिए। यदि आप मतदान केन्द्र पर किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हों या किसी कठिनाई का अनुभव कर रहे हों तो आपको इसे उनके ध्यान में लाना चाहिए ताकि वह आपकी उस समस्या का निराकरण करने या उस कठिनाई को दूर करने में मामले की आवश्यक उपचारिक कार्रवाई के लिये रिटर्निंग ऑफिसर या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी के ध्यान में लाकर सहायता कर सके।

9.3 पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये बैज को अपने शरीर पर लगाये रहेंगे और आयोग द्वारा जारी किये नियुक्ति पत्र और प्राधिकार पत्रों को भी अपने पास रखेंगे। प्रेक्षक से 'विजिट शीट' पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया जायेगा जो आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ संलग्न मिलेगी मतदान के बाद आप इसे जमा करें।

9.4 कभी-कभी एक पर्यवेक्षक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह प्रत्येक मतदान केन्द्र का, जो उसे आवंटित किए गए हैं, दौरा कर सके या पूर्ण समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहे, अतः आयोग ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि मतदान केन्द्रों पर चुनाव कार्य का प्रबंधन सूक्ष्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति द्वारा किया जाए ताकि पर्यवेक्षण का तंत्र मजबूत हो सके। सूक्ष्म पर्यवेक्षक, सामान्य पर्यवेक्षकों के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। सूक्ष्म पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वो मतदान शुरू होने से एक घंटे पूर्व अर्थात् सुबह सात बजे, मतदान केन्द्र पर पहुंचे तथा पूरे दिन मतदान केन्द्र पर रहें। वे मतदान की तैयारियों का आंकलन करें तथा नियमित रूप से महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पूर्व में छपे हुए प्रपत्र पर अंकित करते रहें परन्तु किसी भी स्थिति में सूक्ष्म पर्यवेक्षक, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करें और निर्देश न दें। सूक्ष्म पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान कार्य सही एवं सुचारू रूप से संचालित हो। जिन भवनों में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं वहां एक ही सूक्ष्म पर्यवेक्षक उस भवन के सभी मतदान केन्द्रों का समय-समय पर दौरा कर पर्यवेक्षण कार्य करेंगे। सामान्य पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र के सूक्ष्म पर्यवेक्षकों से सम्पर्क बनाए रखेंगे। हर सूक्ष्म पर्यवेक्षक के पास डी.ई.ओ. द्वारा जारी फोटो पास एवं परिचय पत्र होना चाहिए ताकि उसे मतदान केन्द्रों में प्रवेश की पात्रता हों।

मतदान के दिन पर्यवेक्षण कार्य के तहत् सूक्ष्म पर्यवेक्षक निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें :-

1. दिखावटी मतदान प्रक्रिया।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति से संबंधित निर्देश।
3. मतदान केन्द्रों में पहुंच एवं प्रवेश-पत्रों से प्रवेश की प्रक्रिया का अवलोकन।
4. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदाताओं की सही पहचान।
5. अनुपस्थिति, परिवर्तित तथा डुप्लीकेट मतदाता (ए.एस.डी. लिस्ट) होने की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया।
6. अमिट स्याही को लगाना।
7. रजिस्टर 17-क में मतदाताओं की जानकारी दर्ज करना।
8. मतदान की गोपनीयता।
9. मतदान अभिकर्ता का आचरण एवं उनकी शिकायतें अगर कोई हों इत्यादि।

मतदान के दौरान यदि सूक्ष्म पर्यवेक्षक यह महसूस करता है कि किसी कारणवश मतदान में अनियमितता/उल्लंघन हुई है तो उसे

तुरन्त सामान्य पर्यवेक्षक को किसी भी संचार माध्यम (जो उपलब्ध हो) के द्वारा जैसे फोन या वायरलैस या अन्य द्वारा सूचित करें। मतदान प्रक्रिया के उपरान्त सूक्ष्म पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक को संग्रहण केन्द्र पर जाकर उस दिन की सम्पूर्ण जानकारी/रिपोर्ट लिफाफे में रखकर स्वयं सौंपेंगे। पर्यवेक्षक इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तथा यदि किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो सूक्ष्म परिवेक्षकों को बुलाकर उनसे विस्तृत जानकारी लेना सुनिश्चित करेंगे। इन रिपोर्टों तथा रजिस्टर 17-क में दर्ज जानकारियों के परीक्षण के पश्चात् ही पुनः मतदान या अनुशासनात्मक कार्यवाई (मतदान कर्मचारियों के विरुद्ध) का निर्णय लिया जाएगा।

10. निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित 16 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी :

16. बिन्दुओं पर आधारित क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपने हेतु पीठासीन अधिकारी 16 बिन्दुओं पर आधारित एक अतिरिक्त रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेंगे, जिसमें मतदान, मतदान से संबंधी घटना, मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्ति तक हुई सम्पूर्ण जानकारी का वितरण होगा। जिसे वे क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के साथ अन्य प्रपत्र भी संग्रह केन्द्र पर जमा किए जाएंगे। 16 बिन्दुओं वाली रिपोर्ट का प्रपत्र उपाबंध 15 में है, यदि पीठासीन अधिकारी 16 बिन्दुओं वाली रिपोर्ट तथा अन्य जरूरी प्रपत्र संग्रह केन्द्र पर जमा नहीं कराएंगे तो उन्हें मतदान कार्य से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

11. **मतदान केन्द्र में बैज इत्यादि को लगाये रखना :**

11.1 मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर के भीतर किसी भी व्यक्ति को, अभ्यर्थियों या राजनीतिक नेताओं के नाम और/या उनके प्रतीकों या उनके चित्रात्मक प्रतिनिधित्व वाले बैजों, संप्रतीक इत्यादि को लगाये रखना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार करने से प्रत्याशी के प्रचार का आशय निर्धारित होता है।

11.2 मतदान अभिकर्ता उस अभ्यर्थी के नाम को दर्शित करने वाला बैज शरीर पर लगाये रख सकेंगे, जिसका वह अभिकर्ता है। जिससे कि उनकी तत्काल पहचान की जा सके।

अध्याय-10

मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान मशीन को तैयार करना

1. मतदान के पूर्व तैयारी :

1.1 मतदान केन्द्र पर भेजने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार मशीन की कन्ट्रोल यूनिट को अपने कार्यालय में स्थापित करेगा। किसी मतदान केन्द्र पर मतदान मशीन का वास्तविक उपयोग किये जाने के पूर्व, पीठासीन अधिकारी के स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के साथ-साथ, कुछ तैयारियां मतदान केन्द्र पर की जानी आवश्यक है। ये तैयारियां पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जानी हैं।

1.2 आपको इन प्रारम्भिक तैयारियों की शुरुआत मतदान प्रारम्भ होने के लिये नियत समय से लगभग एक घंटा पूर्व कर देनी चाहिए। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो तो आपको मतदान अभिकर्ता की इंतजारी तक तैयारियों को स्थगित नहीं करना चाहिए और यदि कोई मतदान अभिकर्ता देर से आये तो तैयारियां पुनः शुरू नहीं करनी चाहिए।

2. मतदान यूनिट की तैयारियां :

2.1 मतदान यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से ही पूरी तरह से सम्यक् रूप से तैयार की गई है और मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर इस यूनिट की कोई और तैयारी किया जाना अपेक्षित नहीं है सिवाय इसके कि इसकी परस्पर सम्बद्ध केबल नियंत्रण यूनिट के प्लग में लगानी है।

2.2 मतदान केन्द्र के लिये रवाना होने के पूर्व अन्य मतदान सामग्री के साथ मतदान मशीन लेने के समय, आपको अध्याय 3 के पैरा 2 में उल्लिखित जांच करनी होगी। अनुदेश उसमें दिये गये अनुदेशों के अनुसार, आपको जांच करनी है कि आपको अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें उपलब्ध करायी गयी हैं, प्रत्येक ऐसी यूनिट पर मतपत्र स्क्रीन के अन्दर उचित रूप से लगाये और उचित रूप से पंक्तिबद्ध किये गये हैं, प्रत्येक यूनिट पर स्लाइड स्विच समुचित स्थिति में सैट किया गया है और प्रत्येक यूनिट सम्यक् रूप से सील की गयी है तथा सबसे ऊपर दांये भाग और नीचे के दांये भाग, दोनों पर एट्रेस टैग लगे हैं। नयी सील की जांच-R.O. द्वारा दोनों मतदान मशीनों पर लगाई गई पिंक पेपर सील के सुरक्षित होने की जांच करे। पिंक पेपर सील के क्षतिग्रस्त/कटे-फटे होने पर रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें।

3. मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का परस्पर संयोजन :

3.1 जहां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक है, वहां से एक से अधिक, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करते हुए, एक से अधिक मतदान यूनिटें प्रयुक्त की जायेंगी। किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की जाने वाली ऐसी समस्त मतदान यूनिटें परस्पर जुड़ी हुयी होंगी और केवल पहली मतदान यूनिट नियंत्रण यूनिट से संबद्ध होगी।

3.2 मतदान यूनिटें इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध होंगी कि द्वितीय मतदान यूनिट अर्थात् मतदान यूनिट जिसमें स्लाइड स्विच 2 स्थिति पर सैट किया हुआ है, पहली मतदान यूनिट जिसमें स्लाइड स्विच 1 स्थिति पर सैट किया हुआ है, से सम्बद्ध होगी। जहां तीन मतदान यूनिटें प्रयुक्त की जानी हैं वहां तीसरी मतदान यूनिट दूसरी मतदान यूनिट से सम्बद्ध होगी और दूसरी पहली से, और जहां सभी चारों मतदान यूनिटें प्रयुक्त की जानी हैं, वहां चौथी यूनिट तीसरी से सम्बद्ध होगी, तीसरी दूसरी से और इसी प्रकार आगे भी।

चार मतदान इकाईयों के परस्पर संयोजन को दर्शाता चित्र

Diagram showing the interconnection of the four Ballot Units

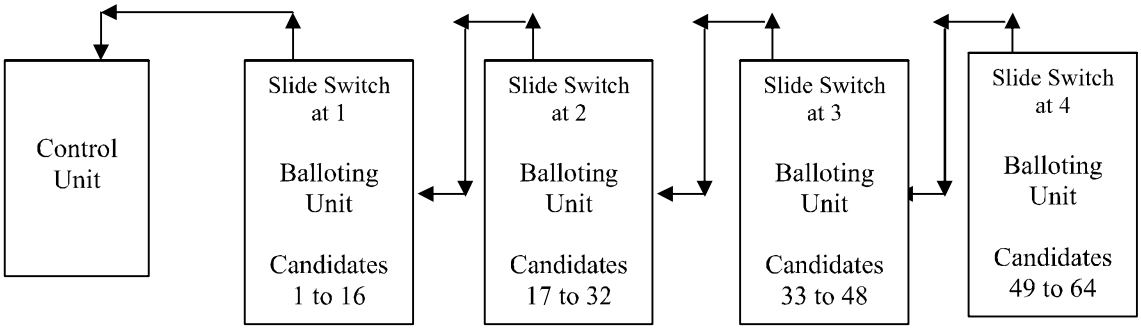

3.3 किसी मतदान यूनिट को दूसरी से जोड़ने के लिये मतदान यूनिट के पीछे के भाग में उपलब्ध एक कक्ष में एक सॉकेट है। दूसरी मतदान यूनिट के परस्पर सम्बद्ध केबल का कनेक्टर, पहली मतदान यूनिट के ऊपर उल्लिखित सॉकेट के प्लग में लगाया जायेगा। इसी तरह, तीसरी मतदान यूनिट के परस्पर सम्बद्ध केबल का कनेक्टर दूसरी यूनिट के प्लग में लगाया जायेगा और चौथी यूनिट का तीसरी यूनिट में।

3.4 उपर्युक्त उल्लेख अनुसार, केबल पहली मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से प्लग किया जायेगा। नियंत्रण यूनिट का सर्किट, जिसमें मतदान यूनिट का परस्पर सम्बद्ध केबल प्लग किया जायेगा, नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में उपलब्ध है।

3.5 नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर' स्विच भी है और जब इस स्विच को 'ऑन' स्थिति में किया जाता है तो मतदान मशीन की बैटरी क्रियाशील हो जाती है और नियंत्रण यूनिट और समस्त मतदान यूनिटों को, जब ऊपर वर्णित रीति से नियंत्रण यूनिट से जोड़ा जाये, बिजली का प्रदाय करती है।

टिप्पणी :-

(1) जब एक से अधिक मतदान यूनिटें उपयोग में लायी जा रही हों, तब उन्हें ऊपर पैरा 3.2 में यथा-उल्लिखित उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर सम्बद्ध करना चाहिए। मतदान यूनिटों को गलत प्रकार से जोड़ने से मशीन अक्रियाशील हो जायेगी और नियंत्रण यूनिट के किसी बटन को दबाने पर नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पेनल पर सम्बद्ध गलती उपदर्शित करते हुए अक्षर 'एल ई लिंक एरर' दिखाई देंगे। सम्बद्ध गलती को दूर करने के लिये मतदान यूनिटों को उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर सम्बद्ध करना चाहिए।

(2) परस्पर सम्बद्ध केबल का कनेक्टर, जिसका एक सिरा मतदान यूनिट से जुड़ा हुआ है, एक मल्टी-पिन कनेक्टर है। कनेक्टर, अन्य मतदान यूनिट या नियंत्रण यूनिट के सॉकेट में केवल एक रास्ते से ही जाता है जिसका पिनों के स्थिति और कनेक्टर के हुड पर लिखे या उत्कीर्ण शब्द 'टॉप' को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। कनेक्टर की पिनें बहुत नाजुक होती हैं और कनेक्टर को सॉकेट में इतनी जोर से नहीं डालना चाहिए, जिससे पिन क्षतिग्रस्त या मुड़ जाये। मशीन केवल तब ही कार्य करेगी जब कनेक्शन उचित रूप से किया जायेगा।

(3) परस्पर सम्बद्ध केबल के कनेक्टर का, नियंत्रण यूनिट से या अन्य मतदान यूनिट से, सम्बद्ध विच्छेद केवल कनेक्टर हुड के दोनों तरफ के स्प्रिंग आकार के क्लिपों को मुक्त करके किया जा सकता है। ये स्प्रिंग टाइप क्लिप तब निर्मुक्त होंगे, जब एक साथ आन्तरिक रूप से दबाये जायें और स्प्रिंग टाइप क्लिप को ऐसे ही दबायें रखते हुए कनेक्टर को तब खींचा जाना चाहिए।

(4) मतदान यूनिटों और नियंत्रण यूनिट उचित रूप से जोड़ने या अलग करने के लिये कुछ अभ्यास अपेक्षित हैं ताकि मशीन को क्षति कारित करने से बचा जाये। यह दृष्टिकोण मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से रखना चाहिए और आपको स्वयं मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को सम्बद्ध करना चाहिए।

अध्याय-11

नियंत्रण यूनिट की तैयारी

1. नियंत्रण यूनिट की जांच :

1.1 मतदान केन्द्र के लिये रवाना होने से पहले वितरण केन्द्र पर नियंत्रण यूनिट की डिलीवरी लेते समय, आपको अध्याय 3 के पैरा दो में यथा-उल्लेखित नियंत्रण यूनिट की जांचें करनी है।

1.2 आपने पहले ही जांच कर ली होगी कि नियंत्रण यूनिट का 'कैंड सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से सील किया हुआ है और एड्रेस टैग इसके साथ मजबूती से लगे हैं और कि उस भाग में लगी बैटरी पूर्णतः क्रियाशील है।

2. नियंत्रण यूनिट की तैयारी :

2.1 इसके पूर्व कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें मतदान केन्द्रों पर सौंपी जाएँ, मतदान केन्द्र पर किसी नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लेने के पूर्व, रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर, बैटरी लगाने के लिए और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थापन के लिये उसमें की गयी तैयारियों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा कन्ट्रोल यूनिट के मतदान केन्द्र पर उपयोग से पहले मतदान केन्द्र पर कुछ और तैयारियां करनी आवश्यक हैं।

2.2 पीठासीन अधिकारी द्वारा नियंत्रण यूनिट पर की जाने वाली तैयारियां निम्न प्रकार से हैं :-

(i) नियंत्रण यूनिट को मतदान यूनिट या जहां एक से अधिक मतदान यूनिटें उपयोग में लायी जानी हो, वहां दूसरी मतदान यूनिटों को उपरोक्त वर्णित विधि के अनुसार सम्बद्ध करें।

(ii) पावर स्विच को 'ऑन' स्थिति में करने;

(iii) ऊपर (i) और (ii) पर किये गये कृत्यों के पालन के पश्चात् पिछले कक्ष को बन्द करने;

(iv) दिखावटी मतदान का संचालन करने (अध्याय 12 में यथावर्णित);

(v) दिखावटी मतदान के पश्चात् मशीन को क्लीयर करना और समस्त गणनाओं को 'जीरो' पर सेट करने (अध्याय 12 में यथावर्णित);

(vi) पावर बटन को 'ऑफ' की अवस्था में लाना;

(vii) परिणाम सेक्शन आन्तरिक कक्ष को सुरक्षित करने के लिए ग्रीन पेपर सील (सीलें) लगाने; और (अध्याय 13 के अनुसार)।

(viii) परिणाम सेक्शन के अन्दरूनी दरवाजे को बन्द करके सील लगाना और उस पर एड्रेस टैग व स्ट्रिप सील लगायें (अध्याय 14 के अनुसार)।

(ix) परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द करने और स्ट्रीप सील लगाना (अध्याय 143 में यथावर्णित)।

3. नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को जोड़ना :

3. मतदान यूनिट या प्रथम मतदान यूनिट, जहां एक से अधिक मतदान यूनिट प्रयुक्त की जा रही हैं, की परस्पर सम्बद्ध केबल के प्लग को नियंत्रण यूनिटके पिछले कक्ष में प्रयोजन के लिए उपलब्ध सॉकेट में डालना चाहिए। नियंत्रण यूनिट को को मतदान यूनिट से सम्बद्ध करते समय, आपको अध्याय 10 के पैरा 3 में यथावर्णित आवश्यक सावधानियां अपनानी चाहिए।

4. पावर 'ऑन' करना :

मतदान मशीन बैटरी से कार्य करती है जो रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर नियंत्रण यूनिट के 'कैडं सैट सेक्शन' में लगायी जाती है। बैटरी को क्रियाशील करने के लिए नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में एक बिजली का स्विच उपलब्ध है जो, नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों), जब उन्हें परस्पर संबंध किया जाता है, दोनों को बिजली प्रदाय करेगी। आप पावर स्विच को आन को स्थिति में लाए, तुरन्त ही आपको (कंट्रोल यूनिट) से बीप की आवाज सुनाई देगी तथा हरी बत्ती जलती दिखाई देगी। उन्नत स्तर की मशीन जिसमें कन्ट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऊपर की ओर दबाने से 'आन' की स्थिति में रहती है बीप की आवाज आयेगी और कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर ऑन लैम्प हरा प्रकाश के साथ चमकेगा और निम्नलिखित चित्र बारी-बारी से डिस्प्ले चैनल पर दिखाई देगी।

EVM IS ON ECI	
DTE 16-01-07 TME 09-43-34	दिनांक - दिन- माह- वर्ष तथा टाईम - घन्टे- मिनट - सेकन्ड दिखाता हुआ
SLNO-H00003	कन्ट्रोल यूनिट का सरल/क्रमांक दिखाता हुआ
CANDIDATES 10	उम्मीदवारों की 10 संख्या दिखाता हुआ (यह मानते हुए कि निर्वाचन क्षेत्र में 10 अभ्यर्थी हैं)
BATTERY HIGH	बैटरी की हाई स्थिति दिखाता हुआ

5. पिछले कक्ष को बन्द करना :

इसके पश्चात् आपको पिछला कक्ष बन्द करना चाहिए। इसे पक्की तरह से बन्द करने के लिए इस प्रयोज के लिए उपलब्ध दो छेदों में एक धागे की सहायता से गांठ लगाकर बंद कर दें। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि पिछले कक्ष को सील नहीं करना है, क्योंकि मतदान की समाप्ति के पश्चात् बिजली का स्विच 'ऑफ' करने के लिए और मतदान यूनिट से अलग करने के लिए इसे पुनः खोला जाना अपेक्षित है।

अध्याय-12

दिखावटी मतदान सम्पन्न करना

'क्लीयर' मतदान मशीन का प्रदर्शन :

1.1 मतदान प्रारंभ करने के पूर्व, आपको न केवल स्वयं बल्कि उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को भी सन्तुष्ट करना चाहिए कि मतदान मशीन एकदम चालू हालत में है और मशीन में पहले से कोई भी मत रिकॉर्ड किये हुए नहीं है।

1.2 ऐसे समाधान के लिए, आपको सबसे पहले उपस्थित समस्त व्यक्तियों को 'क्लीयर' बटन दबाकर दिखाना चाहिए कि समस्त गणनांक जीरों पर सैट किये गये हैं। 'क्लीयर' बटन नियंत्रक यूनिट के परिणाम सेक्शन के कक्ष में उपलब्ध है। यह कक्ष एक आन्तरिक द्वार और एक बाहरी कवर से ढ़का हुआ है। आन्तरिक द्वार 'क्लीयर' बटन, 'रिजल्ट I' बटन और 'रिजल्ट II' बटन से युक्त कक्षों को कवर करता है और बाहरी कवर आन्तरिक द्वार के ऊपर उपलब्ध है और 'क्लोज' बटन से युक्त कक्षों को कवर करता है और बाहरी कवर आन्तरिक द्वार से ऊपर उपलब्ध है और 'क्लोज' बटन से युक्त कक्ष को भी कवर करता है। 'क्लीयर' बटन तक पहुंचने के लिए आपको बायीं और उपलब्ध सिटकिनी को अन्दर की ओर धीरे से दबाकर पहले बाहरी कवर को खोलना चाहिए। तत्पश्चात् ' रिजल्ट I' बटन और 'रिजल्ट II' के ऊपर दो छेदों में अंगूठा और एक अंगुली डालकर और उसके पश्चात् सिटकिनी को एक साथ अन्दर की ओर धीरे से दबाकर आन्तरिक द्वार को खोला जा सकता है। किसी भी स्थिति में ऊपर वर्णित रीति में सिटकिनी को खोले बिना आन्तरिक द्वार को बलपूर्वक नहीं खोलना चाहिए अन्यथा यह अतिमहत्वपूर्ण कक्ष क्षतिग्रस्त हो जायेगा।

1.3 जब 'क्लीयर' बटन को दबाया जायेगा तब नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से प्रदर्शित होनी आरम्भ हो जायेगी :-

सीडी	9
टोटल	0
01	0
02	0
03	0
04	0
05	0
06	0
07	0
08	0
09	0
(यदि मशीन 9 अभ्यर्थियों के लिए सैट की गयी हो)	End

प्रत्येक संकेत के पश्चात् बीप साउन्ड

नोट : यदि 'क्लीयर' बटन दबाने पर, प्रदर्शन पैनल ऊपर दर्शितानुसार जानकारी प्रदर्शित नहीं करता है तो इसका यह अर्थ होगा कि मशीन को क्लीयर करने के लिए आवश्यक आरम्भिक क्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। मशीन क्लीयर करने के लिए यह सुनिस्चित कर लें कि मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को उचित रूप से सम्बद्ध कर दिया गया है। 'क्लोज' बटन दबाइए और तत्पश्चात् 'रिजल्ट बटन दबाइए। अब 'क्लीयर' बटन को दबाइए, प्रदर्शन पैनल ऊपर दर्शितानुसार जानकारी प्रदर्शित करना आरम्भ कर देगा। (उन्नत स्तर की मशीन के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शन उपरोक्त प्रदर्शन से भिन्न है। जिसे अगले अध्याय में अलग से बताया गया है)।

1.4 प्रदर्शन पैनल पर उपर्युक्त जानकारी का प्रदर्शन, मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं का इस बात का समाधान कर देगा कि मशीन में पहले से ही कोई मत रिकॉर्ड किये हुए नहीं हैं।

2. दिखावटी मतदान :

2.1 उपर्युक्त प्रदर्शन करने के पश्चात् कि मशीन में पहले से कोई मत रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है,आपको अचानक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकॉर्ड करके दिखावटी मतदान आयोजित करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता प्रतिनिधि नहीं कर रहा, तब आप उस अभ्यर्थी के कुछ वोट गिनकर फिर उसका परिणाम मशीन से मिलान कर सकते हैं।

2.2 इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्रियाओं का पालन कीजिए:-

(क) नियंत्रण यूनिट के मत सेक्शन के 'बैलट' बटन को दबाइए। 'बैलट' बटन के दबाने पर प्रदर्शन सेक्शन में का 'बिजी' लैम्प लाल चमकेगा। इसके साथ-साथ मतदान यूनिट पर का 'रेडी' लैम्प लैम्प भी हरा चमकना आरम्भ कर देगा।

(ख) किसी भी मतदान अभिकर्ता से, उसकी पसंद के अनुसार, मतदान यूनिट पर के किसी भी अभ्यर्थी के बटन को दबाने के लिए कहो। ध्यान रहे कि प्रत्येक बटन कम से कम एक बार दबाया गया हो ताकि वह सुनिश्चित हो जाए कि प्रत्येक बटन जांचा गया है और सही कार्य कर रहा है।

(ग) अभ्यर्थी का बटन इस प्रकार दबाये जाने पर, मतदान यूनिट पर का 'रेडी' लैम्प बुझ जायेगा और बटन के पास अभ्यर्थी का लैम्प लाल चमकने लगेगा। नियंत्रण यूनिट से निकलती हुई बीप साउन्ड भी सुनाई देगी। कुछ सैकण्ड पश्चात् अभ्यर्थी के लैम्प की लाल बत्ती, 'बिजी' लैम्प की लाल बत्ती और बीप साउन्ड बन्द हो जायेगी। यह इस बात का संकेत होगी कि अभ्यर्थी, जिसका बटन दबाया गया है, का मत नियंत्रण यूनिट में रिकॉर्ड कर लिया गया है और मशीन अगला मत धारण करने के लिए अब तैयार है।

(घ) शेष रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक या अधिक मत रिकॉर्ड करने हेतु पूर्ववर्ती पैरा (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करें। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में इस प्रकार रिकॉर्ड किये गये मतों का सतर्कतापूर्वक लेखा रखें।

(ङ) जब मत इस प्रकार रिकॉर्ड किये जा रहे हों, तब नियंत्रण यूनिट के मत सेक्शन पर के 'टोटल' बटन को यह जांच करने के लिये किसी भी समय दबाया जाये कि मशीन में रिकॉर्ड किये गये कुल मत उस समय तक डाले गये मतों की संख्या से मेल खाते हैं।

नोट : 'टोटल' बटन को किसी अभ्यर्थी के लिये मत रिकॉर्ड करने के पश्चात् और प्रदर्शन सेक्शन में के 'बिजी' लैम्प के बन्द होने पर ही दबाया जाना चाहिए।

(च) दिखावटी मतदान की समाप्ति पर, परिणाम सेक्शन के 'क्लोज' बटन को दबायें। इस प्रकार 'क्लोज' बटन दबाये जाने पर, प्रदर्शन सेक्शन में के प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से दर्शित करेंगे:-

एनपी	1
उम्मीदवार	9
टोटल	54
	समाप्त

(यदि डाले गये मतों की संख्या 54 है)

नोट : समय की उपलब्धता के अध्यधीन, दिखावटी मतदान में अधिक मत रिकॉर्ड करने की अनुज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के रिकॉर्ड किये गये मतों की संख्या समान होनी चाहिए।

(छ) अब परिणाम सेक्शन में के 'रिजल्ट I' चिन्हित बटन को दबाइए। उस बटन को दबाये जाने पर, प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से दर्शित करना आरंभ कर देंगे :-

सीडी	9
टोटल	54
01	6
02	6
03	6
04	6
05	6
06	6
07	6
08	6
09	6
	समाप्त

(यह केवल उदाहरण मात्र है)

(ज) आगे, दिखावटी मतदान के दौरान रिकॉर्ड किये गये मतों के लेखों को 'क्लीयर' बटन दबाकर क्लीयर करें। 'क्लीयर' बटन को इस प्रकार दबाये जाने पर, ऊपर पैरा 1.3 में यथावर्णित समस्त गणनांक 'जीरो'दर्शायेंगे।

(झ) अध्याय 8 के अनुसार आपको दिखावटी मतदान कर सुनिश्चित करना है कि ई.व्ही.एम. मशीन (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) एकदम सही है। पश्चात् दिखावटी मतदान रिजल्ट को क्लीयर करे एवं एक प्रमाण-पत्र बनाये। यदि पर्यवेक्षक या आपके द्वारा यह पाया जाता है कि दिखावटी मतदान के परिणाम कंट्रोल यूनिट में हटाए नहीं गए हैं और यूनिट को सील करने के पश्चात् वास्तविक मतदान की प्रक्रिया चल रही है तो आप तुरन्त मतदान बंद करवाएं तथा कंट्रोल यूनिट को बंद कर नई मशीन से मतदान शुरू करवाएं। प्रयास करें कि मतदान निलंबित करने के पूर्व मतदान कर चुके मतदाताओं को पुनः ढूंढें तथा बुलाए तथा उन्हें पुनः मतदान करने हेतु मान्य करें। उनके बॉयें हाथ की उंगली पर निशान लगाने की कोई विधि उपयोग करें ताकि उन्हीं मतदाताओं द्वारा दोबारा/अनेक बार मतदान करने से रोका जा सके।

2.3 मतदान के दौरान मशीन बदलने पर दिखावटी मतदानः-

(क) मतदान के दौरान यदि बैलेट यूनिट का कन्ट्रोल यूनिट में कोई खराबी आ जाती है तो मशीन का पूरा सैट ही बदला जायेगा। मशीन का नया सैट मतदान में उपयोग में लेने से पूर्व उस पर भी दिखावटी मतदान किया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जो ऊपर बतायी गयी है, किन्तु इसमें फर्क यह रहेगा कि नयी मशीन पर दिखावटी मतदान में प्रत्येक अभ्यर्थी को एक-एक वोट दिलाया जाना प्रर्याप्त होगा।

(ख) ऐसे प्रकरण में भी दिखावटी मतदान का नया प्रमाण पत्र भी पीठासीन अधिकारी को देना होगा, और पहले तैयार किये हुये मूल प्रमाण-पत्र में भी इस आशय का नोट अंकित किया जायेगा कि मशीन बदल दी गयी है।

अध्याय-13

नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील का लगाया जाना

1. ग्रीन पेपर सील का लगाया जाना :

1.1 मत की गोपनीयता को बनाए रखने की दृष्टि से, मतदान परम्परागत पद्धति में जहां मतपत्र और मतपेटियां उपयोग में ली जाती हैं, वहां आयोग द्वारा विशेष रूप से मुद्रित ग्रीन पेपर सील लगाकर मतपेटियों को मुहरबंद और सुरक्षित किया जाता है। मतपेटी में एक बार ग्रीन पेपर सील लगाकर मतपेटियों को मुहरबन्द और सुरक्षित किया जाता है। मतपेटी में एक बार ग्रीन पेपर सील लगा दी जाये और पेटी का ढक्कन बन्द कर दिया जाये तो पेटी को तब तक खोला नहीं जा सकता और उसमें डाले गये मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या गणना के लिए नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि ग्रीन पेपर सील को फाड़ नहीं दिया जाये। इसी प्रकार के रक्षोपाय मतदान मशीन में उपलब्ध कराये गये हैं ताकि एक बार नियंत्रण यूनिट मुहरबंद कर दी जाये और मतदान प्रारंभ हो जाये तो कोई भी मतदान प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसे प्राप्त और सुनिश्चित करने के लिए, वही ग्रीन पेपर सील जो मतपेटी को सुरक्षित करने के लिये प्रयुक्त की जाती है, मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट में लगाने की व्यवस्था की गयी है।

1.2 पेपर सील लगाने के लिए नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के द्वार के अन्दर की ओर एक फ्रेम उपलब्ध है। (भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित मतदान मशीनों के मामले में, उक्त फ्रेम में दो पेपर सील लगायी जाती हैं और तदानुसार उस कम्पनी द्वारा विनिर्मित मतदान मशीनों को नियंत्रण यूनिटों में दो पेपर सील प्रयुक्त की जाती हैं।) इसी फ्रेम पर हरा कागज चिपकाने से पूर्व पेपर सील की सफेद सतह पर पीठासीन अधिकारी को पेपर सील के क्रम संख्यांक के ठीक नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर के उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

1.3 भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा निर्मित मशीन के संदर्भ में दो क्रमों की व्यवस्था है। जिसमें दो पेपर सील चिपकाये जाने की व्यवस्था है। अतः दो पेपर सील को मशीन के कन्ट्रोल यूनिट में लगाया जायेगा। (जबकि इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा निर्मित उच्च कोटि की वोटिंग मशीन में केवल एक फ्रेम होगा और केवल एक ग्रीन पेपर सील लगाया जायेगा।)।

1.4 सील इस प्रकार लगायी जानी चाहिए ताकि उसकी हरी सतह (Green surface) छेद में से बाहर दिखायी दे। जब हरी कागज सील वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट पर लगायी जाएगी तब वह नीचे दर्शाये गए चित्र जैसा दिखेगा।

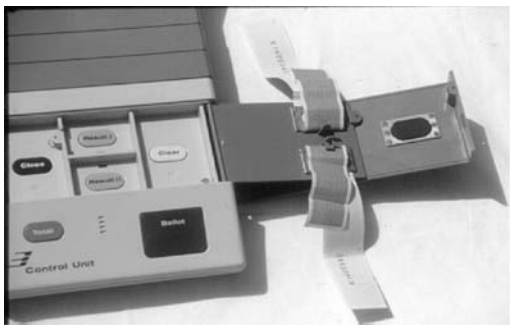

बीईएल मशीन

ईसीआईएल मशीन

1.5 यह सुनिश्चित कर लें कि खराब पेपर सील का प्रयोग न हो। यदि प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा हो तो अन्दर के कक्ष का दरवाजा बन्द होने से पहले उसे उसी समय बदल दें।

2. पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

पेपर सील लगाये जाने के पश्चात्, आन्तरिक कक्ष के द्वार को दबाकर बन्द किया जाना चाहिए। इसे ऐसी रीति से बन्द किया जाना चाहिए कि पेपर सील के दोनों किनारे आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर निकले रहें।

3. पेपर सील का लेखा :

3.1 आपको मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए उसे दी गयी पेपर सील और उसके द्वारा नियंत्रण यूनिट को सील करने और सुरक्षित करने के लिए वास्तविक रूप से उपयोग में ली गयी पेपर सील का सही लेखा रखना चाहिए। ऐसा लेखा उसके द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 17-ग के भाग-1 के मद 9 द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्टतः प्ररूप में रखा जायेगा।

3.2 आपके द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों याउनके अभिकर्ताओं को इस प्रकार उपयोग के लिए दी गयी और वास्तविक रूप से उपयोग में ली गयी पेपर सील के क्रम संख्यांक नोट करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

अध्याय-14

नियंत्रण यूनिट को बन्द और सील करना

1. परिणाम सेक्शन का आन्तरिक कक्ष बन्द और सील करना

1. ''स्पेशल टैग'' : इसका स्वरूप इस प्रकार है :-

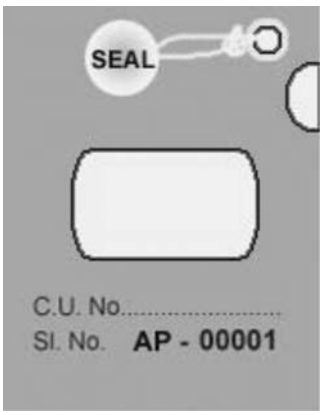

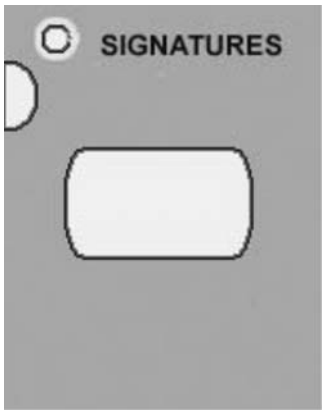

1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दो विभिन्न प्रकारों के निम्नांकित प्रकारों में उपयोग हो रहे स्पेशन टैग के आकार निम्नानुसार हैः-

ई.सी.आई.एल. मशीन : 7 से.मी. × 5.5 से.मी.

बी.ई.एल. मशीन : 7.5 से.मी. × 5.5 से.मी.

पोस्ट कार्ड की मोटाई के बराबर इसकी मोटाई होती है। सीधे कोने पर एक छेद है ऊपर एक मेटल रिंग है ताकि उसमें धाका डालकर सील कर दिया जाए। सीधे हाथ पर के छेद के नीचे स्पेशल टैग पर एक गोल कटा हुआ स्थान जिसमें परिणाम विभाग का 'डोर नाव' फिट हो जाता है। स्पेशल टैग के बीच में एक खुली हुई जगह है ताकि जब परिणाम विभाग के क्लोज (Close) बटन पर टैग लगाया जाय तो वह दिखाई दे ताकि टैग को छेड़े बिना क्लोज (Close) बटन को दबाया जा सके।

कन्ट्रोल यूनिट नम्बर :

1.2 स्पेशन टैग प्रयुक्त करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखेगा।

हस्ताक्षर :

1.3 स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मतदान केन्द्र (पोलिंग स्टेशन) में उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से स्पेशल टैगके पीछे, यदि वे चाहें, उनसे हस्ताक्षर करने हेतु भी कहा जायेगा। आप स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या को पढ़ कर सुना दें और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कहें।

1.4 ग्रीन पेपर सील लगाने और सुरक्षित करने और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त क्लियर बटन और रिजल्ट बटन के ऊपर के अन्दरूनी भाग को दबाकर स्थिर (फिट) और बन्द कर दिया जाय। जब अन्दरूनी भाग को स्पेशल टैग से सील कर दिया जाय तथा इस तरीके से बन्द किया जाए कि पेपर सील के दो खुले सिरे लगाकर अन्दर के दरवाजे के किनारों को बाहर से प्रदर्शित करें। फिर इस अन्दर के दरवाजे को विशेष टेग से सील कर दिया जाए। इस हेतु आप इसके लिये रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति किया गया उच्च क्वालिटी का दो सूती धागा अन्दरूनी दरवाजे में उपलब्ध छेद तथा स्पेशल टेग में उपलब्ध मेटल रिंग वाले छेद से डाला जाए।

1.5 आपके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि खराब या टूटा स्पेशल टैग किसी भी केस में उपयोग में नहीं लाया जाए। यदि किसी कारण स्पेशल टैग खराब हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए। इसी काम के लिये इस कार्य हेतु 'ग्रीन पेपर सील' के समान रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आपको 3 या 4 स्पेशल टैग देगा।

1.6 यह सब करने के बाद, धागे की एक गांठ बनाकर स्पेशल टैग पर सीलिंग लाख लगाकर धागे से सील करें। तत्पश्चात् सील को बिना तोड़े आप स्पेशल टैग को 'क्लोज' बटन के कक्ष में इस तरह समायोजित करें कि 'क्लोज' बटन उस छेद जो कि स्पेशल टैग के बीच में काटा गया है, से बाहर निकले।

बी.ई.एल. मशीन टैग द्वारा
अंदरूनी भाग को बंद करना

विशेष टैग द्वारा अंदरूनी भाग सील करना
ई.सी.आई. एल. मशीन

2. परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द और सील करना :

2.1 नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन केआन्तरिक कक्ष को बन्द और सील करने के पश्चात् परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को, उस सेक्शन को बन्द करने के लिए दबाया जाना चाहिए। बाहरी कवर को दबाये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि पेपर सील के दो खुले सिरे बाहरी कवर के दोनों किनारों के बाहर की ओर भी निकले रहें।

2.2 परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करने के पश्चात् उस कवर को (i) बाहरी कवर की बायीं ओर इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छेदों में से एक धागा डालकर, (ii) पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ थ्रेड सील लगाकर और (iii) लेबल (एड्रेस टैग) लगाकर, जैसा रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर 'कैंडिडेट सैट सेक्शन' में लगाया गया है, मुहरबन्द किया जाना चाहिए। जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

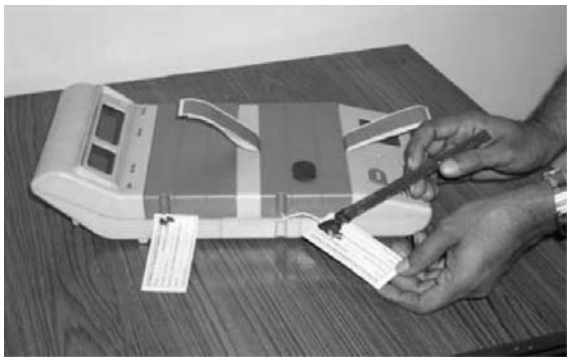

2.3 एड्रेस टैग में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :-

..... निर्वाचन क्षेत्र
से ..... निर्वाचन के लिए
नियंत्रण यूनिट सं. .....
मतदान केन्द्र की क्रम सं. और नाम .....
मतदान की तारीख .....

2.4 रिटर्निंग ऑफिसर मतदान सामग्री के भाग के रूप में पर्याप्त संख्या में खाली मुद्रित एड्रेस टैग उपलब्ध करावेगा। आपको एड्रेस टैग में विशिष्टियां सतर्कता पूर्वक भरनी चाहिए। इसके नीचे के हिस्से में प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम सं. लिखी जानी चाहिए।

2.5 उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्त्ताओं को भी बाहरी कवर पर उनकी मुहर लगाया जाना अनुज्ञात किया जाना चाहिए, यदि वे ऐसा करना चाहें।

2.6 आन्तरिक कक्ष और बाहरी कवर को इस प्रकार बन्द करने और सील करने से सम्पूर्ण परिणाम सेक्शन मुहरबन्द और सुरक्षित हो जायेगा तथा नियंत्रण यूनिट द्वारा रिकॉर्ड किये गये मतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

3. स्ट्रिप सील :

3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सीलिंग कार्यों में सुधार लाने हेतु भारत निर्वाच आयोग ने एक बाहरी सील को छापने की अनुमति दी है जिससे कि कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम कक्ष को एक बाहरी कागज की पट्टी से (जिसको कि अब स्ट्रिप सील कहा जायेगा) से सील करने की सुविधा प्रदान की है, ताकि कन्ट्रोल यूनिट के इस क्षेत्र को खोला न जा सके। जब मतदान शुरू हो गया हो और जब तक कि मतगणना समाप्त हो चुकी हो, यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जब मशीन में मतदान केन्द्र में पहला वोट डाला गया हो और जब तक मतगणना मेज तक न आ जाये कोई भी व्यक्ति परिणाम कक्ष को बिना स्ट्रिप सील को नुकसान पहुंचाये न खोल सके।

3.2 निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि हर मतदान केन्द्र स्ट्रिप सील जहां EVM का इस्तेमाल होना है, कन्ट्रोल यूनिट को बाहर से स्ट्रिप सील से सुरक्षित एवं सील दी जाएगी ताकि स्ट्रिप सील को नुकसान पहुंचाए बिना यह सेक्शन खोला न जा सके। स्ट्रिप सील रिजल्ट सेक्शन से बाहरी कव्हर स्थित की जाएगी जो क्लोज बटन की रबर कवरिंग स्ट्रिप सील से ढंक न जाए। (इससे क्लोज बटन दबाने के लिये प्लास्टिक केप हटाने की आसानी होगी- आकस्मिंक स्थिति में बूथ केपचरिंग की स्थिति में)।

स्ट्रिप सील बनावट :

(i) स्ट्रिप सील कागज की एक सील होती है जिसकी निम्न नाप होती है। 23.5 इन्च (लम्बाई) और 1 इन्च (चौड़ाई)। पट्टी की लम्बाई ऐसी होती है जिसे की कन्ट्रोल यूनिट की चौड़ाई पर आसानी से लपेटा जा सके ताकि मतदान से पूर्व और जब अन्य जरूरी सीलों को कन्ट्रोल यूनिट पर लगाया जा चुका हो कन्ट्रोल यूनिट को एक बाहरी सील मिल जाये।

(ii) स्ट्रिप सील पर एक विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।

(iii) यह स्ट्रिप सील एक ऐसे संस्थान से उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे कि आयोग ने अधिकृत किया है प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक राज्य के लिये अलग से क्रय करेंगे।

(iv) स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार स्टीकर लगे हुये हैं इसमें से तीन हिस्सों का वर्ग एक वर्ग इन्च (अक्षर A, B, C) द्वारा पहचाने जायेंगे और एक का वर्ग दो वर्ग इन्च होगा (D अक्षर से पहचाना जायेगा) प्रत्येक स्टीकर वाला हिस्सा वेक्स पेपर से ढका होगा।

(v) स्ट्रिप सील के एक आन्तरिक परत और एक बाहरी परत होगी। आन्तरिक परत के एक छोर पर दो समन्वय पहले से गोंद लगे हुये स्थल होंगे (जो A और B अक्षर से चिन्हित हैं) आन्तरिकपरत के दूर छोर पर दो वर्ग इन्च का स्टीकर D द्वारा चिन्हित किया गया है। पट्टी के बाहरी तरफ खाली एक ही स्टीकर होगा जिस पर C अक्षर चिन्हित होगा।

स्ट्रिप सील की आकृति आन्तरिक एवं बाहरी तरफ को दिखाती हुई नीचे दी गई है। पट्टी के भीतर और बाहरी भाग में गहरे गोंद लगे हैं। स्ट्रिप सील के बाह्य और आंतरिक सील का चित्र नीचे दिया गया है। काला भाग गोंद वाला हिस्सा है।

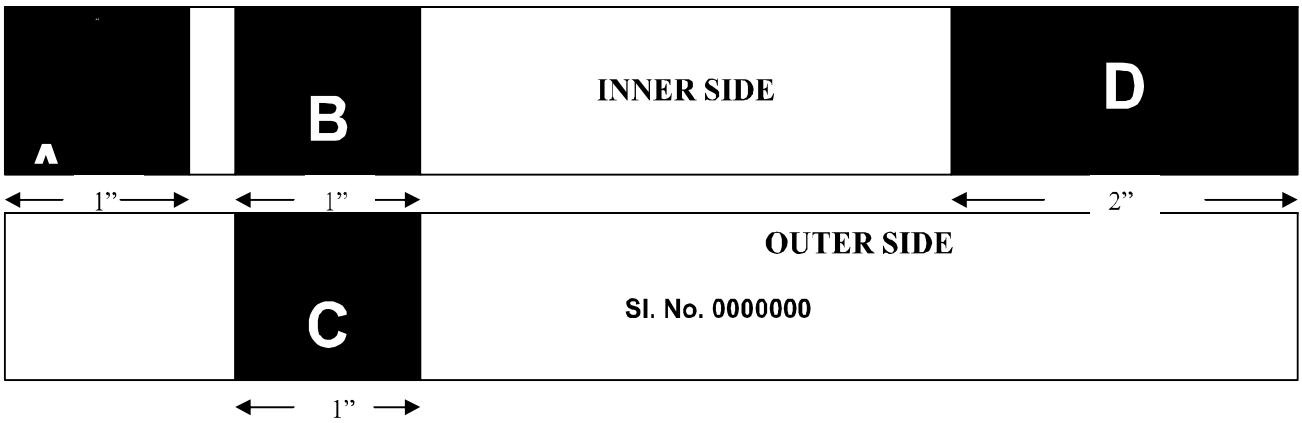

4. कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील सहित सील करने का पूर्ण तरीका :

आसानी से समझाने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न कदम लिये जाने हैं ताकि सील पट्टी को स्थाई किया जा सकेः-

(i) असली मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी एक दिखावटी मतदान करना है।

(ii) दिखावटी मतदान करने के उपरान्त और परिणाम दर्शाते हुए पीठासीन अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट का आंकड़ा, जिसका कि दिखावटी मतदान से सम्बन्ध हो 'क्लीयर' बटन दबाकर साफ कर देता है।

(iii) डाटा हटाने के पश्चात् नियंत्रण यूनिट को बंद कर, उसमें ग्रीन पेपर सील लगाएं। (BEL मशीन के सम्बन्ध में दो सील और ECIL मशीन के सम्बन्ध में एक सील) परिणाम क्षेत्र के आन्तरिक दरवाजे की खिड़की को ढकने के लिये डालेंगे। ग्रीन पेपर सील डालते समय यह सुनिश्चित कर लेनाचाहिए कि सील का हरा क्षेत्र दरवाजे की खिड़की, बन्द करने के उपरान्त दिखाई दे रहा है।

(iv) ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद परिणाम बटन के ऊपर का आन्तरिक दरवाजा बन्द कर देना चाहिए।

(v) तब परिणाम कक्ष का दरवाजा स्पेशल टैग द्वारा सील कर देना चाहिए।

(vi) स्पेशल टैग लगाने के बाद परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा बन्द कर दें ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि ग्रीन पेपर सील के दोनों खुले छोर बन्द बाहरी दरवाजे से बाहर निकले रहे। (BEL मशीन के लिये फोटो/ECIL मशीन के लिये फोटो 1)।

(vii) तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी बाहरी दरवाजे को धागे एवं एड्रेस टैग द्वारा सील कर दें।

(viii) इसके पश्चात् वह स्ट्रिप सील को कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम कक्ष के चारों तरफ से इस तरह से लपेटेगा ताकि वह क्षेत्र मतदान आरम्भ होने के बाद स्ट्रिप सील को नुकसान पहुंचाये बिना न खोला जा सके। स्ट्रिप सील को लगाने का तरीका नीचे दिया गया है।

(ix) स्ट्रिप सील को परिणाम कक्ष के बाहर सील करने के पूर्व, पीठासीन अधिकारी को पेपर सील के क्रम संख्यांक के ठीक नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर तुरन्त करने चाहिए। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों का उनके मतदान आभिकर्ताओं जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

(x) विशेष टेग को प्लास्टिक कैप के ठीक नीचे इस प्रकार लगाया जाय कि वो CLOSE (क्लोज) बटन को ठीक प्रकार से ढक ले। स्ट्रिप सील को लगाने का विस्तृत तरीका नीचे दिये जा रहा है। मशीन और मशीन को फिक्सकरने के तरीकों में थोड़ी सी ही असमानता है। बताये गये निर्देशों को आपके राज्य में उपलब्ध मशीन पर लागू करें।

(xi) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट पर लगाई गई, पिंक पेपर सील के सुरक्षित होने की जांच आप कर लें तथा मतदान के दौरान भी, इस पिंक पेपर सील के सुरक्षित होने सुनिश्चित करें।

5. BEL मशीनों कोस्ट्रिप सील द्वारा सील करने का तरीका:

पहला कदम.— स्ट्रिप सील के स्टीकर वाले हिस्से 'A' को ग्रीन पेपर सील के धरातल के पास इस तरह से रखें ताकि ग्रीन पेपर सील आन्तरिक दरवाजे के निचले हिस्से से लटकती रहे। क्षेत्र **'A'** के ऊपर से वेक्स पेपर हटा दें। तत्पश्चात् ग्रीन पेपर सील आन्तरिक परत को गोंद लगे परत के ऊपर दबायें, ग्रीन पेपर सील के बाहरी परत को अन्दरूनी परत के ऊपर रखें।

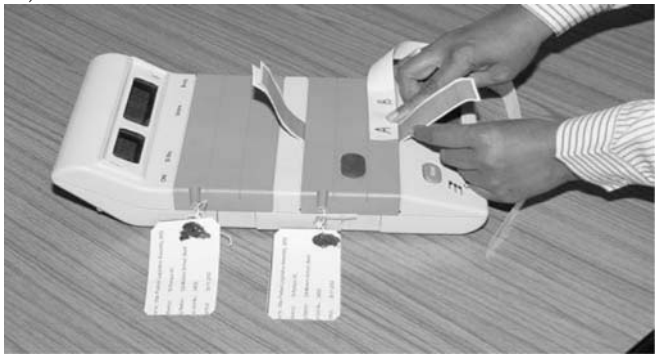

दूसरा कदम.— स्टीकर वाले क्षेत्र B के ऊपर से भी वेक्स पेपर हटा दें। इस गोंद लगे भाग B को ग्रीन पेपर सील की बाहरी परत पर दबा दें। **B** क्षेत्र को ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपकाने के बाद गोंद लगा क्षेत्र C ऊपरी स्थिति में आ जायेगा।

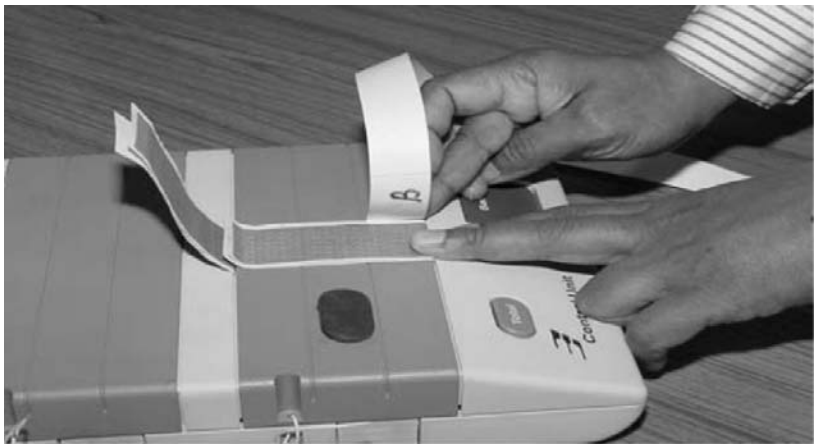

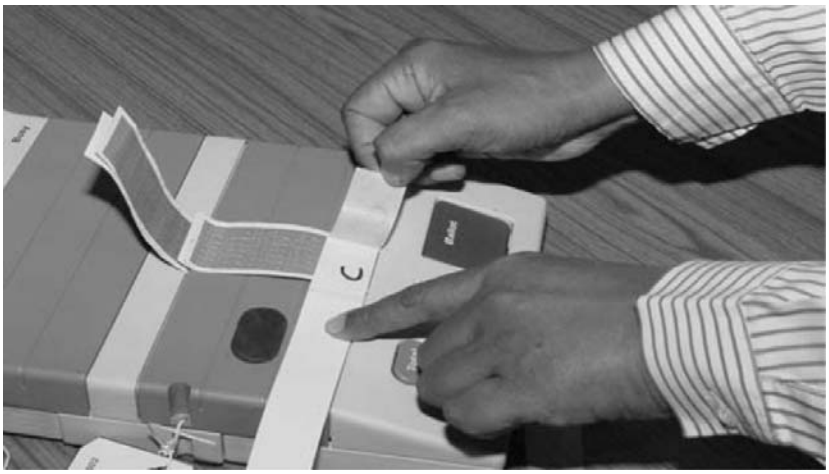

तीसरा कदम.— स्टीकर C के ऊपर के वेक्स पेपर को हटा दें और ग्रीन पेपर सील दोनों छोरों को (जो कि बाहरी दरवाजे के ऊपरी क्षेत्र से लटक रहे हैं) इस तरह से दबायें ताकि ग्रीन पेपर सील आन्तरिक परत C क्षेत्र के ऊपर पूर्णतः चिपक जायें।

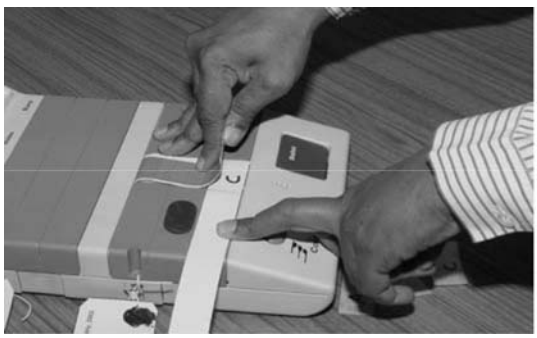

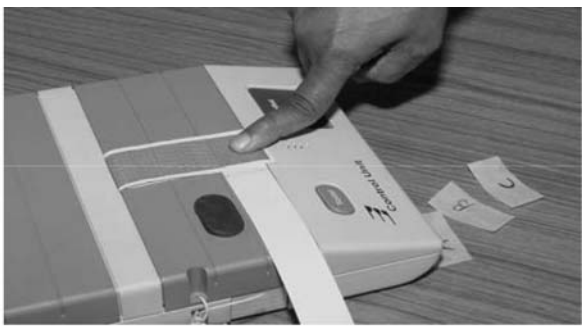

चौथा कदम.— स्ट्रिप सील के बचे हुये भाग को कन्ट्रोल यूनिट के बांई तरफ से ऐसे घुमायें एवं सुनिश्चित करें की पट्टी 'क्लोज बटन' के नीचे से निकले। स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कन्ट्रोल यूनिट के दांई तरफ से बाहरी दरवाजे के ऊपरी तरफ से लायें जहां कि स्टीकर A BC चिपकाये गये हैं।

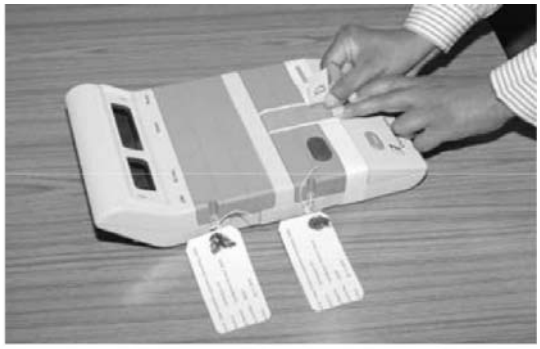

पांचवां कदम.— स्टीकर D के ऊपर के वेक्स पेपर हटाये और उसे ग्रीन पेपर सील जो कि ऊपरी दरवाजे से लटक रही है उसके ऊपर दबा दें जो गोंद लगा 'D' हिस्सा स्ट्रिप सील के ऊपर फैल जाता है। इस फैले हुये क्षेत्र 'D' को स्ट्रिप सील के ऊपर दबा दें।

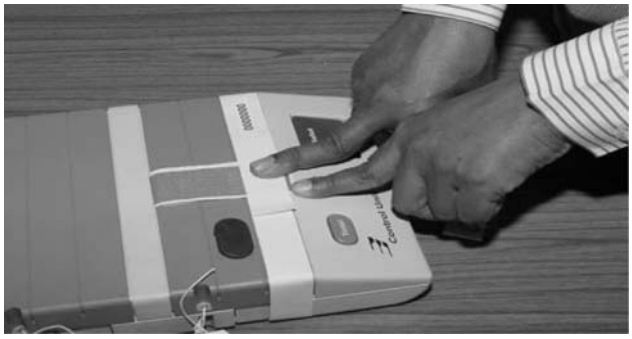

ऊपर दिये गये तरीकों द्वारा ग्रीन पेपर सील के चारों खुले क्षेत्र, जो कि दरवाजे से लटक रहे हैं स्ट्रिप सील द्वारा पकड़ के लिये चिपका दी जाती है। इसी समय परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा भी इसी स्ट्रिप सील द्वारा हर तरफ से सील कर दिया जाता है और यह कक्ष बिना ग्रीन पेपर सील को नुकसान पहुंचायें नहीं खोला जा सकता।

6. स्ट्रिप सील लगाने के बाद कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को बंद करना :

कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सील मतदान के दौरान न तो नष्ट की गई है न कि उसमें कोई बदलाव किया गया है और यह सील मतदान के बाद मतदान केन्द्र पर हटाई नहीं जायेगी।

7. मतदान खत्म हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी Close (क्लोज) बटन के ऊपर का ढक्कन ऐसे हटायेगा की स्ट्रिप सील को छेड़ा न जाये और Close (क्लोज) बटन को दबायेगा एवं ढक्कन को लगा देगा। मतदान समाप्त होजाने के बाद अन्य औपचारिकताएं

पूर्ण करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट को सावधानी से पैक करेगा और कैरिंग केस खोल को भी सील करेगा। यह सील लगा हुआ कैरिंग केस मतगणना स्थल पर, अन्य सामग्री सहित नियंत्रण कक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

8. मतगणना वाले दिन कन्ट्रोल यूनिट जिसे की स्ट्रिप सील द्वारा बन्द किया गया है अभ्यर्थी द्वारा या गणना अभिकर्ता द्वारा निरीक्षण करने के लिये दिया जायेगा। इसके पश्चात् ही सील हटाई जायेगी। इस बात को सुनिश्चित करते हुये कि ग्रीन पेपर सील न टूटने पाये।

ग्रीन पेपर सील एड्रेस टैग सील जो कन्ट्रोल यूनिट के बाहरी कक्ष से लटक रही है, का निरीक्षण करने के तत्पश्चात् ही कन्ट्रोल यूनिट को खोला जायेगा।

9. स्ट्रिप सील करते समय महत्वपूर्ण सावधानियां :

(i) यह स्ट्रिप सील इस तरह से लगाई जायेगी कि Close (क्लोज) बटन कैप के नीचे से परिणाम कक्ष के बाहरी दरवाजे को पूर्ण रूप से ढके। इस पट्टी को स्थाई करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि Close (क्लोज) बटन को साफ छोड़ दिया गया है एवं थोड़ा भी नहीं ढका गया है ताकि इस बटन को इस्तेमाल करने में कोई भी तकलीफ न हो।

(ii) स्ट्रिप सील स्थाई रूप से पक्की कर दी जायेगी और खुली नहीं छोड़ी जायेगी।

(iii) टूटी हुई स्ट्रिप सील इस्तेमाल न करें।

(iv) हर मतदान केन्द्र को 4 स्ट्रिप सील दी जायेगी जैसा कि ग्रीन पेपर सील होती है।

(v) पीठासीन अधिकारी हर स्ट्रिप सील जो कि मतदान केन्द्र पर मतदान करने हेतु दी गई है, के लिये उत्तरदायी होगा।

(vi) उन्हें हर स्ट्रिप सील जो कि इस्तेमाल में नहीं लाई गई हो (उन पट्टियों और उन टुकड़ों को भी जो आकस्मिक रूप से टूट गये हो या खराब हो गये हों) पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को लौटा देते हैं जोकि इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराये जायेंगे यदि स्ट्रिप सील किसी समय किसी अनाधिकृत व्यक्ति के हाथों में पाई जाती है।

(vii) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर को आपूर्ति किये स्ट्रिप सील के क्रम संख्या का रिकॉर्ड तैयार करवायेंगे और इसी तरह प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के लिये आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील का रिकॉर्ड रखेंगे।

(viii) निर्वाचन आयोग स्ट्रिप सील का एक नमूना राज्य को प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु जारी करेगा। स्ट्रिप सील भी सुरक्षित रखी जायेगी। स्ट्रिप सील के प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् प्रयोग की गई स्ट्रिप सील को बारीक टुकड़ों में काटकर नष्ट किया जाय।

10. वास्तविक मतदान के लिए तैयार मतदान मशीन :

10.1 अब मतदान मशीन सभी तरह से वास्तविक मतदान के उपयोग के लिये तैयार है।

10.2 मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, आपको मतदान यूनिट (यूनिटें) मतदान कक्ष के भीतर रखनी चाहिए। जैसा पहले ही अनुदेशित

किया गया है, मतदान कक्ष आपकी मेज से पर्याप्त दूरी पर स्थित होना चाहिए जहां नियंत्रण यूनिट रखी और प्रचालित की जायेगी। मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट के बीच परस्पर सम्बद्ध केबल की लम्बाई लगभग पांच मीटर हैं इसलिए, मतदान कक्ष युक्तियुक्त दूरी पर होनी चाहिए। साथ ही केबल का रास्ता इस प्रकार होना चाहिए कि यह मतदान केन्द्र के भीतर के मतदाताओं के आने-जाने में बाधा कारित नहीं करता हो और उनको इसे लांघकर नहीं जाना पड़े। किन्तु पूरे केबल की लम्बाई साफ दिखाई पड़े। किसी भी स्थिति में वह कपड़े या टेबल के नीचे छुपी न हो, मतदान कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

ECIL **मशीनों को स्ट्रिप सील द्वारा बन्द करने का तरीका :**

ECIL मशीन में सिर्फ एक हरी पेपर सील उपयोग की गई है। अतएव, उसी हरी पेपर सील के दोनों खुले सिरे रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे तक किये जाते हैं। (मतदान मशीन के नवीनतम सुधरे मॉडल में भी, भले ही बी.ई.एल. या ई.सी.आई. द्वारा निर्मित, केवल एक हरी सील ही उपयोग की जाती है। इसी मॉडल बनावट की मशीनों को सील करने के निम्नलिखित कदम हैं (साथ ही मतदान मशीन की नवीनतम सुधरे मॉडल में भी) स्ट्रिप सील के साथः-

पहला कदम.— ग्रीन पेपर सील डबल फोल्ड के साथ रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे के निचले भाग से कसते हुए, मध्य से मोड़े ताकि यह सुनिश्चित हो कि सील का हरा हिस्सा बाहर रहे।

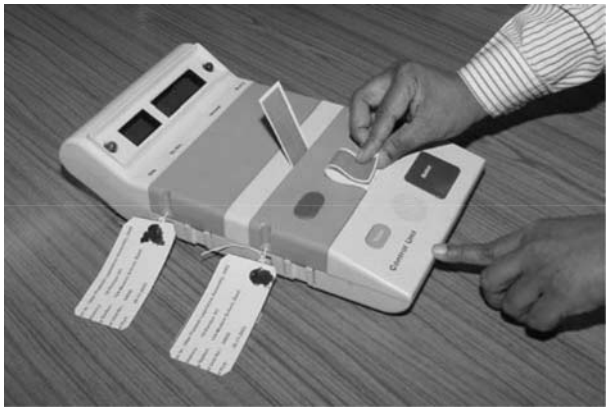

दूसरा कदम.— जिस तरफ स्टीकर लगा हो 'A' उसको ग्रीन पेपर सील आन्तरिक भाग से जोड़ कर EVM के अन्दर के भाग से परिणाम सेक्शन पर लगाकर स्टीकर 'A' को खोलकर ग्रीन पेपर सील पर चिपका दें। 'A' पर लगा वेक्स पेपर हटा दें तथा आंतरिक सतह (हरी बाजू) वाली हरी पेपर सील को गोंद लगे स्थान पर चिपकाकर दबा दें।

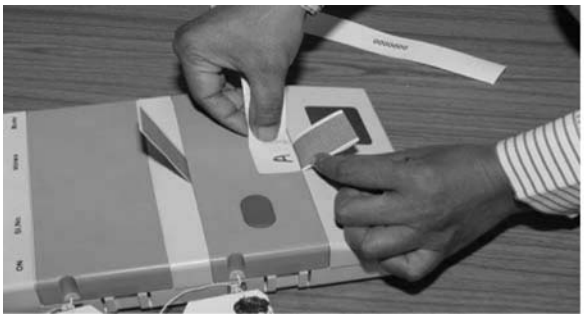

तीसरा कदम.— 'B' की तरफ का वेक्स पेपर खोलकर ग्रीन पेपर सील के ऊपरी भाग पर चिपका दें तथा इसे गोंद लगे भाग को फोल्डेड भाग पर हरी सील चिपका दें (पुनः हरी बाजू)।

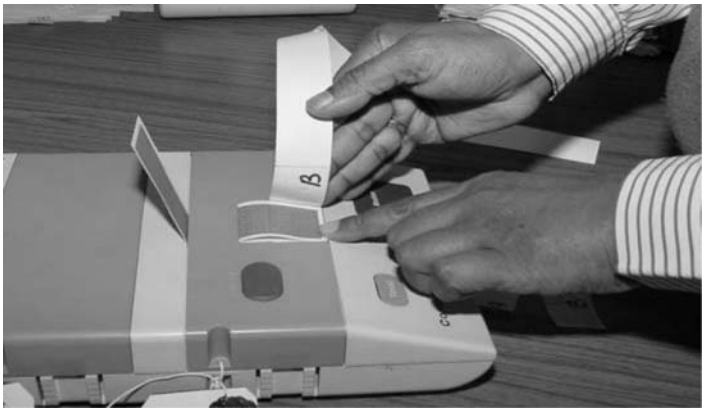

चौथा कदम.— 'B' को ग्रीन पेपर सील पर चिपकाने पर 'C' ऊपर की तरफ आ जायेगा। 'C' का वेक्स पेपर खोलकर ऊपरी भाग से मशीन को ग्रीन पेपर सील पर चिपका कर सील करें। 'C' के ऊपर का वेक्स पेपर हटा दें, ग्रीन पेपर सील को ऐसे चिपकाए कि वह बाहरी दरवाजे के बाहरी भाग तक चली जाए ताकि हरी पेपर सील 'C' पर पूर्णतः चिपक जाए (अब हरी सील का सफेद भाग ऊपर की ओर जाएगा तथा बाहर से दिखाई पड़ेगा।

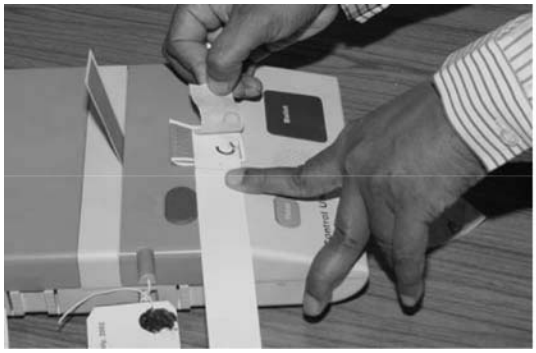

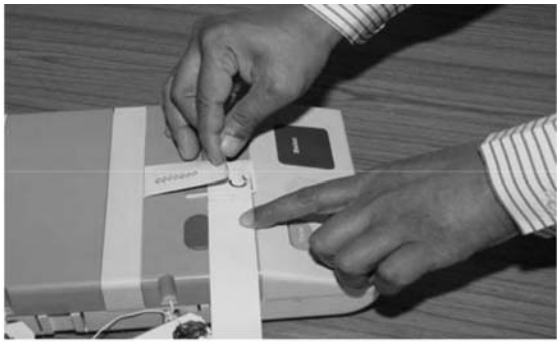

पांचवां कदम.— स्ट्रिप सील के बचे भाग को बायें तरफ से सावधानी से 'Close' बटन के नीचे से लायें। स्ट्रिप सील के बाकी बचे भाग को दायें तरफ से कन्ट्रोल यूनिट के ऊपरी दरवाजे पर लायें जहां ABC चिपकाये गये हों।

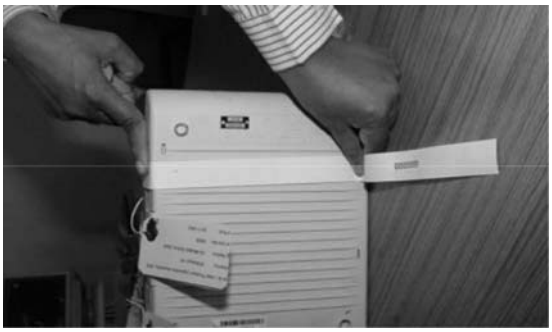

छठा कदम.- D पर लगे वेक्स पेपर को हटाकर ग्रीन पेपर सील के ऊपर से लाकर मजबूती से चिपकायें। अब भाग वाले हिस्से को स्ट्रिप सील पर अच्छी तरह दबाया जाए।

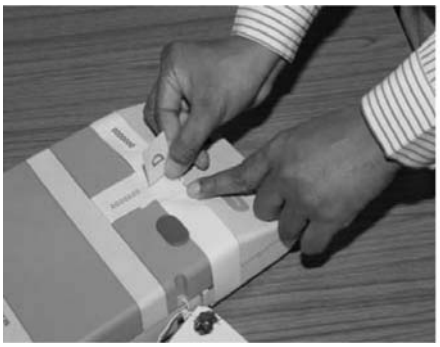

इस कार्य से ग्रीन पेपर सील जो दांई तरफ से निकले होते हैं पूर्ण रूप से स्ट्रिप सील द्वारा कस लिए जाते हैं। इस कार्य से परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा भी स्ट्रिप सील से पूर्ण तरीके से सील हो जाता है और सील को नुकसान पहुंचाये बिना परिणाम कक्ष को खोला नहीं जा सकता है।

11. नवीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रस्तावना :

सन् 2007 में भारत निर्वाचन आयोग ने अपग्रेडेड मॉडल वोटिंग मशीन का पहली बार मणिपुर विधान सभा के सामान्य चुनाव जो कि 2007 में संपन्न हुए थे पहली बार यह उपयोग किया गया। बीईएल बेंगलूर एवं ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा निर्मित वोटिंग मशीनों का स्वरूप एवं विशेषताएं ज्यादातर उसी तरह है सिर्फ कुछ अतिरिक्त नवीन विशेषताओं के।

11.1 अतिरिक्त विशेषताएं

(क) न्यूमेरिकल ब्रेल चिह्न (1-16) बैलोटिंग यूनिट मुख्य पृष्ठ पर सीधे हाथ पर नीले बटन के रूप में प्रत्येक प्रत्याशी के लिये है जो कि दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए उपलब्ध है।

11.2 नवीन सुधार

(क) नवीन मॉडल में प्रदर्शित पैनल में दो की जगह केबल एक खिड़की है।

(ख) प्रदर्शित पैनल अब दो लाइनों में 24 कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है (प्रत्येक लाइन में 12 केरेक्टर) होंगे।

(ग) कनेक्टर का हुड जो कि इनटर कनेक्टिंग केबल से जुड़ा है उसका एक छोर बेलेट यूनिट से स्थायी रूप से संलग्न रहता है अब दो अलग रंगों के स्प्रिंग क्लिपस उसे एक काला अरौ दूसरा लाल दिए गए है। फीमेल साकेट का एक छोर पिछले रियर कक्ष के नियंत्रण कक्ष का लाल रंग है ताकि आसानी से आइडेंटिफाई हो सके। लाल स्प्रिंग क्लिप लाल साइड सॉकेट से मिलाप होगा और काले स्प्रिंग क्लिप का काले साइड सॉकेट से मिलान होगा।

(घ) रिजल्ट सेक्शन के रिजल्ट 1 बटन को बदलकर 'RESULT' कर दिया गया है।

(ङ) रिजल्ट-2 बटन रिजल्ट सेक्शन से हटाकर उसकी जगह पर नया बटन प्रिंट लगाया गया है। वोटिंग मशीन के नवीन मॉडल में रिजल्ट डाटा प्रिंट करने की सुविधा प्रदान की गई है। जब प्रिंट बटन दबाया जाता है तो नियंत्रण यूनिट 'PRINTING' प्रदर्शित करती है। परिणाम डाटा को प्रिंट करने के लिए परिणाम कम से कम एक बार देखा जाता है।

(च) परिणाम सेक्शन का अन्दर का कवर जिसमें की रिजल्ट और प्रिंट बटन दिए हैं उसमें एक खिड़की हरे कागज की सील को अन्दर करने के लिए है जैसा कि ईसीआईसी मशीन के पुराने मॉडल में है। इसलिए केवल एक हरे पेपर की सील नवीन मॉडल की मशीन में वोटिंग मशीन को सील करने के लिए उपयोग की गई है।

(छ) नियंत्रण कक्ष के बटन जिस क्रम में उन्हें दबाना है अब ईसीआईएल वोटिंग मशीन जैसे ही है। क्रम इस प्रकार है Clear—'Cand Set—'Clear'—Ballot—'Close'—REsult, Cand बटन के बाद बटन और कोई भी सीधे बेलेट बटन दबा सकता है। यदि बटन सही क्रम में नहीं दबाया जाए तो प्रदर्शित पैनल पर Invalid Message प्रदर्शित होगा।

12. विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन जो कि प्रदर्शन पैनल पर आएंगे और उनका क्या अर्थ होगा नीचे दर्शाया गया है:

(a) **LINK ERROR-:**

LINK ERROR, प्रथम BU में यह इंगित करता है : इंटरकनेक्टिंग केबल गायब है, टूटा है अथवा केबल एक BU उपयोग में लाया गया है। इस यूनिट में 'Slide Switch को Position 1 में सेट नहीं किया गया है या जहाँ एक से अधिक BU का उपयोग हुआ है तो उन BU को सही-सही जोड़ा नहीं गया है।

(b) **PRESSED ERROR-:**

यह दर्शाता है कि पहले BU में किसी मतदाता द्वारा यह बटन दबा रह गया व जाम हो गया।

(c) **ERROR**

दर्शाता है कि नियंत्रण यूनिट उपयोग के लिए सही नहीं है।

(d) **INVALID**

दर्शाता है कि बटन क्रम में नहीं दबाया गया है।

(e) **CU ERROR**

दर्शाता है कि नियंत्रण यूनिट बदला जाए।

(f) **BU – 1 ERROR**

दर्शाता है कि BU-1 को बदलना है।

(g) **CLOCK ERROR**

दर्शाता है कि Red Time Clock (RTC) सही काम नहीं कर रहा है।

(h) **END**

दर्शाता है कि क्लीयर और रिजल्ट बटन दबाने के बाद,
दर्शित क्रम समाप्त हो गया है।

(i) **FULL**

यह दर्शाता है कि अधिकतम संख्या के वोट (2000) जिनके लिए मशीन बनाई गई है डाले जा चुके हैं। मशीन 2000 वोट अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकती है।

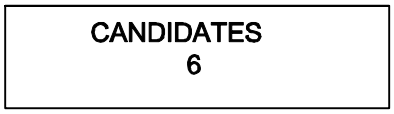

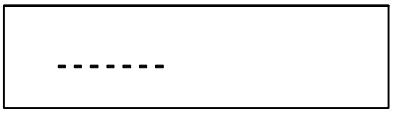

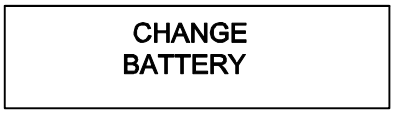

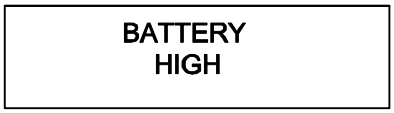

(j)	CANDIDATES 6	दर्शाता है कि मशीन 6 उम्मीदवारों के लिए सेट की गई है।
(k)	TOTAL POLLED VOTES 1487	दर्शाता है कि 1487 वोटों का मतदान हो चुका है।
(l)	CANDADATE 06 235	दर्शाता है कि उम्मीदवार नं. 6 ने 235 वोट डाले।
(m)	- - - - - - -	दर्शाता है कि पावर पैक कमजोर है।
(n)	CHANGE BATTERY	दर्शाता है कि पावर पैक को बदला जाए क्योंकि बैटरी की स्थिति परिवर्तन की दशा में पहुंच गई है।
(o)	BATTERY HIGH	इंगित करता है कि बैटरी क्षमता पूर्ण है।
(p)	BATTERY MEDIUM	इंगित करता है कि बैटरी क्षमता मध्यम है।
(q)	BATTERY LOW	इंगित करता है कि बैटरी क्षमता बहुत कम है।
(r)	DTE 16-01-07 TME 09-43-34	दिनांक और समय इंगित करता है।
(s)	(S)L NO-H00003	इंगित करता है नियंत्रण यूनिट का क्रमांक जो CU के पृष्ठ भाग पर है।
(t)	COMPUTING RESULT	इंगित करता है परिणाम की गणना
(u)	PST 09-50-20 PET 15-32-10	इंगित करता है मतदान शुरू होने का समय और मतदान अन्त होने का समय
(v)	RESULT PDT 16-01-07	इंगित करता है परिणाम और दिनांक।
(w)	PRINTING	इंगित करता है कि प्रिंटिंग जारी है।
(x)	DELETING POLLED VOTES	डाले गये मत जो CU से विलोपित हो गए।

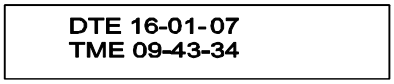

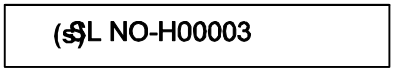

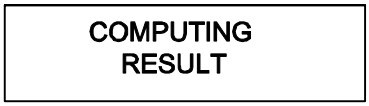

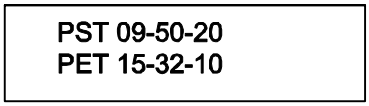

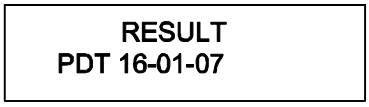

नियंत्रण इकाई के पावर स्विच को ऊपर की ओर पुश करके आन पोजीशन में लाते हैं तो बीप की आवाज होगा तथा नियंत्रण इकाई के प्रदर्शन भाग पर ''ऑन लेम्प'' हरा हो जाएगा तथा निम्नलिखित display प्रदर्शन सेक्शन पर इंगित होगा।

EVM IS ON ECI	.....
DTE 16-01-07 TME 09-43-34	दिनांक, माह एवं वर्ष तथा समय को घंटे, मिनट, सैकण्ड में दर्शाता है।
SL NO-H00003	कंट्रोल इकाई का क्रमांक नम्बर इंगित करता है।
CANDIDATES 10	इंगित करता है कि प्रत्याशी उम्मीदवार दस हैं।
BATTERY HIGH	इंगित करता है कि बैटरी की क्षमता पूर्ण है।
SET CANDIDATE --	जब ''कैंड सेट बटन दबाया जाता है तो हरा बल्ब जल उठेगा और मशीन को प्रत्याशी उम्मीदवारों के नम्बरों के अनुसार सैट करें।

प्रदर्शित पैनल पर प्रदर्शित अन्य :-

जब सारे बटन ''O'' पर सेट हों तो मशीन का क्लीयर बटन दबाएं।

DELETING POLLED VOTES	
CANDIDATES 9	अगर मशीन को 9 उम्मीदवारों के लिए सेट किया गया है-
TOTAL POLLED VOTES 0	
CANDIDATE – 01 VOTES 0	
CANDIDATE – 02 VOTES 0	
CANDIDATE – 03 VOTES 0	

CANDIDATE – 04 VOTES 0
CANDIDATE – 05 VOTES 0
CANDIDATE – 06 VOTES 0
CANDIDATE – 07 VOTES 0
CANDIDATE – 08 VOTES 0
CANDIDATE – 09 VOTES 0
END

दिखावटी मतदान समाप्त होने पर जब क्लोज बटन दबाया जाता है तो प्रदर्शित पैनल पर यह प्रदर्शित होगा :-

CLOSING	
DTE 12-01-07 TME 10-34-56	
SL NO-H00003	
CAN DIDATES 16	(जब कुल प्रत्याशी उम्मीदवार 16 हों)
TOTAL POLLED VOTES – 200	(यदि डाले गए मत 200 हैं)
POLL CLOSED	

जब रिजल्ट वाला बटन दबाया जाएगा तो प्रदर्शन पैनल पर यह प्रदर्शित होगा :-

COMPUTING RESULT	
POLL RESULT PDT 16-01-07	(PDT मतदान की तारीख)
PST 09-50-20 PET 15-32-10	(PST मतदान शुरू होने का समय) (PET मतदान समाप्त होने का समय)
SL NO-H00003	
CANDIDARTES 9	(नियंत्रण इकाई के क्रमांक PCB)
TOTAL POLLED VOTES -54	(उम्मीदवार की संख्या 9)
CANDIDATE – 01 VOTES – 6	(डाले गये मतों की संख्या 54)
CANDIDATE – 02 VOTES – 6	
CANDIDATE – 03 VOTES – 6	

(यदि 54 मत ही डाले गए, 6 हर उम्मीदवार के लिए)

यदि मतदान एक से अधिक दिन तक चलता है तो परिणाम इस तरीके से दर्शाया जाएगा।

COMPUTING RESULT	
POLL RESULT DAY S OF POLL	
PDY 01-02-07 TOTAL 50	
------- ------- -------	
PDY 03-02-07 TOTAL 50	दर्शाई गई तिथि में डाले गए मतों की संख्या
SL NO=H00003	
CANDIDATES 9	
TOTAL POLLED VOTES - 2000	

CANDIDATE-01 VOTES - 10

CANDIDATE-09 VOTES - 10

END

(यह केवल एक उदाहरण है)

अंकित तारीख पर डाले मतों की संख्या जब 'Total' बटन को समय-समय के जानकारी हेतु दबाया जाए तो इस तरह प्रदर्शित होगा।

BATTERY HIGH

DTE 01-02-07 TME 07-05-50

CANDIDATES 9

TOTAL POLLED VOTES - 200

(यह केवल एक उदाहरण है)

मतदान समाप्त होने के समय जब क्लोज बटन को दबाया जाए EVM बन्द करने के लिए तो आखिरी मतदाता ने अपना मत रिकॉर्ड किया है तो प्रदर्शित पैनल पर प्रदर्शित होगाः-

CLOSING	
DTE 02-01-07 TME 10-34-56	
SL NO-H00003	यदि कंट्रोल यूनिट का क्रमांक H00003 हो।
CANDIDATES 16	यदि मशीन 16 प्रत्याशियों के लिए सेट हो।
TOTAL POLLED VOTES - 200	यदि डाले गये कुल मतों की संख्या 200 हो।
POLL CLOSED	

अध्याय-15

मतदान का प्रारम्भ

1. मतदान का प्रारम्भ :

मतदान इस प्रयोजन के लिये नियत समय पर प्रारम्भ करें। तब तक आपकी प्रारम्भिक तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। यदि दुर्भाग्यवश, प्रारम्भिक तैयारियां पूरी नहीं हो पायी हों तो मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय पर आपका कारण पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखे। तीन या चार मतदाताओं को प्रवेश करायें और मतदान अधिकारी को उनकी पहचान इत्यादि के सम्बन्ध में व्यवहार करने दे जब तक आपकी प्रारम्भिक तैयारियां पूरी न हों।

2. मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी :

मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व, उपस्थित समस्त व्यक्तियों के साथ चुनाव लड़ रहे अभ्यार्थियों या अभिकर्ताओं को मत की गोपनीयता को बनाये रखने के उनके कर्तव्य और उसके किसी भंग के लिये शास्ति के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 128 (उपाबन्ध-1) के उपबंधों को स्पष्ट करें।

3. अमिट स्याही के लिए पूर्वसावधानियाँ :

अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी से पर्याप्त पूर्व सावधानियां अपनाने को कहा जाये कि अमिट स्याही वाली शीशी ऐसी रीति से रखी जाये कि मतदान के दौरान यह एक तरफ झुके और फैले नहीं। इस प्रयोजन के लिये, एक कप या किसी खाली सिगरेट टिन या किसी चौड़े पैंदे वाले बर्तन में कुछ मिट्टी ले और बर्तन के बीच शीशी को, उसकी लम्बाई के पौन हिस्से तक मिट्टी में डाल दें ताकि यह मिट्टी में मजबूती से गढ़ी रहे। यह भी सुनिश्चित कर ले कि कार्क से जुड़ी हुई प्लास्टिक राड शीशी में रहे और मतदाता की तर्जनी को चिन्हित करने के प्रयोजन के अलावा निकाली नहीं जाये। राड को इसके चिन्हित करने वाले हिस्से को सदैव नीचे की ओर करके रखा जाये। अन्यथा, राड़ से कुछ स्याही टपक जायेगी और इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की अंगुलियां खराब कर देगी।

4. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति :

मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व, आपको मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य को यह भी दर्शित करना चाहिए कि चिन्हित प्रति के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली निर्वाचक नामावली की प्रति में, उन मतदाताओं, जिन्हें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं, के नाम के सामने ''नि.ड्यूटी प्र.'' चिन्ह और उन मतदाताओं, जिन्हें डाक मतपत्र जारी किये गये हैं, की प्रविष्टियों के सामने ''डा. म.'' चिन्ह से भिन्न कोई चिन्ह या प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी हैं।

5. प्ररूप 17-क में मतदाताओं का रजिस्टर :

5. मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह भी दर्शित करें कि मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17-क), जिसमें ऐसे प्रत्येक मतदाता के सम्बन्ध प्रविष्टियां की जायेंगी, जिसे मत देने के लिये अनुज्ञात किया जाता है और उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त किये जाते हैं, में किसी निर्वाचक के सम्बन्ध में पहले से कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।

6. मतदान केन्द्र में मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित किया जाना :

6.1 पुरुष और महिला मतदाताओं के लिये पृथक-पृथक पंक्तियां होनी चाहिए। पंक्तियां लगाने वाले व्यक्ति, जैसा आप निर्देश दें, मतदान केन्द्र में एक बार में तीन या चार मतदाताओं को प्रवेश देंगे। प्रतीक्षारत अन्य मतदाता बाहर पंक्ति में खड़े रहेंगे। शिथिलांग मतदाताओं और बच्चों को गोदी में लिये महिला मतदाताओं को पंक्ति में के अन्य मतदाताओं पर अग्रता दी जाये, पुरुष और महिला मतदाताओं को मतदान केन्द्र में पृथक बैचों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। पुरुष मतदाताओं और महिला मतदाताओं के लिये एक से अधिक पंक्ति बनाये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

6.2 यह सुनिश्चित कर लें कि शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता को पोलिंग स्टेशन पर प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाये, उनको किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े। यदि संभव हो सके तो इस प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था के तहत पृथक् लाइन बनवाई जाये।

6.3 यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रकार के मतदाताओं को उनके उनकी व्हील चेयर पोलिंग बूथ के अन्दर जाने की सुविधा होनी चाहिए। यदि स्थाई रैम्प (Ramp) नहीं है तो Wooden ramp की व्यवस्था करनी चाहिए।

6.4 दृष्टिहीन एवं बहरे मतदाताओं को भी अन्य विकलांग मतदाताओं की तरह ही विशेष सुविधा देनी चाहिए।

7. यह सुनिश्चित कर लें कि पोलिंग स्टेशन पर केवल निम्नलिखित लोगों की ही प्रविष्टि होनी चाहिए :-

(क) मतदाता।

(ख) मतदान अधिकारी।

(ग) प्रत्येक दल का उम्मीदवार, उसका मतदान अभिकर्ता।

(घ) चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त लोग जैसे Media Persons (जो अपने साथ अधिकारिक पत्र लाये हों)।

(ङ) सार्वजनिक सेवक जो ड्यूटी पर हों।

(च) मतदाता के साथ गोद का बच्चा।

(छ) ऐसा आदमी जो अन्धे या किसी अन्य वजह से विकलांग है और चल नहीं सकता, उसकी मदद करने साथ आया है।

(ज) ऐसे लोग जो मतदाता की पहचान व उसे मतदान में सहायता के उद्देश्य से वहाँ उपस्थित हों।

अध्याय-16

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सुरक्षा के उपाय

1. स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सुरक्षा के उपाय के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं :

यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान मशीन के प्रदर्शन, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं का रजिस्टर, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किये जाने के लिये आवश्यक रक्षोपाय है, के सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में दिये गये अनुदेशों का सम्यक् अनुपालन कर लिया गया है, आपसे मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व उपाबंध-7 भाग-1 में विहित घोषणा पढ़कर सुनाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा, मतदान की गोपनीयता बनाये रखने सम्बन्धी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुनाये जाने के तत्काल पश्चात् किया जाना चाहिए। आपको मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सुनाने के लिए घोषणा जोर से पढ़नी चाहिए और घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने चाहिए जो उपस्थित हों आपको उस पर उन मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी रिकॉर्ड करने चाहिए जो घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हैं।

2. नयी मतदान मशीन का उपयोग में लिए जाने के समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :

मतदान के दौरान, यदि बाध्यकारी परिस्थितियों के अधीन नयी मतदान मशीन का उपयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है तो आपसे उपाबंध-7 के भाग-II में विहित एक और घोषणा पढ़ने की भी अपेक्षा की जाती है (मतदान की समाप्ति पर, आपको उसी रीति से उपाबंध-7 के भाग-III में एक और घोषणा अभिलिखित करनी चाहिए)। घोषणा पृथक् पैकेट में रखी जायेगी और मतदान की समाप्ति पर रिकॉर्ड किये गयेमतों के लेखा और प्रारूप 17-ग में पेपर सील लेखा के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जायेगा।

अध्याय-17

मतदान केन्द्र में इसके इर्द-गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन

1. निष्पक्षता आवश्यक, मर्यादित एवं शालीन आचरण का व्यवहार :

1.1 आपका चतुर्य, दृढ़ता और निष्पक्षता, विशेषतः अंतिम, शान्ति भंग के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण रक्षोपाय है। सभी दलों और अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार करें और प्रत्येक विवादाग्रस्त बिन्दु पर उचित रूप से और न्यायसंगतता से विनिश्चय करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो आपको और न ही आपके मतदान केन्द्र पर किसी और अधिकारी को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका अर्थ निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार से सहायक हो।

1.2 आप और आपके दल के अन्य सदस्य जब कर्तव्य पर हो पोलिंग स्टेशन पर मर्यादित एवं शालीन व्यवहार का आचरण करें। आपके मतदान दल का कोई अधिकारी किसी अन्य गतिविधि में शामिल न हो जब कोई वी.आई.पी. और सेलिब्रेटी आता है तो उसके साथ हाथ मिलाना या फोटो खिचवाना जब वह मतदान केन्द्र पर वोट डालने आता/आती है, फिर भी सामान्य शिष्टाचार दिखाना आपके कर्तव्य का भाग है।

2. प्रचार पर रोक :

मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर प्रचार करना अपराध है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (उपाबंध 1 देखिए) की धारा 130 के अधीन अभियोजित किया जा सकेगा।

3. अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ :

चुनाव लड़ रहे अभ्यार्थियों को मतदान केन्द्र के पास चुनाव बूथ बनाने की अनुज्ञा है, किन्तु मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर, ताकि निर्वाचकों को निर्वाचक नामावली में अपना नाम ढूंढने में आसानी हो। तथापि, अभ्यर्थी, मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर मतदाताओं को अशासकीय पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए अपने अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप/वर्षा से उन्हें बचाने के लिए उनके सिर के ऊपर एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी मेजों के आसपास भीड़ एकत्रित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। यदि आयोग के पूर्वोक्त अनुदेशों के भंग का कोई दृष्टान्त आपके ध्यान में लाया जाता है तो आपको आपके मतदान केन्द्र के आस-पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सैक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक औपचारिक कार्रवाई के लिये मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

4. मतदान केन्द्र में या इसके निकट विच्छृंखल आचरण :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 (उपाबंध 1 देखिए) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को लागू करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति विस्छृंखल तरीके से व्यवहार करता है तो आप उसी समय उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ़्तार करवा सकते हैं और उसे अभियोजित करवा सकते हैं। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने और ऐसा बल प्रयोग करने की शक्ि त है जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है। तथापि, ऐसी शक्तियों को तब ही अपनाया जाना चाहिए, जब उसे मानना और चेतावनी देना प्रभावहीन साबित हो जाये। यदि किसी मेगाफोन या लाउडस्पीकर के उपयोग से मतदान केन्द्र का कार्य बाधित होता हो तो आपको ऐसा उपयोग रोकने के लिये कदम उठाने चाहिए। धारा, दूरी की कोई सीमा विहित नहीं करती है। यह विनिश्चय करना आप पर छोड़ दिया गया है कि क्या मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों को बाधित करने के लिए यह काफी निकट या काफी तेज है।

5. विच्छृंखल व्यक्तियों को हटाना :

कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान स्वयं अवचार करता है या आपके विधिपूर्ण निर्देशों की अवज्ञा करता है, आपके आदेशों से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या आप द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा (धारा 132, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 उपाबंध 1 देखिए)।

6. मतदाताओं के प्रवहण के लिए वाहनों को अवैध भाड़े पर लेना :

6.1 आपके मतदाताओं के अवैध प्रवहण को रोकने के लिए कोई सकारात्मक शक्ति नहीं है। यदि इस आशय की कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायतकर्ता को कहें कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अपराधी को अभियोजित करने या सम्यक् अनुक्रम में अपराधी अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचन याचिका फाइल करने के आधार के रूप में तथ्य का उपयोग करने की कार्रवाई कर सकता है। आपके समक्ष फाइल की गयी किसी शिकायत को उपखण्ड या अन्य मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसे मामलों में व्यवहार करने की अधिकारिता है, को ऐसी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करें जो आप अपने स्वयं के संप्रेक्षण और व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकते हैं। आप इसे जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के ध्यान में ला सकते हैं जब वे आपके बूथ का भ्रमण करें।

6.2 निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन वाहनों के चलाये जाने को विनियमित करने संबंधी जारी किये गये अनुदेशों/निदेशों का भी पालन करें।

7. मतदान केन्द्र से मतदान मशीन का हटाया जाना अपराध :

कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतदान मशीन को कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसे किसी कार्य को करने में जानबूझकर सहायता या दुष्प्रेरण करता है, वह एक वर्ष तक के कारावास से या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय संज्ञेय अपराध करता है। इस संबंध में धारा 61-क के स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 135 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को देखा जा सकता है।

8. निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पदीय कर्तव्यों का भंग :

आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 134 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह उपबंधित करता है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी, युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में कोई कार्य करने या किसी लोप का दोषी है तो वह संज्ञेय अपराध करता है।

9. मतदान केन्द्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने का प्रतिबंध :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134-ख के उपबंधों के अनुसार कोई भी व्यक्ति (रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिये नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी, जो मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर है, से भिन्न) मतदान के दिन, आयुध अधिनियम, 1959 में यथा-परिभाषित किसी भी प्रकार के आयुध से सुसज्जित होकर किसी मतदान केन्द्र के आस-पास नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होने की दायी है, अपराध संज्ञेय है।

10. **मतदान केन्द्र में सेल्युलर फोन्स, कार्डलैस फोन्स, वायरलैस सेट्स आदि का प्रतिबन्ध :**

आयोग के पूर्व के विद्यमान निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोबाईल, कार्डलेस फोन आदि नहीं ले जा सकता इसकी सख्त मनाई है। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक को मतदान केन्द्र की नियत हुड (सीमा) कहा गया है।

अध्याय-18

चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और प्रक्रिया

1. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन :

1.1 आयोग ने मतदाता की पहचान के लिए दस्तावेजी पहचान कानूनन रूप से आवश्यक की है। मतदाता को अपना फोटो कार्ड, (ई.पी.आई.सी.) अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करता है। यदि किसी मतदाता के पास फोटोकार्ड नहीं है तो उसे आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक परिचय-पत्र प्रस्तुत करता है। निर्वाचक क्षेत्र केन्द्र में जहां फोटो Elector Roll में फोटो प्रकाशित है उसे फोटो परिचयके लिए मान्य किया जावेगा। आयोग प्रत्येक चुनाव में इस दिशा में आदेश प्रस्तुत करेगा। आयोग के इस निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए पहचान के लिये प्रभारी चुनाव अधिकारी मतदाता फोटो पहचान-पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त मतदाता की पहचान के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर ले जैसी भी स्थिति हो तथा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में मतदाता को आप अपने समक्ष प्रस्तुत होने हेतु आदेशित करें। आप मतदाता की पहचान के संबंध में स्वयं जांच कर संतुष्ट हो। किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर आप लिखित में शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें। यह भी ध्यान रखा जावे कि :-

(क) मतदाता से संबंधित छोटी त्रुटियां जैसे पिता/माता/पति का नाम/लिंग, उम्र (सिर्फ 2/3 वर्ष के भीतर) या मतदाता के फोटो परिचय पत्र में गलत पते को दर्शाता इत्यादि को अनदेखा कर मतदाता की पहचान परिचय-पत्र से सत्यापित कर मत देने दिया जाय।

(ख) कोई भी त्रुटि जो कि मतदाता के फोटो परिचय-पत्र के क्रमांक नं. में है जिसका कि उल्लेख मतदाता रोल में है उसे अनदेखा किया जाये; और

(ग) अगर मतदाता के पास किसी दूसरे निर्वाचन असेम्बली के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) अधिकारी द्वारा जारी किया परिचय-पत्र है तो ऐसे परिचय-पत्र का भी अपनी दी हुई वोटिंग लिस्ट में से नाम चिन्हित कर मत देने दिया जाय। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वो एक से अधिक जगह मतदान ना कर पाए। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी (Fore Finger) उंगली को ध्यान से देखकर कि उस पर अमिट स्याही का निशान न हो, उसे मतदान करने के लिए तर्जनी (Fore Finger) पर अमिट स्याही लगाकर मतदान करने दिया जाय।

1.2 जैसा की अध्याय 8 में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचेगा जो कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा। मतदान अधिकारी को निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गयी प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। (यह भी ध्यान रखा जाये कि निर्वाचक के पास यदि अशासकीय पहचान पर्ची है तो वह पहचान का आधार नहीं होगा और साथ ही मतदान अधिकारी का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो ऐसे निर्वाचक की पहचान भी सुनिश्चित करने का प्रयास करे)।

1.3 सामान्यतः प्रत्येक मतदाता अपने साथ एक अशासकीय पहचान पर्ची लाता है जो शायद उसे किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं द्वारा दी गयी होती है। यह पर्ची सादा सफेद कागज पर होनी चाहिए और उसमें निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में

उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहां उसे अपना मत देना है। इसपर्ची में अभ्यर्थी का नाम और/यादलका नाम और/या उसको आबंटित प्रतीक की प्रतिकृत अन्तर्विष्ट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी या उसके दल द्वारा जारी की गयी कोई पर्ची आयोग के इन अनुदेशों का उल्लंघन करती है और मतदान केन्द्र में लायी जाती है तो ऐसे उल्लंघन को तत्काल बंद करने के लिए उसे सम्बन्धित अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के ध्यान में लाना चाहिए।

1.4 निर्वाचक नामावली की चिहित प्रति का प्रभारी तथा निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार प्रथम मतदान अधिकारी को किसी निर्वाचक द्वारा 'अशासकीय पहचान पर्ची' को, जो वह मतदान केन्द्र पर लाता है, प्रस्तुत करने से ही निर्वाचक की पहचान सिद्ध हो जाना नहीं मान लेना चाहिए। यद्यपि ऐसी पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता करेगी, किन्तु यह मानकर नहीं चला जा सकता कि पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वही विशिष्ट मतदाता है। आगे यह भी कि कोई अनपढ़ मतदाता ऐसी अशासकीय पहचान-पत्रों में की गयी प्रविष्टियों को पढ़ नहीं सकता है और न इस बात से स्वयं का समाधान हो सकता है कि उसके पास जो पर्ची है वह वास्तव में उसी से सम्बन्धित है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी को वह पर्ची लेनी चाहिए और उसमें निर्वाचक की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को ही पढ़ना चाहिए और पर्ची में से उसका नाम तथा अन्य विवरण नहीं पढ़ने चाहिये। तत्पश्चात्, मतदान अधिकारी को उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने के लिए कहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला ही वास्तविक मतदाता है। यदि आपका पूरा समाधान नहीं होता है तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा जा सकता है जो स्वयं के समाधान के लिए निर्वाचक की पहचान के बारे में छानबीन करेगा। यदि वह प्रतिरूपण करने वाला सिद्ध हो जाय तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे निर्वाचक को पुलिस को सौंपने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

1.5 महिला निर्वाचक विशेषकर 'पर्दानशीन' महिलाएं अधिक संख्या में होने पर अध्याय 6 में यथा-अनुदेशित किसी पृथक् कक्ष में उपरोक्त कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

2. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची :

यह आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची लायेंगे। अभ्यर्थी या उसका दल ऐसी ही सूची आपको भी दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे जिसका नाम उस सूची में उल्लिखित है तो आप उस व्यक्ति की पहचान फोटो परिचय-पत्र से या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से (आयोग द्वारा अनुमोदित) कड़ाई से जांच करेंगे। ऐसा करना कोई औपचारिक चुनौती का मामला नहीं माना जायेगा।

3. चुनौती युक्ति मत :

मतदान अभिकर्ता उस व्यक्ति जो स्वयं को विशेष मतदाता होने के दावा करता है कि पहचान को चुनौती 2 रुपये जमा करके दे सकता है। आप इस चुनौती की संक्षिप्त जांच करेंगे। जांच में चुनौती सही नहीं पाये जाने पर उस व्यक्ति को मतदान करनेकी अनुमति दी जायेगी। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो वह व्यक्ति को मतदान से वंचित कर उस व्यक्ति को पुलिस को लिखित में शिकायत कर सौपेंगे।

4. मतदाता की पहचान को चुनौती :

प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है, स्वयं की पहचान की पुष्टि होने पर निर्वाचन में मत देने का हकदार है। जब तक कि किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जाये या जब तक कि आपका स्पष्टतः यह समाधान न हो जाये कि वह एक जाली मतदाता है तब तक सामान्य रूप से यह अवधारणा की जानी चाहिए कि मतदाता होने का दावा करने वाला और नाम तथा अन्य सही ब्यौरे देने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। यदि कोई चुनौती हो या यदि आपको उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आस-पास की परिस्थितियों से कोई भी युक्तियुक्त सन्देह हो तो आपको एक संक्षिप्त जांच करनी चाहिए और इस प्रश्न का विनिश चय करना चाहिए।

5. चुनौती फीस (चैलेंज्ड फीस) :

आपको, किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता द्वारा, किसी मतदाता की पहचान की कोई चुनौती तब तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब तक कि चुनौतीकर्ता नकद में दो रुपये जमा नहीं कर दें। रकम जमा किये जाने के पश्चात् उपाबंध-8 में विहित प्ररूप में चुनौतीकर्ता को इसकी एक रसीद देंगे। आप चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए शास्ति के बारे में सावधान कर देंगे, निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पूरा पढ़ेंगे और वउससे पूछेंगे कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसे कि उस प्रविषिट में निर्दिष्ट किया गया है, तब चुनौती दिये गये मतों की सूची (प्ररूप 14) में उसका नाम और पता लिखेंगे और उसे उस पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इंकार कर दे तो आप उसे मतदेने की अनुज्ञा नहीं देंगे।

6. संक्षिप्त जांच :

सबसे पहले आप चुनौतीकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गयी है, असली मतदाता नहीं है जैसा कि वह दावा करता है। यदि चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आप चुनौती को नहीं मानेंगे और चुनौती दिये गये ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है तो आप पश्चात्कथित चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे अर्थात् यह सिद्ध करना कि वह वही मतदाता है जिसका वह दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा सिद्ध कर देता है तो आप उसे मत देने की अनुमति दे देंगे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो यप यह मान लें कि चुनौती सिद्ध हो गयी है। जांच के दौरान, आप ग्राम अधिकारी, प्रश्नगत मतदाता के पड़ौसियों और उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति से सही तथ्य अभिनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र है। साक्ष्य लेने के दौरान, आप चुनौती दिये गये व्यक्ति को या साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिलवायेंगे। यदि चुनौती सिद्ध हो गयी हो तो आप उस व्यक्ति को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सौंप देंगे तथा उसके साथ ही आपके मतदान केन्द्र की अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के थानाधिकारी को उपाबंध-9 में एक शिकायत लिखकर दे देंगे।

7. चुनौती फीस का लौटाया जाना या उसका जब्त किया जाना :

जांच की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उस दशा को छोड़कर जिसमें आप की यह राय हो कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गयी है, प्रत्येक मामले में दो रुपये की चुनौती फीस चुनौतीकर्ता को उससे प्ररूप-14 मतों का सूची के स्तम्भ 10 में तथा रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर उसकी प्राप्ति रसीद लेने के पश्चात् लौटा दीजिए। अन्य स्थिति में आप चुनौती फीस सरकार के पक्ष में जब्त कर दीजिए और उसे चुनौतीकर्ता को नहीं लौटाइये तथा प्ररूप 14 के स्तम्भ 10 और रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेने के बजाय, शब्द ''जब्त'' लिख दीजिए।

8. नामावली में लिपिकीय और मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी करना :

कभी-कभी निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के संबंध में यथा प्रविष्ट विशिष्टयां उदाहरण के लिए मतदाता की वास्तविक आयु की प्रविष्टि अशुद्ध छप जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं। यदि आप निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट अन्य विशिष्टियों के अनुसार अमुक मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अन्यथा संतुष्ट हों तो आप निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के संबंध में किसी प्रविष्टि में केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी कर दें। यदि निर्वाचक नामावली एक से अधिक भाषा में तैयार की गयी हो। और किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में सम्मिलित नहीं किया गया हो और उसका नाम उसी क्षेत्र के लिए अन्य भाषा में तैयार की गयी निर्वाचक नामावली में दिया गया हो तो उस व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक निर्वाचक के संबंध में निर्वाचक नामावली की चिन्हत प्रति में प्रविष्टियां आप स्वयं स्याही से नोट कर दें।

9. किसी मतदाता की पात्रता के संबंध में आपत्ति नहीं उठाई जाए :

जब किसी मतदाता की पहचान आपके समाधान से स्थापित हो जाये तो उसे मत देने का अधिकार हो जाता है। मतदान केन्द्र में ऐसे व्यक्ति के मतदाता होने की पात्रता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप आपको इस प्रश्न के बारे में किसी प्रकार की जांच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है कि क्या वह 18 वर्ष से अधिक आयु का है या क्या वह उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है।

10. निर्वाचक की अपनी आयु के बारे में घोषणा :

10.1 किन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसको आप 18 वर्ष आयु से कम का मानते हैं, तो उसके निर्वाचक होने के दावे के बारे में आपका निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर समाधान होना चाहिए।

10.2 यदि आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसके नाम के सम्मिलित किये जाने के तथ्य के बारे में प्रथमदृष्टया सन्तुष्ट है किन्तु उसको न्यूनतम मतदान आयु से नीचे मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसको निर्वाचन क्षेत्र की विद्यमान निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गयी थी, के संदर्भ में उसकी आयु के बारे में उपाबंध-10 में घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व, आपको मिथ्या घोषणा (धारा 31 के उद्धरण उपाबंध 1 में दिये गये हैं) करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में दंड के उपबंधों की उसे सूचना देनी चाहिए।

अध्याय-19

मतदाता को अपना मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना

1. मतदाता की बायीं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना :

1.1 प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात् और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती दी गयी है, तो यथा शीघ्र, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसकी बायी तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा। यदि तर्जनी पर कोई चिन्ह दिखाई न दे तो अध्याय 8 के पेरा 3.1 अनुसार द्वितीय मतदान अदिकारी निर्वाचक की बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही इस प्रकार लगाया जाए कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाए कि चिन्ह स्पष्ट दिखे। यदि कोई निर्वाचक अनुदेशों के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इंकार करे या उसकी बायीं तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा।

1.2 यदि ऐसा देखने में आये कि किसी निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगाये जाने वाले अमिट स्याही के चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिये अपनी अंगुली पर कोई तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्याही का चिह्न लगाने के पूर्व उपलब्ध कराये गये कपड़े के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाा चाहिए। पीठासीन अधिकारी की किट में कपड़े का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा।

1.3 पहले ऐसे अमिट स्याही का चिन्ह निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्ररूप 17क में मतदाताओं के रजिस्टर में अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाता है ताकि अब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिये पर्याप्त समय मिल जाये।

नये सिरे से मतदान (पुनर्मतदान)/प्रत्यादिष्ट मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मतदाता के बायीं मध्यमा के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाये और एक स्पष्ट चिन्ह रह जाये।

निर्वाचक की बायीं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना :

3. यदि किसी निर्वाचक की बायीं तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली पर लगायी जानी चाहिए जो उसके बायें हाथ में हो। यदि उसके बायें हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसकी दायीं तर्जनी पर लगायी जानी चाहिए और यदि उसके दायीं तर्जनी भी न हो तो उसकी दायी तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दायें हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर स्याही लगायी जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसके बायें या दायें हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर, जो भी उसके हो, लगायी जानी चाहिए।

4. मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता की मतदाता नामावली संख्या का अभिलेख :

4.1 पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई रीति से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बायीं तर्जनी को चिन्हांकित करने के पश्चात् उसे मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17-क) में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए।

4.2 ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में रखा जायेगा :-

(i) मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, क्रम संख्या से प्रारम्भ करते हुए निर्वाचकों की क्रम संख्या क्रमवार लिखेगा। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में क्रम संख्या 10 तक लिखने की व्यवस्था होगी। मतदान के प्रारम्भ के समय वह कुछ पृष्ठों पर पहले ही से ऐसी क्रम संख्याएं लिख सकता है। यदि स्तम्भ 'क' में पहले से ही सरल क्रमांक मुद्रित न हों तो वह एडवांस में हाथ से ऐसी संख्याएं मतदान प्रारंभ होने पर लिख सकता है।

(ii) उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या (अर्थात् क्रम संख्या) लिखेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए यदि प्रथम निर्वाचक का नाम, जो मतदान प्रारम्भ होने के समय मतदान केन्द्र पर मत डालने आता है, निर्वाचक नामावली की चिन्तित प्रति में क्रम संख्या 756 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी, मतदाताओं के रजिस्टर के प्रथम स्तम्भ में क्रम सं. 1 और द्वितीय स्तम्भ में क्रम संख्या 756 लिखेगा। इसी तरह यदि द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 138 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ 1 में क्रम संख्या 2 और स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 138 लिखेगा और इसी तरह आगे भी।

4.3 ऊपर वर्णित रीति में, किसी निर्वाचक के संबंध में रजिस्टर के स्तम्भ (1) और (2) भर लेने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी, रजिस्टर के स्तम्भ (3) में, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा।

5. मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा :

5. हस्ताक्षर से अभिप्राय है किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना। किसी साक्षर व्यक्ति से, मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उनका नाम अर्थात् उसका पूरा नाम या नामों और उपनाम दोनों ही या किसी भी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम या तो पूरा अथवा उस नाम या नामों के लघु हस्ताक्षर लिखने की अपेक्षा की जायेगी। किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर तो यह होगा कि उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाये अर्थात् उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों हों। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्राय है, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, को अधिप्रमाण स्वरूप लिखना है। ऐसी दशा में यदि वह ऊपर दर्शितानुसार अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे पूर्ववर्ती पैरा 4 के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

6. मतदाता के अंगूठे का निशान :

6.1 यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए। यह बात नोट कर लें कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

6.2 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 37 (4) के अनुरूप अमिट स्याही लगाने के बारे में यदि मतदाता का बायां

अंगूठा न हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि दोनों अंगूठे न हों तो बायें हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लेना चाहिए। यदि अंगुलियां न हों तो उस स्थिति में मतदाता स्वयं अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ हो जायेगा तोउसे उक्त नियमों के नियम 49 ढ़ के अधीन आवश्यक रूप से किसी साथी की सहायता लेनी होगी। ऐसे मामले में मतदाताओं के रजिस्टर पर उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी ली जानी चाहिए।

6.3 यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का निशान साफतौर पर अंगूठे का निशान ही होना चाहिए। स्टाम्प पैड से मतदाता के अंगूठे पर स्याही इतना हल्की नहीं लगानी चाहिए कि यह केवल धुंधलासा या अस्पष्ट निशान ही बन पाये और न ही अंगूठे पर इतनी ज्यादा स्याही लगानी चाहिए कि यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाय एक धब्बा ही बन जाये।

6.4 अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपड़े की सहायता से पोंछ दी जानी चाहिए।

7. अन्धे शिथिलांग या कुष्ठ रोगी मतदाताओं द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

किसी अन्धे मतदाता या कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी मतदाता अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा मतदाता साक्षर है तो उसे अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। शिथिलांग मतदाता के मामले में जो अपना कोई भी हाथ काम में नहीं ले सकता हो तो उस स्थिति में उसका साथी रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा। उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के संबंध में रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि के सामने एक नोट लिखा जाना चाहिए।

8. मतदाता को मतदाता पर्ची का जारी किया जाना :

8.1 किसी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए एक मतदाता पर्ची निम्नलिखित प्ररूप में तैयार करेगा :-

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम सं. .....

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं. .....

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर .....

8.2 ये मतदाता पर्चियां रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किसी पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित करायी जायेंगी और आपके मतदान केन्द्र को समनुदेशित मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सौ पर्चियों और/या पचास पर्चियों का स्टिच किया हुआ प्रत्येक बंडल मतदान सामग्री की किसी मद के रूप में आपको दिये जायेंगे।

8.3 उपर्युक्त पैरा 8.1 के अधीन प्रत्येक मतदाता के संबंध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियां उसके द्वारा उस मतदाता को परिदत्त की जायेंगी और मतदाता को पीठासीन अधिकारी या यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी, जो मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

अध्याय-20

मत डालना और मतदान प्रक्रिया

1.1 मतदाता जैसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसे जारी की गई मतदाता पर्ची के साथ आपके या, यथास्थिति, मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आयेगा वैसे ही उसे, मतदाता पर्ची के आधार पर ही, मत डालने की अनुमति दी जायेगी।

1.2 यह अत्यधिक रूप से आवश्यक है कि मतदाता मतदान मशीन में अपने मत उसी क्रम में रिकॉर्ड कराये जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं। आपको या नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को, मतदान पर्ची में उल्लिखित क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने देने के लिए कहना चाहिए।

1.3 यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अकल्पित या अपरिहार्य कारण से किसी मतदाता के बारे में ऐसी निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्यकित स्तम्भ में संबंधित व्यक्ति के सामने रिकॉर्ड की जायेगी। पश्चात्वर्ती मतदाता, जिसका क्रम उसके कारण से उलट-पुलट हो गया है, के सम्बन्ध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिए।

2. मत डालने के लिए मतदाता को अनुमति देना :

2.1 जैसे ही निर्वाचक, मतदाता पर्ची के साथ आपके या, यथास्थिति, नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आये तो मतदाता पर्ची उससे ले ली जायेगी और उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

2.2 निर्वाचकों से संगृहीत समस्त मतदाता पर्चियां सावधानीपूर्वक संरक्षित की जायेंगी और मतदान के अन्त में एक पृथक् कवर में रखी जायेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर उस प्रयोजन के लिए एक विशेष कवर उपलब्ध करायेगा जो अध्याय-32 में निर्दिष्ट रीति में सील किया जायेगा और सुरक्षित रखा जाएगा।

2.3 मतदाता से मतदाता पर्ची संगृहीत कर लेने के पश्चात् उसकी बायीं तर्जनी की आप द्वारा/नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गई है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिससे कि एक स्पष्ट अमिट चिन्ह बने।

2.4 तब मतदाता को अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

3. मतदान प्रक्रिया :

3.1 मतदाता अपना मत रिकॉर्ड कर सके, इसके लिए नियंत्रण यूनिट का ''बैलट'' बटन, आपके द्वारा/उस यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा जो कि मतदान कक्ष में मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) को तैयार रखेगा। बैलट बटन दबाये जाने पर नियंत्रण यूनिट की ''बिजी'' बत्ती लाल हो जायेगी और साथ ही साथ मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर की ''रेडी'' बत्ती हरी हो जायेगी। इससे यह ज्ञात होगा कि वोटिंग मशीन निर्वाचक के चयन अनुसार मतदान के लिए तैयार है।

3.2 निर्वाचक, मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर, अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध ''ब्लू बटन'' को दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबायेगा मतदान यूनिट पर उस अभ्यर्थी केनाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध लाल बत्ती जल जायेगी और मतदान यूनिट की हरी बत्ती बुझ जायेगी। नियंत्रण यूनिट के बाहर आने वाली बीप ध्वनि भी सुनायी देगी। कुछ ही क्षणों पश्चात् बीप ध्वनि और मतदान यूनिट पर के केण्डीडेट लैम्प की लाल बत्ती और नियंत्रण यूनिट की ''बिजी'' लैम्प की लाल बत्ती भी बन्द हो जायेगी।

3.3 ये दृश्य और श्रव्य संकेत इस बात के द्योतक हैं कि मतदान कक्ष में मतदाता अपना मत रिकॉर्ड कर चुका है। मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिए।

3.4 उपर्युक्त प्रक्रिया प्रत्येक समय दोहराई जायेगी जब अगले मतदाता को अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए अनुज्ञात किया जाना हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कक्ष में मत डालने के लिए एक समय में केवल एक ही मतदाता जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट पर का बैलट बटन केवल तब दबाया जाये जब पूर्व मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जाये।

4. डाले गये मतों की संख्या का समय-समय पर मिलान करना :

4.1 किसी भी समय, यदि उस समय तक डाले गये मतों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी हो तो नियंत्रण यूनिट पर का ''टोटल'' बटन दबाया जाना चाहिए। तब नियंत्रण यूनिट पर का प्रदर्शन पैनल उस समय तक डाले गये कुल मतों की संख्या दर्शायेगा। ऐसा समय समय पर किया जाना चाहिए और उसका मिलान मतदाताओं के रजिस्टर में दर्शितानुसार उस समय तक मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं की संख्या से करना चाहिए।

4.2 पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक दो घण्टे केअन्तराल में किसी भी समय डाले गये मतों की संख्या अभिनिश्चित करनी चाहिए और उसका मिलान करना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के संबंधित स्तम्भ में, डाले गये मतों की संख्या अभिलिखित करनी चाहिए। टोटल बटन को केवल तब दबाना चाहिए जब ''बिजी'' बत्ती चालू न हो अर्थात् केवल, मत देने के लिए अनुज्ञात निर्वाचक के द्वारा अपना मत रिकॉर्ड कर देने के पश्चात् और अगले निर्वाचक को बैलट बटन दबाकर मत देने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व। अन्यथा 'डिस्प्ले पेनल' पर डाले गये मतों की सही संख्या नहीं दिखेगी।

5. मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश :

5.1 जब कभी पीठासीन अधिकारी को इस बारे में कोई संदेह हो या उसके पास यह संदेह करने का कारण हो सकता है कि पर्दायुक्त मतदान कक्ष में रखी गई मतदान यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, या कोई मतदाता जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, मतदान यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है, या, अन्यथा चिह्न, नाम बैलट बटन पर कागज या टेप चिपका कर हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक् लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रुका हुआ है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामलों में नियम 49 के अधीन ऐसे मतदान कक्ष में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान यूनिट से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान निर्बाध गति से और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। यह ध्यान रखें कि मतदान कक्ष में यदि आप प्रवेश करते है तो उस समय अभ्यर्थी के अभिकर्ता उपस्थित होने चाहिए।

5.2 जब कभी भी पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करे तो उसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ जाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए, यदि वे ऐसी इच्छा जाहिर करें। वैसे, पीठासीन अधिकारी को किसी अशिक्षित मतदाता को इलेक्ट्रानिक मशीन का उपयोग कैसे करना है, समझाने के लिए मतदान कक्ष में नहीं जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक प्रिंटेड बैलट मॉडल यूनिट कार्ड बोर्ड पर पेस्ट कर पीठासीन अधिकारी को अन्य मतदान सामग्रियों के साथ डिस्पैच करते समय मुहैया कराएँ। ''बैलेट यूनिट मॉडल'' पर 'डमी नाम' एवं 'प्रतीक' जो कि उपयोग में न हो ही अंकित होना चाहिए। वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग न हो। बत्ती के रंग 'हरा', 'लाल' एवं 'नीला' बटन स्पष्ट तौर पर हो। अशिक्षित मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया मतदान कक्ष के बाहर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझायें न कि मतदान कक्ष के अंदर। आप या आपका कोई मतदान कर्मी बार-बार मतदान कक्ष में प्रवेश न करे इससे शिकायत का मौका मिल सकता है।

अध्याय-21

मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना

मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना :

1. ऐसा प्रत्येक मतदाता, जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेगा। उसे, अध्याय 20 में उल्लिखित मतदान प्रक्रिया का पालन कड़ाई से करना चाहिए।

मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार :

2.1 यदि कोई निर्वाचक, पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात् भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निदेशाधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49-ड के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। यदि उस निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले से ही जारी कर दी गई हो तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले लेनी चाहिए और रद्द कर देना चाहिए।

2.2 जहां किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया हो वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा, मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17-क) में अभ्युक्ति स्तम्भ में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने इस आशय की एक अभ्युक्ति की जायेगी कि मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया है। पीठासीन अधिकारी उस टिप्पणी के नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेगा। तथापि, मतदाताओं के रजिस्टर में के स्तम्भ (1) में उस मतदाता या उसके बाद वाले मतदाता की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय-22

अन्धे और विकलांग मतदाताओं द्वारा मतदान

1.1 यदि आपको लगे कि अन्धत्व या अन्य शारीरिक विकलांगता के कारण कोई मतदाता, मतदान यूनिट पर के प्रतीक को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के उस पर के समुचित बटन को दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो आप, उस निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छानुसार मत रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु के किसी साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने के लिए नियम 49ढ़ के अधीन अनुज्ञा दे दें।

1.2 किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने की लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

1.3 किसी व्यक्ति को साथी के रूप में अनुज्ञात किये जाने के पूर्व उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह उस निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा रिकॉर्ड किये जाने वाले मत को गोपनीय रखेगा और उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है। उस साथी से ऐसी घोषणा, उपाबन्ध 12 द्वारा उस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा विहित प्ररूप में आप द्वारा ली जायेगी।

1.4 आप, प्ररूप 14-क में ऐसे समस्त मामलों का एक रिकॉर्ड भी रखेंगे। इस रिकॉर्ड को एक पैकेट जो ''नान-स्टेट्यूरी'' (असांविधिक) लिफाफे में रखेंगे एवं उसे कलेक्शन सेंटर में मतदान समाप्ति के बाद जमा कर देंगे।

1.5 आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदानकर्मी किसी भी अन्धे मतदाता के साथी के रूप में मत रिकॉर्ड नहीं करें।

अध्याय-23

मतदाता का मत नहीं देने का विनिश्चय

1.1 यदि कोई मतदाता, मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17-क) में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या को सम्यक् रूप से प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगवाने के पश्चात् अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जायेगा या उसे अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य हीं किया जायेगा।

1.2 मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति के स्तम्भ में आप द्वारा इस आशय की एक अभ्युक्ति की जायेगी कि वह अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय कर चुका है। अभ्यक्ति के नीचे आप अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेंगे।

1.3 मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नियम 49 थ के अधीन ऐसी अभ्यक्ति के सामने भी अभिप्राप्त किया जायेगा।

1.4 तथापि, यह आवश्यक नहीं होगा कि मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस मतदाता या किसी अगले मतदाता की क्रम संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाय।

1.5 यदि किसी निर्वाचक द्वारा मत बटन कन्ट्रोल कक्ष में दब जाए एवं वह मत देने से इंकार करे तो आप या तृतीय मतदान अधिकारी जो भी कन्ट्रोल यूनिट का इंचार्ज हो तो वह अगले मतदाता को मत देने के लिए मत कक्ष में जाने का निर्देश दें। यदि आखरी मतदाता मत बटन को दबा दें एवं फिर मत देने से इंकार कर दे तो इस स्थिति में आप या जो भी तृतीय मतदान अधिकारी हो तो वह पावर स्विच बंद कर दें। अब बिजी लेंप बंद हो जाएगा एवं अब पुनः 'पावर' स्विच ऑन करें, मतदान समाप्ति हेतु 'क्लोज' बटन दबाकर मतदान समाप्त घोषित करें। अब 'पावर' स्विच ऑफ करें। बैलेट तथा कन्ट्रोल यूनिट को पृथक करे। मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्ति पर आपके द्वारा कन्ट्रोल यूनिट में 'क्लोज' बटन दबाया जाना आवश्यक है इसके अभाव में गणना स्थल पर 'रिजल्ट' बटन दबाने पर परिणाम प्राप्त नहीं हो पायेगा।

अध्याय-24

लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के समय मतदान

1. नीति के अनुसार, आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को उस विधान मंडल के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान ड्यूटी नहीं दी जाएगी जो उसमें पदस्थ है, उसमें निवासरत है या वह निर्वाचन क्षेत्र उसका गृहनगर है। अन्य सभी निर्वाचन ड्यूटी पर पदस्थ लोक सेवकों को डाक मतपत्र से वोट देने का विकल्प है। इस हेतु, उन्हें प्ररूप 12 में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपको दो प्रतियों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का आदेश देंगे तथा इस आदेश के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपको समुचित रूप से प्ररूप 12 की प्रति भेजेंगे ताकि आप तथा आपके मतदान अधिकारी डाक मतपत्र हेतु आवेदन कर सकें।

3. आपको आवेदन पत्र (प्ररूप 12) में तत्काल भरकर नियुक्ति आदेश की डुप्लिकेट प्रति के साथ भरना होगा तथा उसे रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा। मतदान स्टॉफ के लिए प्रशिक्षण के समय भी प्ररूप 12 भरा जा सकता है। मतदान स्टॉफ के लिए डाक मतपत्र जारी करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर उनके मतदान हेतु सहायता करने हेतु तथा मतपत्र जमा करने हेतु तथा संबंधित पत्र प्रशिक्षण स्थल पर ही करने हेतु सहायता करने की व्यवस्था करेंगे ताकि आपको डाकघर में उन्हें पोस्ट करने हेतु न जाना पड़े। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण कक्षाओं में सुविधा केन्द्रों पर मतदान हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। फिर भी, कुछ प्रकरण महिला मतदान अधिकारियों के उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकते हैं (जहां वे मतदाता के रूप में दर्ज है)। उस स्थिति में उन्हें मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगी जहां वे निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात हैं। यदि किसी अन्य कारणवश, उनकी मतदान में ड्यूटी/रिजर्व ड्यूटी निरस्त की जाती है/लगने के बाद नहीं होती है तो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उनके नाम के विरुद्ध बनाई जाएगी, उन्हें मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति चाहे वह निर्वाचन ड्यूटी पर निर्वाचन अधिकारी हो या अन्य कोई लोकसेवक, जिसके नाम निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, को उसका मत किसी भी मतदान केन्द्र पर, वह मतदान करने का अधिकारी है, किन्तु एक मतदान ऐसे/केन्द्र को छोड़कर जिसमें उसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। मतदान अधिकारी था/थी, उस मतदान केन्द्र को सम्मिलित करते हुए जिसमें वह मूलतः ड्यूटी हेतु तैनात था/थी।

4. ऐसे ही, आपके पास आपका मत अंकित करने का उपयुक्त समय न हो तथा उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास मतगणना के पर्याप्त समय पूर्व भेज दिया जाए। विधि अनुसार चुनाव ड्यूटी पर डाक मतपत्र से मत देने हेतु आवेदन मतदान के एक दिन पूर्व या निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के पहले दिन जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर मान्य करे, सात दिनों पूर्व या ऐसी कम समयावधि हेतु होगा।

अध्याय-25

डाक द्वारा मतपत्र जारी करना

लोक सेवक मतदाता :

1 जैसे ही निर्चाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होती है और नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होती है तो डाक द्वारा मतपत्रों की छपाई जिला निर्वाचन अध्किारी/रिटर्निंग ऑफिसर के अधीन उनकी देखरेख में प्रारम्भ की जाती है। इनके छपते ही ये मतपत्र जिला मुख्यालय से लोक सेवकों के लिये भेज दिये जाते हैं। इस कार्य के लिये प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एक टीम बनायेंगे तथा इस उद्देश्य के लिये रखे गये लिफाफों के साथ उन्हें मतदान केन्द्रों पर भेजेंगे। इस कार्य हेतु प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर, अध्किारियों का एक दल तैनात करेगा जिसमें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जिनके पास निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के आधार पर पहले से तैयार सेवा नियोजित मतदाताओं की जानकारी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मय लिफाफे होगी।

1.2 जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये एक उपयुक्त नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डाक घर के उच्च अधिकारी से मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि डाक द्वारा मतपत्र सही समय पर सही पते पर पहुंचे। विधान सभा अनुसार भेजे गये डाक मतपत्र रजिस्टर के रूप में कायम (मेन्टेन) रखेंगे जिसमें जानकारी भरकर डाक अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे।

1.3 जिला मुख्यालय में उपलब्ध पर्यवेक्षक डिस्पैच की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे तथा आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे। उक्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी, जब रिटर्निंग ऑफिसर लोक सेवकों से बैलेट पेपर प्राप्त करना शुरू करेगा तभी से वह संबंधित आब्जरवर (पर्यवेक्षक) को प्राप्त डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) की संख्या की दैनिक रिपोर्ट देगा जिसमें वह दिन भर में पाए गए डाक मतपत्रों की कुल संख्या के बारे में जानकारी देगा। जब पर्यवक्षेक (आब्जरवर) निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ेंगे तो वह उस समय तक प्राप्त डाक मतपत्र की संख्या आयोग को देगें।

मतदान अधिकारी :

1.4 मतदान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी के अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने, पोस्टल बैलेट इश्यु करने तथा बैलेट पेपर वापस प्राप्त करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

मत देने वाले अधिकारी:

1.4.1 शासकीय कर्मचारियों को मताधिकार को उपयोग में लेने के लिये निर्वाचक नामावली में उनका नाम, क्रमांक तथा मतदाता के रूप में उनके पंजीयन संबंधी विस्तृत जानकारी का उपयोग किया जायेगा। यह सूचना प्रायोजित अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के स्वयं के स्त्रोत व सुविधा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पंजीयन जानकारी के लिये हेल्प लाइन तथा अन्य स्त्रोत जैसे मतदाता सूची के डाटा से प्राप्त की जा सकती है। मतदान अधिकारी के नियुक्ति पत्र जिसमें कि उन्हें प्रशिक्षण पर उपस्थिति होने का आदेश हो में विधान सभा क्षेत्र एवं क्रमांक नं. की जानकारी हो।

1.4.2 सभी मतदान दल के अधिकारियों को फार्म 12 नियुक्ति पत्र के साथ दिया जायेगा। प्रशिक्षण के पहले दिन फार्म 12 भर कर देना होगा। प्रशिक्षण केन्द्र पर फार्म 12 उपलब्ध रहेंगे ताकि जिस भी मतदान दल के अधिकारी को फार्म की जरूरत हो उसे आसानी से फार्म उपलब्ध हो। मतदान दल के अधिकारी को यह बात साफ तौर पर पता होनी चाहिये कि मतपत्र उन्हें प्रशिखण केन्द्र पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उन्हें फार्म 12 में अपना पता नहीं वर्णित करना है। प्रशिक्षण केन्द्र पर अलग से फार्म 12 लेने की व्यवस्था होगी। फार्म 12 जमा करने के समय पर संबंधित व्यक्ति अपना नियुक्ति पत्र के साथ इश्यू किया गया ईपीआईसी या आईडी (पहचान पत्र) की प्रति/सेवा आईडी (पहचान पत्र) प्रस्तुत करें। मतदान दल के अधिकारियों से प्राप्त फार्म 12 रिटर्निंग ऑफिसर/असिस्टेन्ट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तुरन्त क्रियान्वित किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण की दूसरी पारी के पहले यह कार्य सम्पन्न हो सके। प्रशिक्षण की दूसरी पारी शुरू होने के पहले यह जरूरी है कि मतपत्र छपकर उपयोग में आने के लिये तैयार हो।

1.4.3 प्रशिक्षण के दूसरी पारी के दिन मतपत्र बंटने की अलग और सही व्यवस्था होगी। निर्चाचन कार्य की ड्यूटी में अभ्यर्थी अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र के हो सकते हैं इसलिये यह जरूरी है कि सभी रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ROS/AROS) अपने स्टाफ के साथ प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित रहें। डाक मतपत्रों का कवर मतदान दल के अधिकारियों को उनकी पहचान EPIC या पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र दिखाने के पश्चात् ही दिया जयेगा। साथ ही सूची में चिह्नित प्रति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लाल स्याही का उपयोग किया जायेगा। बेलट पेपर का रिकार्ड रिटर्निंग ऑफिसर की हैण्डबुक के फार्मेट नं. 24 बी में अलग से लिखा जायेगा। जिसमें एक ओर कालम हो जिसमें उनकी नियुक्ति का स्थान अंकित हो। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर उक्त रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। एक बार मतदान अधिकारी को पोस्टल बैलेट पेपर इश्यू हो जोने पर वह केवल डाक द्वारा ही वोट डालेगा चाहे उसे चुनाव ड्यूटी से मुक्त ही क्यों ना कर दिया जाये या रिजर्व पार्टी में रखा गया हो।

1.4.4 डाक द्वारा देर होने पर तथा मतदाता को अन्य असुविधा होने की स्थिति के कारण आयोग ने यह व्यवस्था की है कि बैलेट पेपर प्राप्त होते ही उसी समय उसी स्थान पर अपनी प्राथमिकता रिकार्ड करा दे। फार्म 13क का सत्यापन करने तथा बैलेट इकट्ठा करने के लिये पोस्टल बैलेट फैसीलिटेशन सेन्टर बनाये गये हैं। मतदान अधिकारी को अपना वोट पोस्टल बैलेट पेपर पर मत अंकित कर सील किये गये बाक्स में रिटर्निंग आफिसर के सामने स्वयं डालेंगे। निर्वाचन अधिकारी वहां उपस्थित रहेंगे तथा पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। जिला निर्वाचन अधकारी/एसपी/एसडीएम व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पहले से पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर का निरीक्षण करेंगे। जब यह मतदाता बोट डालेंगे तो वोट स्थल पर अन्दर जाने के लिये उचित सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी ताकी उस स्थल पर केवल वही शासकीय अधिकारी जा सकें जिन्हें वोट देना है। मतदाता अपने चुनाव के साथ मतपत्र पर अंकन कर रहे हों तब मतपत्र की गोपनीयता बिना किसी बाधा के लागू की जाएगी। यह समस्त प्रक्रिया तथा इस हेतु की गई व्यवस्थाओं की विडियो रिकार्डिंग की जाएगी।

1.4.5 यदि सुविधा केन्द्र पर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होतो उनके लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था की जाएगी। एक पंजीका में ऐसे उपस्थित प्रतिनिधियों के नाम दर्ज किए जाएंगे तथा उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

1.4.6 डाक मतपत्र (पी बी) जारी करने तथा मतदान कार्मिकों को सुविधा केन्द्र पर अपनी वरीयता चिन्हित करने जैसी व्यवस्था अन्य सिविल स्टाफ के लिए भी लागू होगी जो मतदान के दिन मतदान ड्यूटी में पर्यवेक्षकों के माइक्रो पर्यवेक्षक, सेक्टर या जोनल अधिकारियों, या प्रेक्षकों के समन्वय अधिकारियों के रूप में संलग्न हैं।

सुरक्षा कर्मी :

1.4.7 यह ध्यान में रखना सामयिक होगा कि पुलिसकर्मी जो मतदान संबंधी ड्यूटी पर मतदान के दिन उपस्थित रहेंगे वे ही डाक मतपत्र (पी बी) प्राप्त करने के योग्य होंगे। अतएवं, यह आवश्यक होगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची पूर्व से ही प्राप्त कर ली जाए। ऐसे पुलिस कर्मियों का डाटा बनाने हेतु जिलेवार पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी, चिन्हित करेंगे। ऐसे प्रत्येक पुलिसकर्ती के नाम के साथ उनकी सर्विस आई डी, विधान सभा क्षेत्र की जानकारी, पार्ट क्रमांक, सरल क्रमांक आदि का उल्लेख होगा। राज्य सशस्त्र पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर बटालियन के नोडल अधिकारी भी ऐसे ही चिन्हित किये जाएंगे।

1.4.8 ऐसी सूची बनाते समय यह सुनिश्चित करने हेतु ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे पुलिस कर्मियों के नाम जो मतदान से संबंधित ड्यूटी से जुडे न हो ऐसे व्यक्ति सामान्य मतदाता के रूप में मतदान केन्द्र पर सीधे जाकर मतदान करेंगे, इस सूची में न हों। इस बारे में पुलिस अधीक्षक उपयुक्त ध्यान रखेंगे तथा ऐसे व्यक्तियों की सूची अन्ततः पुलिस अधीक्षक संबंधित डीईओ को प्रस्तुत करेंगे तथा डीईओ द्वारा स्वीकृत करने के बाद पुलिस कर्मियों की मतदान ड्यूटी हेतु सूची मान्य हो जाएगी।

1.4.9 पुलिस कर्मी विभिन्न स्थलों पर पदस्थ हैं तथा सभी को जिले में एक या दो स्थानों पर एक ही दिन लाना उपर्युक्त नहीं है यह तय किया गया है कि पुलिस कर्मियों को मतदान का अधिकार डाक मतपत्र (पी बी) जारी कर डाकमत पत्र सेवा का प्रयोग करने तथा उसे वापस डाक या रिटर्निंग आफिसर (आर.ओ.) कार्यालय में रखे ड्राप बाक्स द्वारा प्रयुक्त करने दिया जाए। इस कार्य हेतु निर्वाचन अधिकारियों तथा डाक अधिकारियों के मध्य प्रभावी समन्वय बनाया जाएगा। जैसा कि पूर्व में नहीं था, डाक मतपत्र (पी बी) पंजीकृत डाक से भेजने का निर्णय किया गया है तथा स्टाम्प का भुगतान रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे तथा पूरे राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) इस कार्य हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। इस प्रक्रिया में विलम्ब को कम करने हेतु ऐसे पुलिसकर्मी जो मतदान के दिन मतदान ड्यूटी पर होंगे तथा जो मतदान केन्द्र नहीं जा पाएंगे तथा विधान सभा क्षेत्र/पार्ट क्र./सरल क्र. की जानकारी नहीं पा सकेंगे, उन्हें प्ररूप 12 आसानी से उपलब्ध कराने हेतु तथा उनसे भरा हुआ प्ररूप 12 उपयुक्त प्रकार से प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की जाएगी। नोडल अधिकारी का प्राथमिक कार्य मतदान के दिन सुरक्षा कर्मियों को रिक्त प्ररूप 12 के आवेदन में डाकमत पत्र जारी करने का होगा। प्ररूप 12 के साथ संबंधित प्ररूप भरने हेतु मार्गदर्शिका भी संबंधित मतदाताओं को दी जाएगी। निर्वाचकों को यह सूचित किया जावे कि नियत स्थान पर उस पते का भी उल्लेख करें जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। निर्वाचक अपने क्रमांक एवं भाग संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्र जहां वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है का भी उल्लेख कर दें। यदि वह अपना क्रमांक एवं भाग संख्या का (Part Number)उल्लेख करने की स्थिति में नहीं है तो वह जहां पंजीकृत है का पूर्ण पता दे ताकि उसके नाम व अन्य जानकारी को प्राप्त कर सके। उल्लेखित नोडल अधिकारी भरे हुए फार्म 12 को सुरक्षाकर्मी से बिना किसी विलम्ब के एकत्रित कर सके।

1.4.10 फार्म 12 की छंटनी का कार्य जिला अनुसार किया जायेगा क्योंकि यह संभावना है कि एक मतदान अधिकारी जो कि किसी जिले में पंजीकृत हो उसकी नियुक्ति दूसरे जिले में की जा सकती है। एक ही जिले में विधान सभा (एसी) से संबंधित प्ररूप 12 क आवेदनों का निपटारा जिला मुख्यालय पर किया जावेगा। भौतिक रूप से आवेदन जिला मुख्यालय के बाहर स्थित रिटर्निंग आफिसर (आरओ) के मुख्यालय पर नहीं भेजे जावेंगे। इस हेतु अधिकृत प्रत्येक विधान सभा विधान सभा (एसी) के सहायक रिटर्निंग आफिसर (एआरओ) जिला मुख्यालय पर आकर पीबी को संबंधित मतदाता (पुलिसकर्मि) जो कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात है, को पंजीकृत डाक से (with AD) देगा। साथ ही लाल स्याही से चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र (पीबी) को चिन्हित कर रजिस्टर में नाम व क्रमांक भाग के अनुसार दर्ज करें। डाककर्मी को निर्देशित करें कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया पीबी (डाक मतपत्र) किसी भी परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को न दिया जावे।

1.4.11 नोडल आफिसर बिना किसी विलम्ब के गृह जिले से संबंधित प्ररूप 12 क आवेदन-पत्र है जो कि अन्य जिलों में विशेष संदेश वाहकों के द्वारा भेजे जाये। विशेष संदेश वाहक संबंधित जिले के नोडल अधिकारी से मिलकर रिसीप्ट (प्राप्ति AD के रूप में) प्राप्त करेंगे। नोडल अधिकारी विभिन्न जिलों से लिफाफे को प्राप्त कर उसी प्रक्रिया को अपनायेंगे जो उन्होंगे प्ररूप 12 क के आवेदन पत्रों को प्राप्त कर अपनाई थी।

1.4.12 निर्वाचक डाक मतपत्र (पी बी) के प्राप्त होने पर अपनी प्राथमिकता चिन्हित कर डाक मतपत्र (पी बी) को रिटर्निंग आफिसर (आर.ओ.) को रजिस्टर्ड डाक से भेज सकता है या वह रिटर्निंग आफिसर (आर.ओ.) के आफिस के ड्राप बाक्स में रख सकता है। मतदाता को मतदान करते समय प्रपत्र 13 डी में दिये गये निर्देशों का पालन करना है।

ड्राईवर, क्लीनर एवं सहायक

ड्राईवर, क्लीनर एवं सहायक :

1.4.13 निर्वाचन कार्य में संलग्न मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों की व्यवस्था को सुचारू करने की आवश्यकता है विशेषकर उन व्यक्तियों के संदर्भ में (मतदान पदाधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों को छोडकर) जो वाहन चालक, सफाईकर्मी

तथा अन्य सहायक जो निर्वाचन कार्य में संलग्न रहते हैं। ऐसे मतदाताओं से फार्म 12 भरवाने की समय-सीमा निश्चित की जानी चाहिए। इस हेतु डी.ई.ओ. पूर्व में ही सुनियोजित योजना बनाकर वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करें। वाहनों की उपलब्धता के संदर्भ में सम्पूर्ण जानकारी वाहन चालकों तथा सफाई कर्मियों की जानकारी आदि एक प्रपत्र में जमा की जाए। इस प्रपत्र को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) की सहमति के उपरान्त इस उद्देश्य हेतु पूरे प्रदेश में एकरूपता से पालन/लागू किया जाए। रिटर्निंग आफिसर एक प्रपत्र तैयार करें जिसमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में सारी जानकारी दर्शायी गई हो तथा इसकी एक प्रति पर्यवेक्षक को भी देंगे। द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) एक-एक ड्राईवर एवं सफाई कर्मियों की नियुक्ति हेतु एक समय सारिणी तैयार करेंगे तथा डाक मतपत्र (पी.बी.) के आवेदन-पत्र की प्राप्ति हेतु स्पष्ट समय-सीमा देंगे। ऐसे मतदाताओं को यह सूचित किया जाए कि फार्म 12 में दिये गये पते पर ही पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा। यह वही पता हो जहाँ वह पंजीकृत है। डाक मतपत्र (पी.बी.), रिटर्निंग आफिसर (आर.ओ.) द्वारा पंजीकृत डाक विथ ए.डी. भेजा जाएगा। यदि कोई मतदाता डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त नहीं करना चाहता तो वह (आर.ओ.) से निर्धारित समय-सीमा में स्वयं प्राप्त कर सकता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) इस संबंध में पूरे राज्य में एक रूपता सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद प्ररूप 13-घ में दी गई प्रक्रिया को अपनाकर मताधिकार का प्रयोग निर्धारित समय-सीमा में करेगा।

1.4.14 डाक मतपत्रों द्वारा मतदान करने वाले समस्त मतदाताओं के हित के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास मोहर बन्द विशेष डब्बा होगाण जिसमें ऐसे समस्त मतदाता अपना चिन्हित मतपत्र सील बंद लिफाफे में डालकर, इस डब्बे में डालेंगे। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपने डाक मतपत्र लेना चाहते हों, के फार्म 13-क को सत्यापित करने हेतु जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी।

1.4.15 ऐसे सभी मतदाता जिन्हें डाक मतपत्र जारी किए गए हैं, उनके लिए निर्वाचक नामावली में डाक मतपत्र (पी.बी.) चिन्हित करने के साथ ही मतदान केन्द्रानुसार अतिरिक्त सूचना पत्रक (ए.आई.एस.) भी तैयार किया जाएगा, जिसमें क्रमांक, नाम, संबंधी का नाम, उम्र तथा लिंग की स्पष्ट जानकारी दर्शायी जाएगी। इस (ए.आई.एस.) पर रिटर्निंग आफिसर या अधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर (ए.आर.ओ.) के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं इसकी एक प्रति, संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। स्याही से हस्ताक्षरित एक प्रति के अलावा, पर्याप्त संख्या में ए.आई.एस. की फोटो कापियां भी पीठासीन अधिकारी को सौंपी जाएंगी। मतदान के दिन दिखावटी मतदान शुरू होने से पूर्व मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को सत्यापित कर तुलना करेंगे कि निर्वाचक नामावली में अंकित डाक मतपत्र का उल्लेख ए.आई.एस. पर भी है। कोई भी मतदाता जिसका नाम डाक मतदाता के रूप में अंकित है उसे व्यक्तिगत रूप से मतदान केन्द्र पर किसी भी परिस्थिति में मतदान की अनुमति नहीं दी जाएंगी।

अध्याय-26

प्रॉक्सी द्वारा मतदान

1. कुछ सेवा मतदाताओं की श्रेणियों को उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है। सर्विस मतदाता जिन्होंने प्रॉक्सी मतदाता नियुक्त किये हैं, का श्रेणीकरण 'वर्गीकृत प्रॉक्सी मतदाता' किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर आपको 'वर्गीकृत प्रॉक्सी मतदाताओं' की एक सूची उपलब्ध कराएंगे, यिद ऐसा कोई है, जिनके लिये उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी आपके केन्द्र में मतदान करेंगे। आपके मतदान केन्द्र हेतु 'वर्गीकृत प्रॉक्सी मतदाता' मतदाता सूची का भाग मानी जाएगी।

2. प्रॉक्सी मतदान हेतु अपना मत वर्गीकृत सेवा मतदाता के लिए उसी प्रकार दर्ज करेंगे जैसा कि अन्य मतदाता को मतदान केन्द्र पर करते हैं। प्रॉक्सी के मामले में पहचान आदि की प्रक्रिया अन्य सामान्य निर्वाचन के समान होगी। फिर भी, यह ध्यान में रखा जाए कि प्रॉक्सी के मामले में, **बांये हाथ की मध्यमा पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।** प्रॉक्सी जिनका नाम पंजीकृत मतदाता के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र में सामान्यतः दर्ज है, अपना मत वर्गीकृत सेवा मतदाता को उसके लिए देने के अतिरिक्त स्वयं के नाम से भी मतदान करेगा।

3. प्रॉक्सी मतदाताओं के संबंध में मतदाताओं की पंजी (प्रारूप 17 क) के द्वितीय स्तम्भ में दर्ज मतदाता का सरल क्रमांक आपके मतदान केन्द्र पर वर्गीकृत सेवा मतदाता की उप-सूची में दिए गए क्रमांक अनुसार होगा। फिर भी, मुख्य चिन्हित मतदाता सूची में सरल क्रमांक को इस सरल क्रमांक से अन्तर मालूम करने हेतु शब्द पीवी (प्रॉक्सी के लिए) कोष्टक में दर्ज कर दिए जाएं। उदाहरणार्थ, वर्गीकृत मतदाता की उपसूची के सरल क्र. 1 के समक्ष प्रॉक्सी मतदाता को प्रदर्शित करने हेतु, रजिस्टर प्ररूप 17 क के स्तम्भ 2 में सरल क्रमांक '1' (पीवी) होगा, वर्गीकृत सेवा मतदाता की उपसूची के सरल क्रमांक 5 का प्रॉक्सी मतदाता '5' (पीवी) होगा।

अध्याय-27

निविदत्त मत

1. ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति, जो अपनी बाबत् यह कहता है कि वह विशिष्ट मतदाता है, मत देने के लिए मतदान केन्द्र पर उस समय आये जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो आप संबंधित मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान करेंगे। ऐसे मामले में आप उससे ऐसे प्रश्न पूछें जिन्हें आप उसकी पहचान के बारे में स्वयं अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझते हों, यदि उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है तो आप संबंधित निर्चाचक को निविदत मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देगें न कि मतदान मशीन द्वारा इस प्रकार मत 'निविदत मत' कहा जाता है।

निविदत्त मतपत्र की रूपरेखा :

2.1 उस नियम के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि निविदत मतपत्र, मतपत्र की डिजाइन का ही होगा, जो मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन के बेलेट यूनिट पर प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाएगा।

2.2 रिटर्निंग आफिसर इसलिए प्रत्येक मतदान केन्द्र को ऐसे बीस मतपत्र उपलब्ध करायेगा जो उसने मतदान मशीनों की मतदान यूनिटों में उपयोग के लिए निविदत मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए मुद्रित कराये हैं। यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी मतदान केन्द्र को कोई अतिरिक्त मतपत्र का प्रदाय करना आवश्यक हो जाये अर्थात् यदि निविदत्त मत 20 से अधिक हों तो उस मतदान केन्द्र के प्रभारी, जोनल अधिकारी के माध्यम से, मांगे जाने पर संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदाय करने के लिए उनका इन्तजाम किया जायेगा।

2.3 आप इन मतपत्रों के पीछे अपने स्वयं के हाथ से शब्द ''निविदत्त मतपत्र'' लिखेंगे यदि ये शब्द वहां पहले से ही स्टाम्पित नहीं हो, और उन्हें यदि आवश्यक हो, निविदत्त मतपत्रों के रूप में जारी करेंगे।

निविदत्त मतपत्रों का लेखा :

3. आप प्रारूप 17 ग के भाग 1 की मद सं. 8 में,- (i) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग के लिए प्राप्त किये गये; (ii) निर्वाचकों को उस रूप में जारी किये गये; और (iii) अप्रयुक्त और लौटाये गये।

समस्त मतपत्रों का सही लेखा रखेंगे।

उन मतदाताओं का रिकार्ड जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किये गये :

4. आप उन निर्वाचकों का पूरा रिकार्ड रखेंगे जिन्हें प्ररूप 17 ख में निविदत्त मतपत्र जारी किये गये हैं। आप निर्वाचक को निविदत्त मतपत देने के पूर्व उस प्ररूप के स्तम्भ (5) में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी अभिप्राप्त करेंगे।

5. निविदित्त मतपत्र पर मत रिकार्ड करना :

5.1 मतदाता को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुई एरोक्रास मार्क रबड़ की स्टेम्प भी दी जायेगी। यह मुहर वैसी ही है जो रम्परागत पद्धति के मतपत्रों और मतपेटियों के उपयोग में मतपत्रों पर चिन्ह लगाने के लिए उपयोग में ली जाती रही है और यह स्टेम्प मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए मतदान सामग्री की एक मद के रूप में दी जायेगी।

5.2 निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित मतदाता, मतदाता कक्ष में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास में जिसे वह मत देने का आशय रखता है एरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर से क्रास करके अपने मत को चिन्हित करेगा।

5.3 तब मतदाता निविदत्त मतपत्र को मोड़ेगा और मतदान कक्ष से बाहर आने के पश्चात् आपको सौंप देगा।

5.4 आप समस्त निविदत्त मतपत्र और उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराये गये कवर में प्ररूप 17 ख में की सूची रखेंगे। मतदान सम्पन्न होने पर कवर को सील कर देंगे।

5.5 यदि अन्धत्व या शारीरिक विकलांगता के कारण ऐसा मतदता बना सहायता के अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो तो पीठासीन अधिकारी, अध्ययाय-22 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उसे अपने साथ एक साथी ले जाने की अनुमति देगा।

अध्याय-28

बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना

बलवे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन :

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57(1) के अधीन किसी मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कारणों से :-

(i) किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, भारी हिमपात, तीक्ष्ण तूफान और इसी प्रकार के अन्य; या

(ii) आवश्यक मतदान सामग्री जैस मतदान मशीन, निर्वाचक नामावली की अधिप्रमाणित प्रति और इसी तरह की अन्य सामग्री का प्राप्त न होना, खो जाना या नष्ट हो जाना; या

(iii) मतदान केन्द्र पर शान्ति भंग होना जिससे मतदान करवाना असंभव हो जाये; या

(iv) मतदान दल के रास्ते में बाधा या गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंचने ; या

(v) किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से

मतदान को स्थगित करने के लिए सशक्त है।

2.1 यदि बलवा हो जाये या खुले रूप में हिंसा करने का कोई प्रयास किया जाये तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस का उपयोग करें। यथापि, यदि उसे नियंत्रण न किया जा सके और मतदान को जारी रखना असंभव हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। यदि किसी प्राकृतिक विपत्ति या अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना असंभव हो गया हो तो ऐसी स्थिति में भी मतदान स्थगित कर दिया जाना चाहिए। थोडी देर के लिए वर्षा की बौछारें या आंधी आना मतदान को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। मतदान स्थगित करने को जो विशेषाधिकार आपको दिया गया है उसका प्रयोग आप कम और केवल उन्ही मामलों में करें जहां मतदान कराना वस्तुतः असंभव हो गया है। आयोग ने यह निश्चय किया है कि मतदान का स्थगन उन मतदान केन्द्रो पर हो सकता है जहां प्रथम दो घंटों में मतदान शुरु नहीं हो पाया है।

2.2 मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में आप रिटर्निंग आफिसर को सम्पूर्ण तथ्यों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करें। जहां कहीं मतदान स्थगित हो गया हो वहां आप सभी उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से घोषणा करके सूचित कर दें कि मतदान उस दिन होगा जो बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

2.3 आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रों की दोनों यूनिटों को सील कर दें तथा सुरक्षित रख दें मानों मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हो।

3. स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना :

3.1 जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित हो चुका है (अनुभाग 57 के उपभाग (1) के प्रावधान अनुसार) वही स्थगित मतदान जिस स्तर पर स्थगन से ठीक पूर्व छोड़ा गया था उससे आगे निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तारीख और समय पर पुनः करवाया

जायेगा अर्थात् जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान के पूर्व मतदान नहीं किया है उन्हें ही स्थगित मतदान में मत देने की अनुमति दी जायेगी। रिटर्निंग आफिसर, उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को जिस पर ऐसा स्थगित मतदान होना है, निर्वाचक नामामवली की चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबन्द पैकिट और प्ररूप 17-क में मतदाताओं का रजिस्टर जो उस मतदान केन्द्र पर पूर्व में प्रयुक्त हुये थे तथा एक नयी मतदान मशीन, उपलब्ध करेगा।

3.2 स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबंद पेकिट और मतदाताओं का रजिस्टर, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, जो भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, के समक्ष पुनः खोला जाना चाहिए और निर्वाचक नामावली की उसी चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर का स्थगित मतदान में प्रयोग किया जाना चाहिए।

3.3 नियम 28 और 49-क से 49-ख तक के उपबन्ध, किसी स्थगित मतदान के संचालन पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस प्रकार स्थगित होने के पूर्व के मतदान पर लागू थे।

3.4 जहां मतदान दल के नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारम्भ नहीं किया जा सका हो वहां ऊपर उल्लिखित नियमों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।

4. मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के कारण मतदान का रोका जाना :

4.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 ओ 58 के के अधीन निर्वाचन आयोग किसी मतदान केन्द्र पर मतदान को शून्य घोषित करने और नये मतदान का निर्देश देने के लिए सक्षम है, यदि उस मतदान केन्द्र पर -

(i) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से किसी मतदान मशीन को उठाकर ले जाये, या

(ii) कोई भी मतदान मशीन दुर्घटनावश या साशय नष्ट हो गयी हो या खो गयी हो या क्षतिग्रस्त हो गयी हो या उसमें गड़बड़ कर दी गयी हो और उस मतदान केन्द्र पर के मतदान का परिणाम उस कारणवश अभिनिश्चत नहीं किया जा सकता हो, या

(iii) किसी मतदान मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गयी हो, या

(iv) प्रक्रिया में कोई भूल या अनियमितता हो गयी हो जिससे मतदान के दूषित होने की सम्भावना हो, या

(v) बूथ पर कब्जा हो गया हो (उक्त अधिनियम की धारा 135 क में यथा-परिभाषित)।

4.2 यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान केन्द्र पर घटित हुयी हो तो आपको पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग आफिसर को भेजनी चाहिए ताकि वह इस मामले की रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के लिए भेज सके।

4.3 यदि आयोग समस्त तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् किसी मतदान केन्द्र पर नये मतदान कराये जाने का निर्देश दे तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जायेगा जैसे मूल मतदान हुआ है।

4.4 विवादास्पद मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार सभी निर्वाचक, नये मतदान पर पुनः मत देने के हकदार होंगे। मूल मतदान में लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह नये मतदन के समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नये मतदान के समय बनाये गये चिन्हों की,

पहले से ही बनाये गये मूल मतदान के समय के चिन्हों से भेद करने के लिये आयोग ने निर्देश दिया है कि नये मतदान में अमिट स्याही का चिन्ह मतदाता के बांये हाथ की मध्य अंगुली पर लगाया जाना चाहिए।

5. बूथ पर कब्जे के मामले में मतदान मशीन का बन्द किया जाना :

5.1 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49 भ यह उपबन्ध करता है कि जहां किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द्र के बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मत रिकार्ड नहीं किये जा सकें, मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को तत्काल बंद कर देगा और वह नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को पृथक् कर देगा।

5.2 आपको ऊपर उल्लिखितानुसार मतदान मशीन बन्द किये जाने की रिपार्ट केवल तब ही करनी चाहिए जब आपकों यह निश्चित हो जाये कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है न कि केवल बूथ का कब्जा किये जाने की संभावना के बारे में आशंका यासंदेह ही हो। यह इसलिए है क्योंकि जब एक बार ''क्लोज'' बटन दबाकर नियंत्रण यूनिट को बन्द कर दिया जाता है तो मतदान मशीन आगे और कोई मत रिकार्ड नहीं करेगी और मतदान या तो उस दिन के लिए अस्थायी रूप से, उस मतदान केन्द्र पर आगे मतदान कराने के लिए आपको नयी मशीन उपलब्ध कराये जाने तक आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा।

5.3 नियम 49 भ के अधीन आप द्वारा मतदान मशीन बंद करने के पश्चात् ज्यों ही संभव हो आपको पूरे तथ्यों सहित मामले की रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर को करनी चाहिए। रिटर्निंग आफिसर ऐसे मामले के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट संसूचना के उपलब्ध सबसे तीव्र माध्यम द्वारा निर्वाचन आयोग को करेगा।

5.4 निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग आफिसर से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,-

(i) या तो नयी मतदान मशीन उपलब्ध कराते हुए स्थगित मतदान को उस स्तर से जिस पर इसे स्थगित किया गया था, यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान उस स्तर तक दूषित नहीं हुआ था, पूर्ण कराने का निश्चय कर सकेगा, या

(ii) यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान दूषित हो गया था तो उस मतदान केन्द्र पर के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा और उस मतदान केनद्र पर नये मतदान का निर्देश दे सकेगा।

5.5 जहां मतदान, ऊपर पैरा 5.1 के अधीन मतदान मशीन बन्द करके उस दिन के लिए स्थगित/रोक दिया है वहां मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्र उसी रीति से मुहर बन्द और सुरक्षित रेखे जायेंगे जैसे मतदान के बन्द होने पर।

5.6 आयोग के निर्देशानुसार स्थगित मतदान को पूर्ण कराने या, यथास्थिति, नया मतदान कराने के लिए आगे की कार्यवाही पहले से ही ऊपर लिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

अध्याय-29

मतदान की समाप्ति

1. मतदान बंद होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदानः

1.1 इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बन्द कर दिया जाना चाहिए चाहे यह किसी अपरिहार्य कारण से मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से कुछ समय पश्चात् ही क्यों न प्रारम्भ हुआ हो। तथापि, मतदान बन्द करने के लिये नियत समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त मतदाताओं को अपना मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए चाहे मतदान नियत समय के बाद भी कुछ समय के लिए जारी रखना पड़े।

1.2 मतदान के लिए नियत समय समाप्त होने के कुछ मिनट पूर्व उन सभी व्यक्तियों के समक्ष जो मत देने के लिए मतदान केन्द्र की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी-बारी से अपना मत रिकार्ड करने की अनुज्ञा दी जायेगी। आप ऐसे समस्त निर्वाचकों को आप द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित स्लिपें वितरित कर दें जो, उस समय पंक्ति में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुसार क्रम सं. 1 से आगे तक क्रमवार संख्याकित होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के नियत समय के पश्चात् कोई भी व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये इस बात की देखरेख के लिये पुलिस या अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर देवें। यह कार्य प्रभावीढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि उन समस्त निर्वाचकों को स्लिपें अंतिम छोर से बांटना प्रारम्भ करते हुए पंक्ति के प्रारम्भ तक बांट दी जायें। नंबर वाली पर्चियां सादा कागज से बनाकर आप पहले से तैयार रखे जिनकी मात्रा का अनुमान मतदाताओं के आने के समान व मौजूदगी से लगाया जा सकता है।

2. मतदान बन्द करना :

2. मतदान बंद करने के लिए नियत समय की समाप्ति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त निर्वाचकों पूर्ववर्ती पैरा में उपबन्धितानुसार मत देने के पश्चात् आपकों मतदान की समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए और तत्पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

3. मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का बन्द करना :

3.1 अन्तिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतदान बन्द करने के लिए मतदान मशीन को बन्द किया जाना चाहिए ताकि मतदान मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड किया जाना सम्भव न हो। इस प्रयोजन के लिए, आपकों नियंत्रण यूनिट पर के ''क्लोज'' बटन को दबाना चाहिए। जब ''क्लोज'' बटन दबाया जाता है तब नियंत्रण यूनिट पर का प्रदर्शन पैनल, मतदान के अन्त तक मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या प्रदर्शित करेगा। मतदान मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या प्ररूप 17 ग के भाग-I की मद 5 में तत्काल नोट की जानी चाहिए। आप इसके बाद मतदान इकाई को नियंत्रण यूनिट से अलग कर पावर बठन को ''आफ'' की स्थिति में लाएं।

3.2 ''क्लोज'' बटन इसके बाहरी आवरण पर नीले रंग की प्लास्टिक की कैप के नीचे परिणाम सेक्शन के कक्षा में उपलब्ध है और प्लास्टिक कैप को खींचने मात्र से इस तक पहुंचा जा सकता है। प्लास्टिक कैप को, ''क्लोज'' बटन दबाये जाने के बाद पुनः लगा दिया जाना चाहिए।

3.3 ''क्लोज'' बटन को एक बार दबाये जाने के पश्चात् मतदान मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए ''क्लोज'' बटन दबाने के पूर्व आपको इस बात से अत्यधिक रूप से सावधान और पूर्णतया निश्चित होना चाहिए कि मतदान बन्द करने के नियत समय पर उपस्थित कोई निर्वाचक, मत देने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

3.4 आपको यह भी नोट करना चाहिए कि ''क्लोज'' बटन केवल तब ही कार्य करेगा जब नियंत्रण यूनिट पर का ''बिजी'' लैम्प चालू न हो अर्थात् मत देने के लिए अनुज्ञात अन्तिम निर्वाचक के पश्चात् ही जब उसने अपना मत रिकार्ड कर दिया हो। (बैलेट इकाई के नीले बटन को दबाकर) अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् भूलवश ''बैलट'' बटन दवाये जाने के कारण या ऐसे अन्तिम निर्वाचक द्वारा ''बैलट'' बटन दबाये जाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड कराने से इन्कार करने के कारण यदि ''बिजी'' लैम्प को नियंत्र यूनिट के पिछले कक्ष में के ''पावर'' स्विच को बन्द करके और नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों)का संबंध विच्छेद करके बन्द किया जा सकता है। नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) का संबंध विच्छेद करने के पश्चात् ''पावर'' को दुबारा चालू किया जाना चाहिए। अब ''बिजी'' लैम्प बुझ जायेगा और ''क्लोज'' बटन क्रियाशील हो जायेगा।

अध्याय-30

रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

1. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना :

1.1 आपसे मतदान की समाप्ति के पश्चात् निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ध के अधीन मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा ऐसे लेख प्ररूप 17 ग के भाग I में तैयार किये जायेंगे।

1.2 जैसा कि पूर्व अध्याय में पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है मतादान की समाप्ति के समय मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 'क्लोज' बटन दबाकर अभिनिश्चित की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दुबारा दबाया जा सकता है।

1.3 आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया है (उस रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) को घटाकर और मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करने पर मत देने के लिए आप द्वारा अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की संख्या भी घटाकर (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारूप 17 के) के स्तम्भ (I) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मतदतादाओं की कुल संख्या के समतुल्य होनी चाहिए।

1.4 प्ररूप 17 ग के भाग I में तैयार किये गये रिकार्डेउ मतों के लेखे का एक नमूना उपाबंध 13 पर आपके मार्गदर्शनार्थ दिया गया है।

1.5 प्ररूप 17 ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा, इसमें वर्णित शब्दों 'रिकार्ड किये गये मतों का लेखा' के साथ आप द्वारा एक पृथक् आवरण में रखा जाना चाहिए।

2. मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किये गये मतों के लेखों की अनुप्रमाणित प्रतियों का दिया जाना :

2.1 उक्त नियम 49घ के अधीन, मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, प्ररूप 17 ग में आप द्वारा तैयार किये गये रिकार्डेड मतों के लेखों की अनुप्रमाणित सत्य प्रति, उन मतदान अभिकर्ताओं से प्राप्ति रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् उन्हें देने की भी आपसे अपेक्षा की जाती है। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, यहां तक कि उसके बिना कहे जाने पर भी लेखों की प्रति दी जानी चाहिए। 17 ग की मूल प्रति तथा डुप्लीकेट प्रति, के साथ स्ट्रांग रूप में जमा करें।

2.2 आपको प्ररूप 17 ग में रिकार्ड किये गये मतों के लेखों की प्रतियों की अपेक्षित संख्या हेतु समर्थ बनाने के लिए आपको मुद्रित प्ररूप (प्ररूप 17 ग) की उतनी प्रतियां जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, के साथ मूल लेखे के लिए एक या दो और प्रतियां जोड़कर दी जायेंगी। यदि संभव हो तो मूल लेखे में प्रविष्टियां करते समय आप द्वारा कार्बन पेपर की सहायता से अपेक्षित प्रतियों की संख्या तैयार की जानी चाहिए ताकि मतदान अभिकर्ताओं को दी गयी ऐसी समस्त प्रतियां और मूल लेखे की प्रति हर तरह से पहचान योग्य हो।

2.3 विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव साथ-साथ होने पर प्ररूप 17 ग को पृथक्-पृथक् रूप से बनाया जावेगा तथा 17 ग की प्रति विधान सभा प्रत्याशी के अभिकर्ता को दी जाये। प्ररूप 17 ग की प्रति लोक सभा प्रत्याशी के अभकर्ता को दी जाये।

3. मतदान की समाप्ति पर की जाने वाली घोषणा :

3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान अभिकर्ताओं द्वारा रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की प्रतियां देने के संबंध में नियम 49 ध के अधीन ऊपर लिखित अपेक्षाएं आप द्वारा पूरी कर दी गयी हैं, आयेाग एक घोषणा (भाग III, उपाबंध 7) प्रकल्पित की है जो मतदान की समाप्ति पर आप द्वारा की जायेगी।

अध्याय-31

मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना

1.1 मतदान की समाप्ति के पश्चात् और मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप 17ग में तैयार करने तथा इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात् मतदान मशीन को मुहर बन्द किया जाना चाहिए और गणना/संग्रह केन्द्र तक परिवहन हेतु सुरक्षित रखना चाहिए।

1.2 मतदान मशीन को मुहरबन्द करने और सुरक्षित करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट का सबसे पहले संबंध विच्छेद किया जाना चाहिए और नियंत्रण यूनिट में के पावर स्विच को बन्द किया जाना चाहिए। मतदान यूनिट (टो) और नियंत्रण यूनिट को संबंधित वहन बक्सों में रख देना चाहिए। इन पर लगी पिंक पेपर सील/एड्रेस टैग आदि को सुरक्षित रखते हुए। इन्हें वहन बॉक्स में रखें।

1.3 तब प्रत्येक वहन बक्से को, ऐसे वहन बक्से के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये दो छिद्रों में से एक धागा डालकर और निर्वाचन, मतदान केन्द्र तथा उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते हुए एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी की मुहर सहित धागे की सील लगाते हुए मुहर बन्द किया जाना चाहिए।

1.4 मतदान यूनिट के ऊपर एड्रेस टैग पर की विशिष्टियां वैसी ही होगी जैसी अध्याय 3 के पैरा 2.1 में हैं। अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित जहों और अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए भी अनुज्ञात करना चाहिए।

1.5 अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं, जिन्होंने मतदान यूनिट (टो) और नियंत्रण यूनिट के वहन बक्सों पर अपनी मुहर लगायी है, के नाम भी आप द्वारा उस घोषणा में नोट किया जाना चाहिए जिसे आप मतदान की समाप्ति पर उपाबंध 7 के भाग 4 द्वारा करनी है।

अध्याय-32

निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों का मुहरबन्द किया जाना

1. निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों का पैकिटों में मुहर बन्द किया जाना :

1.1 मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को नियम 49U (उपाबंध 2 देखिए) द्वारा अपेक्षित पृथक् - पृथक् पैकिटों में मुहरबन्द किया जायेगा।

1.2 इस प्रकार मुहरबन्द किये गये सभी पैकिटों को नीचे पैरा 3 में स्पष्ट किये गये अनुसार चार बड़े पैकिटों में रखा जाना चाहिए और उनहें रिटर्निंग आफिसर को भिजवा देना चाहिए सिवाय उन पैकिटों के जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं हों :-

(i) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील (प्ररूप 17 ग);

(ii) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के पश्चात् की गई घोषणाएं (उपाबंध 7); और

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी।

(iv) दौरा शीट पेपर एवं 16 बिन्दु की पर्यवेक्षक रिपोर्ट को चार बडे पैकेट्स में रखा जाए जैसा कि नीचे पैरा 3 में दिया गया है तथा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाए।

1.3 उन लिफाफों को, जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं हों,-

(i) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा;

(ii) पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा; और

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी।

(iv) दौरा शीट तथा प्रेक्षक की 16 बिन्दु का प्रतिवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र पर मतदान मशीन के साथ अलग से प्राप्ति केन्द्र को भेजना चाहिए।

2. आपको ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन या उसके मतदान अभिकर्ता को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, निम्नलिखित दस्तावेजों से युक्त लिफाफों और पैकिटों पर उनकी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए, -

(i) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति;

(ii) मतदाताओं का रजिस्टर;

(iii) मतदाता पर्ची;

(iv) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में निविदत्त मतों की सूची;

(v) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र;

(vi) चुनौती दिये गये मतों की सूची;

(vii) बिना प्रयुक्त तथा खराब पेपर सील, यदि कोई हो;

(viii) मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र;

(ix) कोई अन्य पत्र जिन्हें किसी मुहरबन्द पैकेट में रखने के लिए रिटर्निंग आफिसर ने निर्देश दिया हो।

3. 'सांविधिक लिफाफों' और असांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री का बन्द किया जाना।

सीलबन्द मतदान मशीन, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों और समस्त अन्य सामग्री को जमा कराने के स्थान पर प्रतीक्षा में देरी और असुविधा से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लिफाफों और अन्य सामग्री को नीचे स्पष्ट किये गये अनुसार चार पृथक् बड़े पैकेटों में रख लें और उन्हें उनकी प्राप्ति के लिए नियत स्थान पर सौंप दें।

(क) प्रथम पैकेट, जिसमें नीचे वर्णित मुहरबन्द लिफाफे होने चाहिए और उस पर ''सांविधिक लिफाफे'' लिखा होना चाहिए:-

(i) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबन्द लिफाफा;

(ii) मतदाताओं के रजिस्ट का मुहरबन्द लिफाफा;

(iii) मतदाता पर्चियों का मुहरबन्द लिफाफा;

(iv) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबन्द लिफाफा;

(v) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप 17 ख की सूची का मुहरबन्द लिफाफा।

यदि ऊपर वर्णित किसी लिफाफे में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख शून्य है तो भी यह नोट करते हुए कि विवरण या अभिलेख ''शून्य'' है, तो भी लिफाफे में एक स्पिल ''शून्य'' लिखकर रखी जा सकती है और इस प्रकार तैयार किये गये लिफाफों की संख्या कुल पांच हो जायेगी ताकि प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्तिकर्ता को मुहरबन्द लिफाफों में से किसी के भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के बारे में जांच करने की आवश्यकता न रहे।

(ख) द्वितीय पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए और उस पर ''असांविधिक लिफाफे'' लिखा होना चाहिए :-

(i) निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा;

(ii) प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा;

(iii) प्ररूप 12-ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र से युक्त लिफाफा;

(iv) प्ररूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहर बन्द लिफाफा;

(v) प्ररूप 14-क में अन्धे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;

(vi) निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची (उपाबंध 11) से युक्त लिफाफा;

(vii) चुनौती दिये गये मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा;

(viii) प्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा;

(ix) अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा;

(x) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा; और

(xi) उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा।

(ग) तीसरे पैकेट में निम्नलिखित मदें होनी चाहिए :-

(i) पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका;

(ii) इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन की निर्देशिका;

(iii) अमिट स्याही सैट (रिसन या वाष्प को रोकने के लिए उस पर लगाइ गई पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ प्रभावी रूप से प्रत्येक शीशी पर लगाये जाने वाल ढक्कन सहित);

(iv) बैंगनी रंग के स्टाम्प पैड;

(v) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर;

(vi) निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रास मार्क रबड़ स्टाम्प;

(vii) अमिट स्याही रखने के लिए कप।

(घ) अन्य समस्त मदें, यदि कोई हों, चौथे पैकेट में बन्द की जानी चाहिए।

चिन्हित ''सांविधिक लिफाफे'' वाले प्रथम पैकेट में सम्मिलित किये जाने वाले पांच छोटे लिफाफे/पैकेटों को मुहरबन्द किया जाना चाहिए। चिन्हित ''असंवैधानिक लिफाफे'' वाले दूसरे, तीसरे और चौथे पैकेटों में सम्मिलित किये जाने वाले विभिन्न असांविधिक पत्रों और निर्वाचन सामग्री की मदों से युक्त अन्य छोटे लिफाफों/पैकेटों को पृथक् रूप से तैयार किया जा सकेगा किन्तु जिन्हें (प्ररूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त लिफाफे के सिवाय) समय बचाने के लिए मुहरबन्द किये जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना मुहरबन्द लिफाफे और प्ररूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहरबन्द लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक मीमों के साथ संबंधित बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए। इन बड़े पैकिटों को मुहरबंद किये जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इन्हें आलपिन या डोरे से बांधकर अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि प्राप्ति केन्द्र पर इनमें रखी गई सामग्री की जांच की जा सके। प्रथम पैकिट जिस पर शब्द ''सांविधिक लिफाफे'' चिन्हित है उसमें अन्तर्विष्ट लिफाफों की प्राप्ति केन्द्र पर जांच किये जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा मुहरबंद किया जाना चाहिए।

अध्याय-33

डायरी तैयार करना और संग्रह केन्द्रों पर मतदान मशीन तथा निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना

1. डायरी तैयार करना :

1.1 आपको, मतदान केन्द्र में कराये गये मतदान से संबंधित सारा कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली डायरी में लिखना चाहिए। डायरी का प्रोफार्मा उपबंध 14 में उद्धत किया गया है। तथापि, आपको डायरी का सम्यक् रूप से संख्यांकित प्रोफार्मा दिया जायेगा और केवल वह प्रोफार्मा ही आपको उपयोग में लाना चाहिए।

1.2 ज्यों-ज्यों सुसंगत घटनाएं घटें आप डायरी में लिखते जायें। आपकों सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उसमें उल्लेख करना चाहिए। डायरी में घटनाऐं लिखते समय आपको सावधान रहना चाहिये। यदि मतदान केन्द्र पर कोई घटना होती है जो आपके द्वारा सूचित नहीं की गई किन्तु अन्य स्त्रोत द्वारा सूचित की गई है, चुनाव आयोग अनिवार्यतः मामले में कार्य करेगा। यह आपके लिए बहुत ही दुखद तथा गंभीर स्थिति होगी। निर्वाचन आयेाग आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी विचार कर सकता है।

1.3 नियमित अन्तरालों या समय-समय पर डायरी के सुसंगत स्तम्भों में प्रविष्टयां करते रहें समस्त प्रविष्टियां मतदान की समाप्ति पर भरी और पूरी किया जाना अति आपत्तिजनक है। यह ध्यान रखें कि मतदान प्रक्रिया की समयावधि में समस्त बिन्दुओं के संबंध में डायरी उचित रूप से भरी जायें, आपकी ओर से किसी भी चूक को आयोग द्वारा अति गम्भीरता से लिया जायेगा।

2. रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों का सम्प्रेषण :

2.1 मतदान मशीन तथा मतदान पत्र सील करने के बाद तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् अध्याय 31 तथा 33 में वर्णित अनुसार उन्हें ऐसे स्थल पर जो कलेक्शन सेंटर है जमा करना होगा जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर आदेश दें, तथा ऐसी व्यवस्थाओं अनुसार जैसी कि रिटर्निंग ऑफिसर बनाएं।

2.2 मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों को संग्रह केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द करना या करवाना चाहिए। इस निमित्त किये गये किसी विलम्ब को आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा और समस्त संबंधितों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. आप संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को निर्वाचन अभिलेख और सामग्री से संबंधित निम्नलिखित बारह मदें सौंप दें:-

(i) अपने-अपने वहन बक्सों में सम्यक् रूप से मुहरबंद मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (टों);

(ii) रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा से युक्त लिफाफा (प्रपत्र 17 ग);

(iii) पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;

(iv) पीठासीन अधिकारी की डायरी से युक्त लिफाफा;

(v) आगमन शीट (दौरा शीट)

(vi) सोलह बिन्दुओं की प्रेक्षक की रिपोर्ट;

(vii) ''सांविधिक लिफाफे'' लिखा गया पहला पैकिट (5 लिफाफों से युक्त);

(viii) ''असांविधिक लिफाफे '' लिखाा गया दूसरा पैकिट (5 लिफाफों से युक्त);

(ix) निर्वाचन सामग्री की 7 मदों से युक्त तीसरा पैकिट (11 लिफाफों से युक्त);

(x) मतदान कक्ष के लिए सामग्री;

(xi) लालटेन, यदि दी गई हो;

(xii) बेकार कागजों के लिए टोकरी;

(xiii) मतदान सामग्री ले जाने के लिए पोलीथीन का थैला/जूट का थैला; और

(xiv) अन्य समस्त मदों, यदि कोई हों, से युक्त चौथा पैकेट।

उपर्युक्त समस्त मदों की संग्रह केन्द्र के पाप्ति अधिकारी (यों) द्वारा आपकी उपसिीति में जांच की जायेगी और तत्पश्चात् आपको कार्यमुक्त किया जायेगा

अध्याय-34

पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन

1. आपने मतदान दल के सदस्यों से निकट संबंध बनाये रखें। जब तक टीमवर्क नहीं होगा आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।

2.1 यह सुनिश्चित कर लें कि -

(क) आपको मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें दे दी गई हैं और इनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है;

(ख) प्रत्येक मतदान यूनिट पर समुचित मतपत्र सम्यक् रूप से लगा दिया गया है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है;

(ग) प्रत्येक मतदान यूनिट पर ''स्लाइड स्विच'' समुचित स्थिति में लगा दिया गया है;

(घ) नियंत्रण यूनिट के कैण्डीडेट सेट सेक्शन को और प्रत्येक मतदान यूनिट को सम्यक् रूप से मुहरबंद कर दिया गया है और उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैक अच्छी तरह से लगा दिये गये हैं।

(ड) नयी पेपर सील सुरक्षित है। BU व CU की

2.2 यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई है।

2.3 विशेष रूप से मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाता स्लिप, निविदत्त मतों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मतपत्र, निविदत्त मतों के लिए एरोक्रास मार्क रबड की स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मुहरबंद करने के लिए मोम, अमिट स्याही आदि की जांच कर लें।

2.4 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देख लें कि समस्त प्रतियां समरूप हैं और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ''पी बी'' से भिन्न कोई चिन्ह न हों

2.5 यह देख लें कि -

(i) हटाये गये नाम और अनुपूरक के अनुसार संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिये गये है;

(ii) काम में ली जा रही नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ पाण्डुलिपि में क्रम से संख्यांकित हैं;

(iii) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

3.1 मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय से कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचे।

3.2 यथा सम्भव, मॉडल ले आउट के अनुसार ही मतदान केन्द्र स्थापित करें।

3.3 मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के आने-जाने के लिए पृथक्-पृथक् प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लें।

4. मतदान के दिन आपके मतदान केन्द्र के बाहर मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, प्रदर्शित करें।

5. यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो कोइ स्थानीय मतदान अधिकारी नियुक्त कर लें।

6. मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घण्टा पूर्व मतदान मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर दें।

7.1 मतदान युनिट और नियंत्रण युनिट को जोड़ दें।

7.2 नियंत्रण युनिट के पिछले कक्ष में ''पावर स्विच'' को चालू करा दें।

7.3 नियंत्रण युनिट के पिछले कक्ष को एक पतले तार से बांधकर और कुछ गांठे लगाकर सुरक्षित कर लें।

7.4 उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा दें कि मतदान मशीन स्पष्ट है और उसमें पहले से ही कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।

7.5 मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर दिखावटी मतदान का संचालन करावें।

7.6 दिखावटी मतदान के संचालन के पश्चात् समस्त उपस्थित व्यक्तियों को ऐसे दिखावटी मतदान का परिणाम दिखाकर मतदान मशीन को साफ कर दें।

8.1 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे पर की चौखट में ग्रीन पेपर सील लगा दें।

8.2 रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को इस प्रकार बन्द करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर की तरफ रहें।

8.3 मुद्रित क्रम संख्या के नीचे हरे पेपर सील की सफेद सतह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।

8.4 उन उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों पेपर सील पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।

8.5 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे को विशेष टेग से सील करें।

9.1 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और सील कर दें। उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दें।

9.2 स्ट्रिप सील के साथ कन्ट्रोल युनिट बाहर से सुरक्षा के साथ सील कर दें।

9.3 मतदान अभिकर्ताओं को भी नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

10.1 मतदान कक्ष में मतदान यूनिटों को रखें। नियंत्रण यूनिट को आप अपनी मेज पर रखें या तृतीय मतदान अधिकारी के पास रखें जिसे कन्ट्रोल यूनिट का प्रभार दिया गया हो, जैसी भी स्थिति हो।

10.2 परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से रखें कि मतदाता को, मतदान कक्ष में जाते और आते समय उसे लांघना न पड़े, किन्तु केबल की पूरी लम्बाई दिखाई देनी चाहिये तथा किसी भी स्थिति में कपड़े या टेबल के नीचे छिपी नहीं होनी चाहिए।

11.1 उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखायें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में '' पी बी'' से भिन्न कोई प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।

11.2 यह भी दिखाये कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) में कोई प्रविष्टि नहीं है।

12. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा को पढ़े और हस्ताक्षर करें।

13.1 नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करें।

13.2 मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 को जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दें।

14. दिये गये किसी भी समय में मतदान केन्द्र के भीतर किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुज्ञात करें।

15. निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कर लें।

16. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को सम्यक् शिष्टाचार दिखायें और सम्मान दें तथा उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी उसे दें। मतदान केन्द्र पर उपस्थित माईक्रो प्रेक्षकों को भी सम्यक् शिष्टाचार दिखाएं।

17. मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर चुनाव प्रचार करना एक अपराध है।

18. मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषिद्ध है। यह ध्यान रखें कि आप या, आपके मतदान अधिकारी या कोई भी जिनके मतदान अभिकर्ता सम्मिलित हैं, मतदान केन्द्र के अन्दर धूम्रपान न करें।

19. किसी भी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतदान करने आए है, को विशेष व्यवहार या महत्व न दें।

20.1 जहां तीन मतदान अधिकारी हो वहां मतदान अधिकारियों के कर्तव्य निम्नलिखित है :-

पहला मतदान अधिकारी, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रखेगा और निर्वाचक को पहचानेगा। नामावली में मुद्रण संबंधी और लिपिकीय भूलों पर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा।

दूसरा मतदान अधिकारी अमिट स्याही और मतदाताओं का रजिस्टर रखेगा। वह निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा, रजिस्टर के स्तम्भ (2) में मतदाताओं के रजिस्टर पर निर्वाचक की भाग संख्या और क्रम संख्या को दर्ज करेगा। वह आईडेंटिफिकेशन डाक्यूमेन्ट जैसे ईपीआईसी या अन्य डाक्यूमेन्ट जो कि चौथे कॉलम, जैसे कि रिमार्क कॉलम में ऐसे डाक्यूमेंट के अन्तिम चार डिजिट्स के सीरियल क्रमांक को अंकित करेगा। उसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता पर्ची देने के पश्चात् अभिप्राप्त करेगा।

तीसरा मतदान अधिकारी, नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक से मतदाता स्लिप लेगा, उसकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही की जांच करेगा और नियंत्रण यूनिट पर के ''बैलट'' बटन को दबाकर मत देने के लिए उसे अनुज्ञात करेगा तथा मतदाता को निर्देशित करेगा कि वह मतदान कम्पार्टमेन्ट के अन्दर आए तथा बैलट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपनी पसंद का मत डाले।

20.2 एक साथ चल रहे चुनावों में मतदान अधिकारियों की ड्यूटी जब मतदान पार्टियों में एक पीठासीन अधिकारी तथा पांच मतदान अधिकारी हों, जैसे निम्नानुसार :

प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता को पहचानने हेतु अधिकृत होगा तथा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा।

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही तथा मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा।

तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्चियों का प्रभारी होगा।

चतुर्थ मतदान अधिकारी लोक सभा चुनावों के कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

पांचवां मतदान अधिकारी राज्य विधान सभा चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा

20.3 निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने को कहें जिसमें मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्हें मत देने के लिए जब तक न कहें जब तक उन्होंने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्ष/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।

21.1 किसी निर्वाचक की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण न करें जब तक कि चुनौती देने वाला दो रुपये की नकद चुनौती फीस जमा न कर दे। प्ररूप 14 में ऐसे चुनौती दिये गये मतों का रिकार्ड रखें।

21.2 यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपण करने वाले को, लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।

22. अन्धे और शिथिलांग के साथ से अपेक्षित घोषणा अभिप्राप्त करें। प्ररूप 14 के में ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड रखें।

23. यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात् 18 वर्ष से बहुत कम मानते हैं किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा सामाधान हो जाता है तो उसकी आयु के संबंध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें।

24.1 किसी भी निर्वाचक पर दवाब न डालें या उसे बाध्य नहीं करें यदि मतदाताओं के रजिस्टर में उसकी विशिष्टियां नोट किये जाने के पश्चात् वह मत नहीं देने का विनिश्चय करें। रजिस्टर में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें।

24.2 किसी निर्वाचक के मत नहीं देने के विनिश्चिय के कारण रजिस्टर के स्तम्भ 1 में की किसी क्रम संख्या को परिवर्तित नहीं करें।

25.1 किसी निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात करें यदि उसके नाम से किसी अन्य द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् वह उस मतदान केन्द्र पर आता है और उसकी पहचान के बारे में आपका ससमाधन हो जाता है। उसे मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करें।

25.2 ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किए गए हैं। जिसको प्ररूप 17 ख में निविदत्त मतपत्र जारी किया गया है। निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में सूची प्रथक् लिफाफे में रखें।

26.1 किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करें यदि आप द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करें।

26.2 मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर के स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या परिवर्तित न करें।

27.1 मतदान समाप्ति पूर्व नियत समय तक यदि मतदाता पंक्ति में है तो यह सुनिश्चित करने हेतु मतदान समाप्ति के कुछ मिनिट पूर्व अपने हस्ताक्षरयुक्त पर्चियाँ सभी पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पंक्ति के पीछे से आगे तक आते हुए दें।

27.2 ऐस समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करें जिन्हें ऐसी स्लिपें जारी की गई है चाहे मतदान को नियत समय के पश्चात् भी जारी क्यों न रखना पडे।।

28.1 ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात् मतदान बन्द किये जाने की औपचारिक घोशणा करें।

28.2 नियंत्रण यूनिट पर के ''क्लोज'' बटन को दबाकर मतदान मशीन बन्द कर दें। इसके इस प्रकार दबाये जाने के पश्चात् ''क्लोज'' बटन के ऊपर के नीले रंग की प्लास्टिक की कैप को बदल दें।

29.1 प्ररूप 17 ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करें।

29.2 अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को तथा रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की अनुप्रमाणित प्रतियां दें। विहित घोषणा प्ररूप में इस आशय की घोषणा करें।

30.1 मतदान के बन्द करने के पश्चात् मतदान यूनिट (टो) और नियंत्रण यूनिट का संबंध विच्छेद कर दें।

30.2 नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में ''पावर स्विच'' को बन्द कर दें।

31.1 नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (टो) को उनके अपने-अपने वहन बक्सों में रखें।

31.2 वहन बक्सों को दोनों ओर से सील कर दें। प्रत्येक वहन बक्से पर एड्रेस टैग अच्दी तरह से लगा दें।

31.3 समस्त मतदान अभिकर्ताओं को इन वहन बक्सों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

32.1 समस्त निर्वाचन पत्रों और सामग्री को पृथक् पैकेटों में सील करें।

32.2 निम्नलिखित से युक्त लिफाफों पर आप अपनी सील लगायें :- (1) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, (2) मतदाताओं का रजिस्टर, (3) मतदाता पर्ची, (4) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में सूची, और (5) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र।

32.3 समस्त मतदान अभिकर्ताओं को इन लिफाफों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

33.1 निर्वाचन पत्रों और सामग्री के समस्त पैकेटों को चार बड़े पैकेटों में रखें।

33.2 ''सांविधिक लिफाफे'' लिखे गये पहले मुहरबंद पैकेट में पांच मुंहरबंद लिफाफे होने चाहिए।

33.3 ''असांविधिक लिफाफे'' लिखे गये दूसरे पैकेट में ग्यारह लिफाफे होने चाहिए।

33.4 तीसरे पैकेट में सात मदें होनी चाहिए।

33.5 समस्त अन्य मदें चौथे पैकेट में बन्द करनी चाहिए।

34. निम्नलिखित को पृथक् पैकेट्स में रखें, उन्हें ऊपर उल्लिखित चार बड़े पैकेट्स में से किसी में भी नहीं रखना चाहिए।

(1) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप 17 ग), (2) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आपके द्वारा की गई घोषणाएं, और (3) पीठासीन अधिकारी की डायरी अलग लिफाफे में रखी जाएगी और ऊपर बताए गए चारों बड़े लिफाफों में नहीं रखी जाएगी, (4) पर्यवेक्षक की 16 सूत्रीय रिपोर्ट, (5) विजिट शीट ध्यान रखें कि 16 सूत्रीय पर्यवेक्षक रिपोर्ट कलेक्शन सेन्टर पर सौंपी जाए। यदि यह रिपोर्ट प्राप्ति स्थल पर जमा नहीं होगी, तो उस दिन आपको कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।

35. मतदान मशीन मद 34 में उल्लिखित तीन पैकेट 16 बिन्दु की प्रेक्षक रिपोर्ट तथा आगमन शीट और मद 33 में उल्लिखित चार बड़े पैकेट को मतदान के तत्काल पश्चात् अविलम्ब, संग्रहण केन्द्र के सुपुर्द कर दें।

36. मतदान केन्द्र पर की घटनाओं का पूर्ण और सही लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी हर तरह से पूर्ण रखें। जब भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर लें न कि मतदान की समाप्ति पर।

37. यदि मतदान केन्द्र पर कोई हिंसा या बलवा होता है तो मतदान स्थगित कर दें। रिटर्निंग आफिसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

38. यदि बूथ पर कब्जा किया गया है या कोई मतदान मशीन या निर्वाचन सामग्री जैसे मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आदि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी गई हैं या क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं या उनमें गड़बड़ की गई ई तो मतदान बन्द कर दें। रिटर्निंग आफिसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

उपाबंध 1

(अध्याय-1 पैरा 3)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उद्धरण

31. मिथ्या घोषणाएँ करना :- यदि कोई व्यक्ति-

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें उपवर्णित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्धरण :

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति.- (1) जिला निर्वाचन अधिकारी हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान अधिकारी या ऐसे मतदान अधिकारियों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत् किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है :

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत् किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसकेलिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को तद्नुसार इत्तिला/सूचना देगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से रोकती/रोकना न करेगी।

(2) यदि मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम के या अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए आदेशों के अधीन पीठासीन अधिकारी के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी रूग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन अधिकारी के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा।

(5) किसी संघ राज्यक्षेत्र में के निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में धारा 25 में और इस धारा में जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के प्रति निर्देश है।

27. पीठासीन अधिकारी का साधारण कर्त्तव्य.- मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और वह सुनिश्चित करना कि मतदान निर्धारित प्रक्रिया से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन अधिकारी का साधारण कर्तव्य होगा।

28. मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य.- मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें।

28क. रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना.- किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारम्भ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तद्नुसार ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

46. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति.- निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता इतनी संख्या में अभिकर्ता और आरक्षित अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा जितनी धारा 25 के अधीन उपबंधित हर एक मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए विहित की जाए।

48. मतदान अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु.- (1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी निरस्तीकरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह ऐसे अधिकारी के पास, जैसा विहित किया जाए, दाखिल किया गया है और मतदान के बन्द होने से पूर्व ऐसे निरस्तीकरण की या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान बन्द होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा मतदान अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना विहित रीति में ऐसे अधिकारी को तत्क्षण देगा जैसा विहित किया जाए।

(2) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी निरस्तीकरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किया गया है और मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे निरस्तीकरण की या गणन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा गणन अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को विहित रीति में तत्क्षण देगा।

49. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य.- (1) मतदान अभिकर्ता मतदान से जुड़े हुए/सम्बंधित ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसों का मतदान अभिकर्ता द्वारा पालनकिया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

(2) गणन अभिकर्ता मतों की गणना से संसक्त ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसों का गणन अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

50. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का उसके द्वारा पालन (1) हर ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है ऐसे निर्वाचन में के हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह मतदान के लिए धारा 25 के उपबंधित किसी भी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत किसी भी स्थान में उपस्थित रहे।

(2) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं वह कार्य या बात कर सकेगा, जिसे यदि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त किया गया होता तो वह उसे करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत होता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के किसी भी मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की किसी ऐसे कार्य या बात करने में सहायता कर सकेगा।

51. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की भागीदारी.- जहां कि कोई कार्य या बात मतदान या गणन अभिकर्ता की उपस्थिति में किए जाने के लिये इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहां उस प्रयोजन के लिये नियत समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी उस किए गये कार्य या बात को, यदि वह कार्य या बात अन्यथा सम्यक् रूप से की गई, अविधिमान्य नहीं करेगा।

57. आपात में मतदान का स्थगन.- (1) यदि निर्वाचन में धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिये धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत-स्थान में कार्यवाहियों में बल्वे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना संभव नहीं है, तो यथास्थिति ऐसे मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान में रिटर्निंग ऑफिसर मतदान की ऐसी तारीख तक के लिये स्थगित किए जाने की घोषणा करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और जहां कि मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे स्थगित किया जाता है, वहां वह संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को तत्क्षण इत्तिला देगा।

(2) जब कभी मतदान उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग ऑफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से जल्द से जल्द वह दिन नियत नियत करेगा जिसको मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और वह मतदान केन्द्र या स्थान जहां, और वह समय जिसके भीतर होगा नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में दिए गए मतों की गणना तब तक न करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर यथापूर्वोक्त हर मामले में, मतदान के लिये वह तारीख, स्थान और समय जो उपधारा (2) के अधीन नियत की गई या किया गया है, ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

58. मतपेटियों के विनष्ट होने आदि की दशा में नया मतदान.- (1) यदि किसी निर्वाचन में-

(क) मतदान केन्द्र में या मतदान के लिये नियत स्थान में उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है या कर दी जाती है या खो जाती है या खो दी जाती है अथवा इस विस्तार तक इसे नुकसान पहुंचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, अथवा

(ककक) किसी मतदान मशीन में अभिलिखित करने के अनुक्रम में कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है, अथवा

(ख) मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए, तो रिटर्निंग ऑफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यह तो-

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के लिये दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या कि मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या प्रक्रिया सम्बन्धी गलती या अनियमितता महत्वपूर्ण नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरा किए जाने के लिये ऐसे निर्देश देना जैसे वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के और इसके अधीन/अन्तर्गत बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के प्रावधान हर ऐसे नए मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू हैं।

58क. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना.- (1) यदि किसी निर्वाचन में-

(क) किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिये नियत स्थान पर (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्थान कहा गया है) बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है, जिससे ऐसे मतदान केन्द्र या स्थान में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है; अथवा

(ख) किसी मतगणना स्थान पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर से उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सब महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो-

(क) उस मतदान केन्द्र या स्तएातन में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए सिरे में मतदान के लिये दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी वह ठीक समझे; अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बलात् ग्रहण को देखते हुए निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है या यह कि बूथों के बलात् ग्रहण का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन को दी हुई आज्ञा के विपरीत आज्ञा देगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा में ''बूथों के बलात् ग्रहण'' का वही अर्थ है जो धारा 135क में है।

59. निर्वाचनों में मत देने की रीति.- ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में दिए जाएंगे जैसी विहित की जाए और कोई मत परोक्षी के माध्यम से न लिये जाएंगे।

60. कुछ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मत दिए जाने के लिये विशिष्ट प्रक्रिया.- धारा 59 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा—

(क) कोई व्यक्ति जिसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उपधारा (8) के उपभाग (ख) के उपबन्ध लागू हैं। (आगे इसे 1950 की धारा कहा गया है)। ऐसा व्यक्ति स्वयं मतदान कर सकता है या डाक मतपत्र द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा और किसी भी तरह मतदान नहीं कर सकता है।

(ख) निम्नलिखित व्यक्ति अपना मतदान स्वयं या डाक मतपत्र द्वारा कर सकते हैं और किसी तरीके से नहीं

(i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट है,

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसको 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के उपाबंध लागू होते हैं, पत्नी और जो पति उस धारा की उपधारा (9) निबंधनों के अनुसार उस व्यक्ति के साथ मामूली तौर पर निवास कर रही थी,

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग का व्यक्ति हो, जो निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया गया है, निर्वाचन क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है, ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हु, जैसी उन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाक मतपत्र द्वारा न कि किसी अन्य रीति में मत देने में,

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन है, निर्वाचन-क्षेत्र के ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, ऐसी अपेक्षिाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए, जैसी उन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कीजाएँ, डाक मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में समर्थ बनाने के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा।

61. निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने के लिये विशेष प्रक्रिया.- इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण किया जा सके-

(क) ऐसे हर निर्वाचक के, जो मतदान केन्द्र में मत देने के प्रयोजन के लिये मतपत्र या मतपत्रों के लिए आवेदन करता है, अंगूठे या किसी दूसरी अंगुली को अमिट स्याही से, उसे ऐसे पत्र या ऐसे पत्रों के उपलब्ध कराने के पूर्व, चिन्हित करने के लिये,

(ख) यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के अधीन उस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन, उस निर्वाचन क्षेत्र के, जिसमें मतदान केन्द्र स्थित है, अभ्यर्थियों को पहचान-पत्र उन पर संलग्न उनके अपने फोटोग्राफों के सहित या उनके बिना दिए गए हैं तो यथोपरोक्त ऐसे हर निर्वाचक को मतपत्र या मतपत्रों के उपलब्ध कराने के पूर्व, उसके द्वारा मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के समक्ष अपना अभिज्ञान-पत्र पेश किए जाने के लिये, तथा

(ग) यदि जिस समय ऐसा व्यक्ति ऐसे मतपत्र के लिये आवेदन करता है उस समय उसके अंगूठे या किसी दूसरी अंगुली पर ऐसा चिन्ह पहले से ही है या वह मांग पर अपने पहचान-पत्र को मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के समक्ष पेश नहीं करता तो वैसे किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में मत देने के लिये किसी मतपत्र के उपलब्ध कराने से रोकने के लिए, उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किया जा सकेगा।

61क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें.- इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों से ऐसी रीति से जो विहित की जाए मत देना और अभिलिखित करना ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचनों क्षेत्रों में अंगीकार किया जा सकेगा जो निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजना के लिये ''मतदान मशीन'' से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिये प्रयुक्त कोई मशीन या यंत्र, चाहे वह इलैक्ट्रोनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचलित हों और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।

62. मत देने का अधिकार.- (1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित के सिवाय उन निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति साधारण निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक में मत न देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मत दे, तो ऐसे सब निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत न देगा कि उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन या अन्यथा कारावास में संदेह है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्ति को लागू न होगी।

(6) उपधारा और उपधारा (4) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से, जहाँ तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.- (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से सम्बन्धित किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायक करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्राप्त कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये सूचित करने के सिवाय) सूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

129. निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिये कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे.- (1) जो कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक निटर्निंग ऑफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से सम्बन्धित किसी कर्तव्य के पालन के लिये नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिये न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य—

(क) न तो किसी को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये मनाने का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिये मनाने का; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध.- (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:—

(क) मतों के लिये संयाचना;

(ख) किसी निर्वाचक के मत की याचना करना;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिये किसी निर्वाचक को मनाना, और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना में भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा,

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिये शास्ति.- (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होताः-

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युपादन के लिये कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा न विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा,

कि मतदान के लिये मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्त्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेषण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा केअधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अधिगृहीत कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शास्ति.- (1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान हेतु केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी या कर्तव्यरूढ़ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिसे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिएशास्ति.- यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचन में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

134. निर्वाचनों से संबंधित पदीय कर्त्तव्य के भंग.- (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे वह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य का लोप या युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत् नुकसानों के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है, ये हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा ''पदीय कर्तव्य'' पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा, किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति.- यदि सरकार की सेवा में या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134ख. मतदान केन्द्र या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध.- (1) रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर सत्तारूढ़ हैं भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस-पास आयुध अधिनियम, 1959 में (1959 का 54) परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (54 ऑफ 1959) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा.- (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेषण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगाः

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संदेय होगा।

135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध.- (1) जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की हीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा और धारा 20ख के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को कब्जे में कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभवित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उनके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से मना करना;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतःप्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान पर अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना, उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संक्षेय होगा।

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां.- (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति—

(क) कोई नामनिर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(ख) रिटर्निंग ऑफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा; अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किसी ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति–

(क) यदि वह रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन में संसक्त पदीय कर्त्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ि त है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के संबंध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु ''पदीय कर्तव्य'' पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने के अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

उपाबंध 2
(अध्याय-1 पैरा 3)

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण

13. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति.- (1) जितने मतदान अभिकर्ता धारा 46 के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, वे एक अभिकर्ता और दो आरक्षित अभिकर्ता होंगे।

(2) हर ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में की जाएगी और यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान में पेश की जाने के लिये मतदान अभिकर्ता को दे दी जाएगी।

(3) जब तक कि किसी मतदान अभिकर्ता के पीठासीन अधिकारी के उपनियम (2) के अधीन वाली अपनी नियुक्ति को लिखित, उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष सम्यक् रूप से पूर्ण हस्ताक्षरित करने के पश्चात् सूचना न कर दी हो उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा।

14. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का निरस्तीकरण.- (1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन निरस्तीकरण प्ररूप 11 में किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी ऐसे निरस्तीकरण की दशा में नई नियुक्ति मतदान बन्द होने के पहले किसी भी समय नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा और हर ऐसे अभिकर्ता को उस नियम के उपबन्ध लागू होंगे।

16. मत सामान्यतः स्वयं दिए जाएंगे.- यथा उपबन्धित के सिवाय निर्वाचन में मत देने वाले सब निर्वाचक, यथास्थिति, धारा 25 के अधीन अपने लिये उपबन्धित किए गए मतदान केन्द्र में या धारा 29 के अधीन नियत मतदान के स्थान पर स्वयं मत देंगे।

भाग-3

डाक-मतपत्र

17. परिभाषाएं इस भाग में,—

(क) ''सेवा नियोजित मतदाता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के खण्ड (क या खण्ड ख) से विनिष्ट है। इसके अंतर्गत परन्तु नियत 27 (ङ) में परिभाषित अधिसूचित सेवा में नियोजित ''मतदाता'' नहीं है;

(ख) ''विशेष मतदाता'' से ऐसे पद का धारक कोई व्यक्ति जिस पद की बाबत् यह घोषणा की गई है कि उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, 1950 की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबन्ध लागू हैं या ऐसे व्यक्ति की पत्नी अभिप्रेत है, यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किये गए कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) ''निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदाता'' से मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी व अन्य लोक सेवक अभिप्रेत है जो निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचन-कर्त्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र से मत देने में असमर्थ है, जहां कि वह मत देने का हकदार है।

17. डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति.- एतस्मिन् पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् :-

(क) (i) विशेष मतदाता;

(ii) सेवा नियोजित मतदाता;

(iii) निर्वाचन-कर्त्तव्यारूढ़ मतदाता; तथा

(iv) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक;

संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में,—

(ख) (i) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता;

(ii) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक;

(iii) निर्वाचन-क्षेत्र के संपूर्ण या किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में निर्वाचन उस सूरत में जिसमें कि नियम 68 के खण्ड (ख) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हो।

(ग) परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में—

(i) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक;

(ii) जब निर्वाचक उस दशा में, जिससे कि सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन में, डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे। नियम 68 के खण्ड (क) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हो,

20. निर्वाचन-कर्त्तव्यारूढ़ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना.- (1) जो निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप 12 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से जैसी रिटर्निंग ऑफिसर अनुज्ञात करे, पहले इसके पास पहुंच जाए और यदि रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता है तो वह उसे एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा।

(2) जहां कि ऐसा मतदाता, उस निर्वाचन-क्षेत्र में जिसका वह निर्वाचक है, निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक होते हुए, संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में स्वयं, न कि डाक द्वारा मत देना चाहता है, वहां वह रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप 12-क में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से, जैसी रिटर्निंग ऑफिसर अनुज्ञात करे पहले उसके पहले पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन-कर्त्तव्यारूढ़ ऐसा लोक सेवक और मतदाता है तो वह,—

(क) आवेदक को प्ररूप 12ख में निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाण-पत्र जारी कर देगा,

(ख) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उसके नाम के सामने ''निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र'' यह उपदर्शित करने के लिये अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केंद्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होगा, मत देने के लिये अनुज्ञात न किया जाए।

23. मतपत्रों को जारी किया.- डाक प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा डाक मतपत्र निर्वाचक को भेजा जायेगा, जिसके साथ—

(क) प्ररूप 13क फार्म में घोषणा,

(ख) प्ररूप फार्म 13ख में लिफाफा,

(ग) एक बड़े लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के नाम फार्म 13ग में एवं

(घ) निर्वाचकों के नामनिर्देशन के लिये प्ररूप 13घ ये अनुदेश, भी होंगे;

परन्तु रिटर्निंग ऑफिसर विशेष मतदाता निर्वाचन कर्त्तव्य रूढ़ मतदाता की दशा में मतपत्र और प्ररूप स्वयं ऐसे मतदाता को सूचित कर सकेगा या सूचित करा सकेगा।

(2) रिटर्निंग ऑफिसर उसी समय,—

(क) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्या रिकॉर्ड करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट है;

(ख) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में, निर्वाचक का नाम यह उपदर्शित करने के लिये चिन्हित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है किन्तु वह उस निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें रिकॉर्ड नहीं करेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह निर्वाचक मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अनुज्ञात न किया जाए।

24. मत का अभिलेखन.- (1) जिस निर्वाचक को डाक-मतपत्र प्राप्त हुआ है और जो मत देना चाहता है वह मतपत्र पर अपना मत प्ररूप 13घ के भाग 1 में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसार अभिलिखित करेगा और वह तब उसे प्ररूप 13ख वाले लिफाफे में बन्द करेगा।

(2) जो राजपत्रित मजिस्ट्रेट (Stipendiary Magistrate) या नीचे विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारियों में से जो भी समुचित अधिकारी निर्वाचक को स्वयं जानता है या जिसके समक्ष निर्वाचक समाधानप्रद रूप में पहचाना गया है उस मजिस्ट्रेट को या उस अन्य समुचित अधिकारी की, अर्थात्:- (फार्म 13 (क) स्वहस्ताक्षरित)।

(क) सेवा नियोजित मतदाता की दशा में, उस अधिकारी को, जो उस यूनिट, पोत या स्थापन के कमान अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, जिसमें, यथास्थिति, मतदाता या उसका पति नियोजित है या उस अधिकारी को, उस देश में, जिसमें ऐसे मतदाता निवासी है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त इस निमित्त नियुक्त किया जाए;

(ख) विशेष मतदाता की दशा में, उस अधिकारी की जो सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

एस.ओ. 230 (ङ) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1)इन नियमों का नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में (जिन्हें इसमें आगे मुख्य नियम कहा गया है)।

(क) भाग 4 के शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''अध्याय 1

मतपत्र द्वारा मतदान''

(ख) नियम 28 में, शब्दों ''इस भाग में'' के स्थान पर शब्द ''इस अध्याय और अध्याय 2 में'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ग) नियम 49 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''अध्याय 2

''इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान''

49क. इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का परिकल्प.- प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मतदान मशीन कहा गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी परिकल्प की होगी जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

49ख. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान मशीन की तैयारियां.- (1) मतदान मशीन के मतदान यूनिट पर विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होगी जो निर्वाचन आयोग निर्देशित करे।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतदान यूनिट पर उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान जोड़कर या किसी अन्य रीति से उनको सुभिन्न किया जाएगा।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग ऑफिसर,—

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और चिन्हों को अंतर्विष्ट करने वाला लेबल मतदान यूनिट में लगाएगा और उस यूनिट को अपनी मुद्रा से और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं का मुद्राओं से, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा;

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थित करेगा और अभ्यर्थी व्यवस्था अनुभाग को नियंत्रण यूनिट में बंद करेगा और उसे अपनी मुद्रा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा।

49ग. मतदाता केन्द्रों में इंतजाम.- (1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर,-

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने केलिए हकदार है, और यदि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक निरीक्षण दिखाये/प्रदर्शित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य निर्वाचक सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के अपूर्वानुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या ध्धिक मतदान केन्द्रों के लिये एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा।

49घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश.- पीठासीन अधिकरी निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा,-

(क) मतदान अधिकारियों के;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;

(घ) अभ्यर्थियों,उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;

(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के;

(च) अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी नियम 49छ के उपनियम (2) या नियम 19ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

49ङ. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना.- (1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर,-

(क) यदि निर्वाचन-क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;

(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम;

(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और

(घ) मतदान की तारीख, चिन्हित होगा या होगी।

(2) मतदान के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगा है।

(3) जहां तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिये पत्र-मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की इच्छा रखते हों।

(4) पीठासीन अधिकारी इस प्रकार हस्ताक्षरित पत्र-मुद्रा को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिये निर्धारित स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।

(5) नियंत्रण यूनिट के सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना ''परिणाम बटन'' को दबाना संभव न हो।

(6) नियंत्रण यूनिट सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित किया जायेगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा।

49च. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति.- मतदान के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में,—

(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि; और (ई.डी.सी.-इलेक्शन ड्यूटी प्रमाण-पत्र)।

(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण के लिए गए चिन्ह से भिन्न कोई चिन्ह, अन्तर्विष्ट नहीं है।

49छ. महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं.- (1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और महिला मतदाताओं दोनों के लिए हैं वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक्-पृथक् टुकरियों में प्रवेश दिया जाएगा।

(2) रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी स्त्री को महिला मतदाताओं की सहायता के लिये और महिला मतदाताओं की बाबत् मतदान करने में साधारणतया पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री को उस दशा में हटाने में मदद करने के लिए, जबकि वह आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिये नियुक्त कर सकेगा।

49ज. निर्वाचकों का अभिज्ञान.- (1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को जैसों को वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों के अभिज्ञान करने में अपनी मदद के लिये या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिये नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे-जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टयों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन पहचान-पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष निर्वाचक अपना पहचान पत्र पेश करेगा।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन पहचान-पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष निर्वाचक अपना पहचान-पत्र पेश करेगा।

(4) किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार का विनिश्चय करने में यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनदेखा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

49झ. निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं.- (1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ि त को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मतदान केन्द्र उससे भिन्न हो, जहां मत देने का वह हकदार है।

(2) ऐसे प्रमाण-पत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन अधिकारी-

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाण-पत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंक में प्रविष्टि करोगा; तथा

(ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है।

49ञ. अनन्यता के बारे में दावा.- (1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति को अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिये पीठासीन अधिकारी के पास नकद दो रुपये की राशि पहले जमा करके कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी ऐसा निक्षेप किए जाने पर-

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत् ऐसा दावा किया गया है, प्रतिरूपण के लिये शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत के साक्ष्य दें और दावा किया गया व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि दावा सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह दावा किया गया व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दें, और यदि उसका विचार हो कि दावा स्थापित कर दिया गया है तो वह दावा किये गये व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निर्देश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए।

49ट. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय.- (1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत्, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाई तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा किया जाने देगा और उस पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाया जाने देगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक—

(क) अपनी बाई तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बाई तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से है या ऐसी स्याही चिन्ह को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 49ज के उपनियम (3) द्वारा यथासम्भव/अपेक्षित रूप में अपना पहचान-पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है, तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हों वहां उस निर्वाचन को, जिसकी बाई तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिन्हित कर दी गई है या जिसने अपना पहचान-पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाई तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में जिसमें निर्वाचक की बाई तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी ऐसी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं है वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया.- (1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान अधिकारी—

(क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा।

(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा, और

(ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिन्हित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है :

परन्तु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो।

(2) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।

49ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया.- (1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिनपश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) मतदान करने के लिये अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिटके भारसाधक मतदान अधिकारी के पास आएगा जो नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात् तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा, और

(ग) मतदान कोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।

(4) हर निर्वाचक अनुचित/पर्याप्त विलंब के बिना मत देगा।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49ट या 49 के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इंकार करे, तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निर्देश से मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(7) जहां उपनियम (6) के अधीन निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररूप 17क में इस आशय का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।

49ढ़. अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन.- (1) यदि पीठासीन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक को अपनी ओर से अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अधिक आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसके उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा।

49ण. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना.- यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम, 49ठ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात् मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

49त. निविदत्त मत.- (1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बबात् यह दावा करे कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, से निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मत देना चाहता है, तो उसे अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन अधिकारी पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिये अनुज्ञात करने के बजाए निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 17ख से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करने का वह तत्क्षण.—

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा;

(ख) अपना मत मतदान-पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिए गए उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, यह क्रास चिन्ह (x) लगाकर अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिन्ह दर्शित करेगा;

(ङ) उसे पीठासीन अधिकारी को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) अंधेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रखते हुए नियम 49ड में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा।

49थ. मतदान के दौरान कोष्ठ में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश करना.- (1) जब कभी पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि उसमें कि मतदान यूनिट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या छेड़छाड न किया गया हो।

(2) यदि पीठासीन अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में अनुचित/पर्याप्त देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विध और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) जब कभी पीठासीन अधिकारी मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी इच्छा करें तो अपने साथ जाने देगा।

49द. मतदान बंद करना.- (1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन निर्धारित/तय नियत समय पर बंद कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा।

परन्तु मतदान केन्द्र के बंद किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब-निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत् पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

49ध. अभिलिखित मतों का लेखा.- (1) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 17ग में मतों का लेखा तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में रखकर/बन्द कर उस पर अभिलिखित मतों का लेखा शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग में की गई प्रविष्टियों की एक सही प्रति उस मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् देगा और उसे सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित करेगा।

49न. मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया गया.- (1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके नियंत्रण यूनिट को बंद कर देगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से विच्छेद/अलग कर देगा।

(2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् अलग-अलग रूप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेशित करे मुद्राबंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना मुद्राओं को तोड़े यूनिटों का खोलना संभव नहीं होगा।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उनकी मुद्रा लगाने की इच्छा करे तो भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

49प. अन्य पैकेटों को मुद्राबन्द करना.- (1) पीठासीन अधिाकरी तब अलग-अलग पैकेट बनोगा।

(क) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के;

(ख) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर के;

(ग) निविदत्त मतपत्रों को दिये गये लिफाफे और प्ररूप 17-ख में सूची के;

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची में; और

(ङ) किन्हीं अन्य ऐसे कागज-पत्रों के, जिनकी बाबत् निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मुद्राबंद पैकेट में रखे जाएं, पृथक् पैकेट बनाएगा।

(2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन अधिकारी की ओर से या अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचक अभिकर्त्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्त्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा।

49फ. मतदान मशीन आदि रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना.- (1) पीठासीन अधिकारी तब रिटर्निंग ऑफिसर को-उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर सौंपेगा।

(क) मतदान मशीन;

(ख) प्ररूप 17 ग में अभिलिखित मतों का लेखा;

(ग) नियम 49प में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट; और

(घ) मतदान में उपयोग में लगाए गए सब अन्य कागज-पत्र ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग ऑफिसर निर्दिष्ट करें,- सूचित करेगा या सूचित कराएगा।

(2) रिटर्निंग ऑफिसर मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

49ब. मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया.- (1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 49थ से 49फ तक के उपबंध वास्तविक रूप में ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन निर्धारित नियत समय पर बन्द हुआ हो।

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारम्भ हुआ है तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जिनमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबंद पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति दिये गये है, प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर और एक नई मतदान मशीन उपबंधित करेगा।

(4) पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबंद पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का उपयोग ऐसे निर्वाचकों के नाम जिन्हें स्थगित मतदान में मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है नाम चिन्हित करने के लिए करेगा।

(5) नियम 28 और नियम 49क से 49फ़ तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे स्थगन से पूर्व किए जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे।

49भ. बूथ पर कब्जा करने की दशा में मतदान मशीन का बन्द किया जाना.- जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि किसी मतदान मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान परबूथ पर कब्जा किया जा रहा है, वहां वह मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत बंद कर देगा कि कोई और मत अभिलिखित न किए जाएं तथा मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।

(घ) नियम 66 के पश्चात्, निम्नलिखित अतःस्थापित किया जायेगा—

66क. जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया गया है मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की गणना के संबंध में-

(i) नियम 50 से 54 के उपबंध और नियम 55, 56 और 57 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम लागू होंगे—

''55ग. मतदाता मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण.- (1) रिटर्निंग ऑफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई गई मतदान मशीनों के नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसे यूनिट में अभिलिखित किए गए मतों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा।

(2) इसके पहले कि किसी मतदान मशीन में अभिलिखित किए गए मतों की उपनियम (1) के अधीन गणना की जाती है अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता जो गणना पटल पर उपस्थित है को उस पत्र मुद्रा और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं का जो यूनिट पर लगी हो, का निरीक्षण और अपना यह समाधान कि मुद्रा सुरक्षित/अखण्ड है, करने दिया जायेगा।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर अपना यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है।

(4) यदि रिटर्निंग ऑफिसर का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की बाबत् जहां उस मशीन का प्रयोग किया गया है को यथा लागू धारा 58 या धारा 58क या धारा 64क में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

56ग. मतों की गणना.- (1) रिटर्निंग ऑफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे ''परिणाम'' (Result) चिन्हित उपयुक्त बटन को दबाकर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा जिसके द्वारा यूनिट में इस प्रयोजन केलिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत् प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मत प्रदर्शित होंगे।

(2) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मतों का संप्रदर्शन किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर-

(क) प्ररूप 17 ग के भाग-2 में प्रत्येक अभ्यर्थी की बाबत् ऐसे मतों की संख्या अलग-अलग अभिलिखित कराएगा;

(ख) प्ररूप 17ग का भाग-2 अन्य संदर्भ में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएगा; और

(ग) परिणाम शीट प्ररूप 20 में तत्स्थायी प्रविष्टियां कराएगा और परिणाम शीट में इस प्रकार दर्ज विशिष्टियों की घोषणा कराएगा।

57ग. मतदान मशीनों का मुद्राबंद करना.- (1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों का परिणाम अभ्यर्थीवार अभिनिश्चित करने और नियम 56ग के अधीन प्ररूप 17ग के भाग 2 और प्ररूप 20 में दर्ज करने पश्चात्, रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें मुद्रा से यूनिट को पुनः मुद्राबन्द करेगा, जिससे यूनिट में अभिलिखित मतदान का फल न मिटाया जा सके और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति धारण/सुरक्षित कर सके।

(2) इस प्रकार मुद्राबन्द किए गए नियंत्रण यूनिट को विशेष रूप से तैयार किए गए बक्सों में रखा जाएगा जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात् :-

(क) निर्वाचन क्षेत्र का नाम;

(ख) उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की विशिष्टियां जहां नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लाया गया है।

(ग) नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्यांक;

(घ) मतदान की तारीख; और

(ङ) गणना की तारीख।

(ii) नियम 60 से 66 के उपबंध जहां तक हो सके, मतदान मशीनों द्वारा मतदान करने के संबंध में लागू होंगे और उन नियमों मेंकोई प्रतिनिर्देश,—

(क) मतपत्र को ऐसी मतदान, मशीन के प्रतिनिर्देश में सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) कोई नियम भाग 4 के अध्याय 2 के तत्स्थानी नियम या यथास्थिति, नियम 55ग या 56ग अथवा 57ग के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा।

(ग) मुख्य नियम के नियम 92 में—

(i) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

''(1क) किसी निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सभी मतदान मशीनों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जायेगा;

(ii) उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

''(घघ) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट।''

(च) मुख्य नियम के नियम 93 में—

(i) उप-नियम (1) में, खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा; अर्थात्:—

''(घघ) प्ररूप 17क में के मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट।''

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

''(1क) नियम 57ग के उपबंधों के अधीन मुद्राबंद की गई और जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे गये नियंत्रण यूनिटोंको किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन के सिवाय खोला नहीं जाएगा और किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण या उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।''

(छ) मुख्य नियम के नियम 94 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

''(कक) नियम 92 के उप-नियम (1क) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीनें, ऐसी कालावधि के लिए अखण्ड रूप से सुरक्षित रखी जायेंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे और उनका किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जायेगा।''

(ज) नियम 94 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

निदेश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्तिः—

''95. इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रखते हुए निर्वाचन मतदान मशीनों के समुचित उपयोग और प्रचालन को सरल बनाने के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।''

प्ररूप 17 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

प्ररूप 17क
(नियम 49ठ देखिए)

मतदाता रजिस्टर

..... निर्वाचन क्षेत्र से .....

लोक सभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा ..... के लिए निर्वाचिन।

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

निर्वाचन नामावली के भाग संख्यांक .....

.

क्रम संख्यांक	**निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक**	**निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**	**टिप्पणियां**
1.			
2.			
3.			
4.			

आदि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 17क

(नियम 49त देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

..... निर्वाचन क्षेत्र से .....

लोक सभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

निर्वाचन नामावली के भाग संख्यांक .....

क्रम संख्यांक	**निर्वाचक का नाम**	**निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक**	**उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्ररूप 17क) के क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है।**	**निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

तारीख **पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर**

प्ररूप 17क

(नियम 49घ और 56ग (2) देखिए)

भाग-1 रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा

..... निर्वाचन क्षेत्र से .....

लोक सभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन .....

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान नियंत्रण यूनिट/मतदान यूनिट

मशीन का पहचान संख्यांक

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या

2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या

3. नियम 49ण के अधीन मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या

4. नियम 49ड़ के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या

5. मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किये गये मतों की कुल संख्या

6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या।

   घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।

7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए।

8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

क्रम संख्या

..... से ..... तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त .....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए .....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए .....

9. पेपर सीलों का लेखा

क्रम संख्यांक

..... से ..... तक

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1.	प्रदाय की गई कागज की सीलों के क्रम संख्यांक से ..... तक	1. ..... 2. .....
2.	प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या	3. .....
3.	प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या	4. .....
4.	रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 2 में से मद 3 घटाइए)	5. ..... 6. .....

5. नष्ट हुई पेपर सीलों का क्रम संख्यांक, यदि कोई हो।

तारीख .....

स्थान .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र सं. .....

भाग–2 मतगणना का परिणाम

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	रिकॉर्ड किये गये मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
योग		

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान .....

तारीख .....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता का नाम

पूरे हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

स्थान .....

तारीख .....

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

उपाबंध 3
(अध्याय-1 पैरा 5)

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

I. नियुक्ति होने पर।

II. मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन।

III. मतदान के दिन को मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर।

IV. मतदान के समय के दौरान।

V. मतदान पूरा होने के पश्चात्।

1. नियुक्ति होने पर

1.1 जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर लें, तब आप कृपया निम्नलिखित बातों की सावधानीपूर्वक जांच और परीक्षण कर लें :-

(क) अपने मतदान केन्द्र का नाम और उसका संख्यांक;

(ख) उप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके भीतर वह मतदान केन्द्र है;

(ग) अपने मतदान केन्द्र का सही स्थान।

यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जायेगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जायेंगे, आप उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते अपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय का पता उनको दे दें।

आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप मतदान मशीन के प्रचालन से पूर्ण सुपरिचित हो जायें। आप अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय-समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं।

1.2 निम्नलिखित पैम्पलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें:-

(क) पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका;

(ख) इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन की नियमावली;

(ग) पीठासीन अधिकारियों के नाम रिटर्निंग ऑफिसर का वह पत्र जिसमें महत्वपूर्ण अनुदेश दिये गये हों।

1.3 आप उपाबंध 5 में बताई गई मतदान सामग्री की मदों की जानकारी प्राप्त कर लें।

1.4 आप नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा नियंत्रण यूनिट के बंद करने और मुहरबंद करने की रीति और विधि का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

1.5 आप उपाबंधों में दिये गये विभिन्न प्रकार के सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

1.6 आप उपाबंध I में दिये गये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 की सुसंगत धाराओं और उपाबंध II में दिये गये निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के सुसंगत नियमों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि आपको कोई भी सन्देह हो तो आप अपने रिटर्निंग आफिसर से सम्पर्क करें और अपने सन्देह का निकाकरण कर लें। आप किसी बात के बारे में संदेह में न रहें।

II. मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन

2.1 मतदान के दिन से एक दिन पूर्व आपसे कहा जायेगा कि आप मतदान केन्द्र पर उपयोग में वाली सामग्री ले लें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें किः-

(क) आपको दी गयी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिट्स) आपके मतदान केन्द्र से ही संबंधित है।

(ख) नियंत्रण यूनिट का 'कैंड सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से मुहरबंद है और एड्रेस टैग उससे मजबूती से लगा हुआ है;

(ग) नियंत्रण यूनिट की बैटरी पूर्ण रूप से परिचालित है;

(घ) मतदान यूनिट (यूनिट्स) के शिखर और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक् रूप से सील कर दिया गया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिये गये हैं;

(ङ) समुचित मतपत्र प्रत्येक मतदान यूनिट पर एक्रेलिक शीट के नीचे लगा दिया गया है और मतपत्र स्कीम के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया हैं;

(च) स्लाइड स्विच को प्रत्येक मतदान यूनिट में समुचित स्थिति की ओर से सेट कर दिया गया है;

(छ) उपाबंध 5 में वर्णित मतदान सामग्री की सभी वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपको दे दी गयी हैं;

(ज) पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जांच कर लें;

(झ) निर्वाचक नामावली की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर लें किः—

(i) अनुपूरक सूचियों की प्रतियां दे दी गयी हैं;

(ii) निर्वाचक नामावली और अनुपूरक सूचियों पर भाग संख्या सही है;

(iii) निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गयी हैं;

(iv) मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में शुद्धियां नहीं की हुी है और न ही उनके स्थान पर वैकल्पिक नई संख्या दी गयी है;

(v) अनुपूरक सूचियों के अनुसार नामों को काट दिया है और लिपिकीय या अन्य प्रकार की गलतियों को ठीक कर दिया गया है।

(ञ) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जो प्रति आपको दी गयी है उसकी जांच कर लें/सूची में दिये गये अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों का मिलान करना चाहिए और उनका क्रम भी वही होना चाहिए जो मतदान यूनिट पर के मतपत्र में है।

(ट) इस बात की जांच कर लें कि आपको अमिट स्याही की जो शीशी दी गयी है उसमें अमिट स्याही पर्याप्त मात्रा में है और उसकी डाट ठीक तरह से सील की हुयी है; यदि ऐसा न हो तो मोमबत्ती की मोम से उसे पुनः बंद कर दें।

(ठ) ऐसे क्रास मार्क रबढ़ की मुहर और अपनी पीतल की मुहर की जांच कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि एरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर के दोनों तरफ मुहरें चिपकी हुई है और स्टाम्प पैड सूखे नहीं है। यदि आपके मतदान केन्द्र को किसी अस्थायी संरचना में अवस्थित होने का प्रस्ताव हो तो आप निर्वाचन पत्रों को रखने के लिए पर्याप्त आकार का लोहे का सन्दूक प्राप्त कर लें।

(ड) यदि आपको अपने आने-जाने के कार्यक्रम, मतदान केन्द्र पर पहुंचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तो आप उसको स्पष्ट कर लें और मतदान केन्द्र पर पहुंचने का समय प्रस्थान करने का स्थान और जाने के लिए वाहन के बारे में पूरी जानकारी कर लें।

2.2 (क) आप अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन से पूर्व के दिन, अधिक से अधिक 4 बजे सायं तक, पहुंच जावें और यह सुनिश्चित कर लें कि—

(i) मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए और पुरुष और महिला मतदाताओं की अलग-अलग पंक्तियां बनाने के लिए पर्याप्त स्थान है;

(ii) मतदाताओं के प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक्-पृथक् रास्ते हैं;

(iii) मतदाताओं के लिए अपना मत अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश वाला मतदान कक्ष है;

(iv) मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है;

(v) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है;

(ख) महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदाताओं की पहचान करने के लिए होगी।

(ग) वह स्थान नियत कर लें जहां आप, आपका मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट रखी जायेगी।

(घ) किसी राजनैतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केन्द्र पर टंगा हो तो उसे हटा लें या पूर्णतया ढक दें।

2.3 मतदान मशीन और मतदान सामग्री जो आपको दी गई है, वह मतदान की समाप्ति तक तथा मतदान मशीन और सामग्री आपके द्वारा वापिस संभला दिये जाने तक बिल्कुल आपकी अभिरक्षा में रहनी चाहिए। मतदान केन्द्र पर आपके पहुंचने के क्षण में ही आप या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारियों में से कोई एक मतदान केन्द्र पर मतदान मशीन और मतदान सामग्री का प्रभारी रहना चाहिए। मतदान मशीन और मतदान सामग्री की आप स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर कार्यरत पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

III. मतदान के दिन को मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर

3.1 आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए नियत समय से 75 मिनट पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंच जायें। वहां पहुंचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर लें।

3.2 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जांच कर लें और उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। उनको बैठने की जगह नियत कर दें, और उन्हें आने-जाने के लिए प्रवेश-पत्र जारी कर दें। अध्याय में यथानिर्दिष्ट घोषणा पढ़कर सुना दें।

3.3 यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया हो तो आप उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था करें।

3.4 मतदान के प्रारंभ के लिए नियत समय से एक घंटे पूर्व मतदान मशीन तैयार करना प्रारंभ कर दें।

3.5 दिखावटी मतदान संचालित कर दें और मतदान मशीन में की बाधा दूर कर लें।

3.6 ग्रीन पेपर सील लगां दें और नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग को बंद तथा मुहरबंद कर दें।

3.7 अमिट स्याही की शीशी इस तरीके से रखें जिससे स्याही फैलने न पाये।

V. मतदान के समय के दौरान

4.1 आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान ठीक नियत समय पर ही प्रारंभ होता है। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न भी हुई हों तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अन्दर आ जाने दें।

4.2 मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटायें और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। ऐसे मामले निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:-

(क) किसी मतदाता के बारे में चुनौती (चैलेंज) (अध्याय 18);

(ख) अवयस्कों द्वारा मतदान (अध्याय 18);

(ग) अंधे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान (अध्याय 22);

(घ) मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता (अध्याय 23);

(ङ) निविदत्त मत (अध्याय 27);

(च) मतदान की गोपनीयता भंग करना (अध्याय 21);

(छ) बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों का वहां से हटाया जाना (अध्याय 17);

(ज) बलवे या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन (अध्याय 28);

4.3 प्रत्येक दो घंटे के बाद मतदान से संबंधित आंकड़ों की सूचना अपनी डायरी की मद 18 के संकलन के लिए इकट्ठी करें।

4.4 नियत समय पर मतदाता बंद करा दें यद्यपि मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो। उस समय पर जो व्यक्ति पंक्ति में खड़े हों उनको आप हस्ताक्षर करके पर्चियां बटवा दें। यह सुनिश्चित कर लें कि नियत समय के पश्चात् कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में न आ पाये।

IV. मतदान पूरा होने के पश्चात्

5.1 अध्याय 29 और 31 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान मशीन को बंद और मुहरबंद कर दें।

5.2 उन महिला मतदाताओं की संख्या अभिनिश्चित करें जिन्होंने मत दिया है।

5.3 प्ररूप 17ग (रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा) पूरा कर लें। मतदान के बंद होने पर वहां उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग की एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति, अध्याय 30 में यथानिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप पर उनसे उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् दे दें। उसके पश्चात् उस घोषणा के अन्य विवरणों को पूरा कर लें।

5.4 अपनी डायरी पूरी तरह से भर लें।

5.5 अध्याय 32 में अनुदेशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों की मुहरबंद कर दें।

5.6 पांच सांविधिक लिफाफों का प्रथम पैकेट तैयार कर लें।

5.7 ग्यारह असंवैधानिक लिफाफों का द्वितीय पैकेट तैयार कर लें।

5.8 सात मदों (Item) का तृतीय पैकेट तैयार कर लें।

5.9 अन्य समस्त वस्तुओं का चतुर्थ पैकेट तैयार कर लें।

5.10 मुहरबंद मतदान मशीन और मुहरबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट संग्रहण केन्द्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। संग्रहण केन्द्र पर मतदान मशीन और अन्य पैकेटों को अधिकृत स्थिति में जमा कराने और उसकी उसकी प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी है। यह विचार कर लें कि आपने आठ भिन्न-भिन्न वस्तुएं सौंप दी हैं, अर्थात्:—

1. मतदान मशीनें;
2. रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखों का लिफाफा;
3. पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा;
4. पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफ़ा;
5. निरीक्षण पत्रक से सम्बन्धित लिफाफा;
6. प्रथम पैकेट लिखा ''सांविधिक लिफाफे'' जिसमें पांच लिफाफे हों;
7. द्वितीय पैकेट लिखा 'असांविधिक लिफाफे' जिसमें ग्यारह लिफाफे हों;
8. तृतीय पैकेट जिसमें मतदान सामग्री की सात वस्तुएं हैं, और
9. चौथा पैकेट जिसमें अन्य समस्त वस्तुएं यदि कोई हों।

उपाबंध 4
(अध्याय 1, पैरा 6 देखिए)

पीठासीन अधिकारियों के लिए चैक लिस्ट

मद सं.	कार्य जो किया जाना है	अभ्युक्ति
1.	रिटर्निंग ऑफिसर से समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना।	क्या प्राप्त कर रखा ली है?
2.	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखना।	क्या ऐसा कर दिया है?
3.	निर्वाचन सामग्री एकत्रित करना।	क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचन सामग्री जो प्राप्त की गयी है पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में है?
4.	मतदान मशीन की मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां, ऐरोक्रास मार्क रबड़ स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाताओं के रजिस्टर, मतदाताओं की पर्चियां इत्यादि की जांच कर ली है।	क्या ऐसा कर लिया है?
5.	मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास अलग-अलग है।	क्या ऐसा सुनिश्चित कर लिया है?
6.	नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत निर्वाचकों की संख्या विनिर्दिष्ट कर प्रदर्शित करना तथा साथ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित करना।	क्या नोटिस और सूची को प्रदर्शित कर दिया गया है?
7.	नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिटों को आपस में जोड़ना तथा बैटरी चालू करना।	क्या ऐसा कर लिया है?
8.	दिखावटी मतदान का संचालन करना।	क्या संचालन कर दिया है?
9.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग पर ग्रीन पेपर सील लगा दी है।	क्या ऐसा कर लिया है?
10.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम का मुहरबंद करना।	क्या ऐसा कर लिया है?

मद सं.	कार्य जो किया जाना है	अभ्युक्ति
11.	मतदान के प्रारंभ पर की गयी घोषणा।	क्या ऐसी की गयी है?
12.	मतदान के प्रारंभ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के बारे में लो.प्र. अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़ लिया है।	क्या ऐसा कर लिया है?
13.	निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट तथा ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्यांक नोट करने के लिए अनुज्ञात करना।	क्या अनुज्ञात किया है?
14.	बांयी हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिह्न लगाना और मतदाताओं के रजिस्टरों (प्ररूप 17क) पर हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप प्राप्त करना।	क्या ऐसा उचित रूप से कर दिया लिया है?
15.	अवयस्क (अंडर एण्ड) निर्वाचकों से घोषणा	क्या प्राप्त कर ली है?
16.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का रख-रखाव	क्या समय-समय पर जो कि और जब हों उत्पन्न हुई घटनाओं का अभिलेखन कर लिया है?
17.	निरीक्षण पत्रक का रखरखाव	क्या रखरखाव किया है?
18.	नियत समय पर मतदान का बंद करना	क्या ऐसा कर लिया है?
19.	प्ररूप 17ग में रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा प्रदान कर दिया है।	क्या समस्त मतदान अभिकर्त्ताओं को अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी गयी है?
20.	मतदान के बंद करने पर की गयी घोषणा	क्या ऐसे की गयी है?
21.	मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों का मुहरबंद करना	क्या अनुदेशों के अनुसार ऐसा कर दिया है?

उपाबंध 5
(अध्याय 3, पैरा 1)

किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहां इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन को उपयोग में लाया गया है

1.	नियंत्रण यूनिट	1
2.	मतदान यूनिट	1 अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर
3.	मतदाताओं के लिए रजिस्टर (17 ए पत्रक)	1 पुस्तक
4.	मतदाताओं की पर्चियां	1600 (मतदान केन्द्र की मतदाता संख्या अनुसार)
5.	निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति	3
6.	CSV अगर हो तो	3
7.	मत-पत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
8.	अमिट स्याही	2 (10 सी.सी.)
9.	एड्रेस टैग नियंत्रण यूनिट के लिए	4
10.	एड्रेस टैग बैलेट यूनिट के लिए	4
11.	स्पेशल टैग	3
12.	EVM के लिए ग्रीन पेपर सील	4
13.	स्ट्रिप सील	3
14.	एरोक्रास मार्क रबर स्टेम्प	1
15.	बैंगनी रंग का स्टाम्प पेड	1
16.	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मुहर	1
17.	माचिस	1
18.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1

19.	सुभिन्नक चिन्ह वाली रबर स्टैम्प	1
20.	कार्ड बोर्ड (दिखावटी) बैलट यूनिट	1
21.	**फार्म**	
	1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
	2. चुनौती दिये गये मतों की सूची (प्ररूप 14)	1
	3. अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथियों की के लिए (प्ररूप 14क)।	1
	4. निविदत्त मतों की सूची के लिए प्ररूप (प्ररूप 17ख)	2
	5. रिकार्ड किए गए मतों का लेखा (प्ररूप 17ग)	10 (निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार
	6. उपयोग में लाए गए पेपरसील का रिकॉर्ड	1
	7. चुनौती दिये गये मतपत्रों की रसीद बुक	1
	8. थाना अधिकारी के लिये शिकायती पत्र (एस.एस.ओ.) के लिए	2
	9. पीठासीन अधिकारी का घोषणा-पत्र मतदान के पूर्व न पश्चात् (पार्ट 1-4)।	1
	10. अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा के लिए प्रारूप	2
	11. ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के पश्चात् मत दिया/देने से इंकार कर दिया।	4
	12. घोषणा-पत्र अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा।	10
	13. मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) के पास	10
	14. विजिट शीट	1
	15. प्रपत्र पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र-16 बिंदुओं वाली रिपोर्ट के लिए, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर/निर्वाचन क्षेत्र प्रेक्षक को दिया जाना है।	2
	16. कार्ड बोर्ड (दिखावटी) बैलट यूनिट	1

22. **लिफाफे**

1.	पहला पैकेट छोटे लिफाफे के लिए (स्टेचुअरी कवर)-SE-8	1
2.	निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए लिफाफा (SE-8)	1
3.	निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए लिफाफा (SE-8)	1
4.	निविदत्त मतपत्रों की सूची के लिए प्ररूप	1
5.	पीठासीन अधिकारी की मतदान प्रारंभ तथा मतदान समाप्ति पर घोषणाओं के लिए लिफाफा। (SE-7)	1
6.	रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा के लिए लिफाफा (प्ररूप 17ग) (SE-5)।	1
7.	प्ररूप 14 चैलेंड मतों की सूची के लिए लिफाफा (SE-5)।	1
8.	अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील का लिफाफा (SE-5)।	1
9.	प्ररूप 10 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र का लिफाफा (SE-6)।	1
10.	प्ररूप क अंधे व शिथिळांग मतदाताओं की सूची के लिए लिफाफा (SE-8) ।	1
11.	पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट का लिफाफा (SE-6)।	1
12.	प्ररूप 12ख निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए लिफाफा (SE-5)।	1
13.	रसीद पुस्तक व कैश जब्ति के लिए लिफाफा (SE-6)।	1
14.	तुलनात्मक घोषणा-पत्र के लिए लिफाफा (SE-5)।	1
15.	दूसरा पैकेट छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (अन्य) (SE-7)।	1
16.	मतदाता रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों (प्ररूप 17-क) (SE-8) ।	1
17.	अन्य जरूरी कागजात के लिए लिफाफा (SE-5)।	1
18.	तीसरे पैकेट छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (SE-8)।	1

19.	पीठासीन अधिकारी के रिकॉर्ड हेतु लिफाफा नियम 40(SE-6) के तहत।	1
20.	सादा लिफाफा (SE-7)-2 (SE-8)-3	1
21.	उपयोग में न लिये मतपत्रों के लिये लिफाफा (SE-7)	1
22.	अन्य कागजों के लिए लिफाफा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने रखने को कहा।	1
23.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए लिफाफा (SE-7)	1
24.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा (SE-7) (लिफाफा छोटे होने की दशा में पैकिंग पेपर का उपयोग व जहां उपयुक्त लिफाफा उपलब्ध न हो तो सादा लिफाफा उपयोग कर उस पर जरूरी जानकारी लाल स्याही से अंकित करें।)	1
25.	मतदाता पर्ची का मोहरबन्द लिफाफा	1
26.	निर्वाचक से उसकी उम्र के बारे में अभिप्राप्त घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची (उपाबंध 11) से युक्त लिफाफा।	1
27.	अप्रयुक्त मतदाता सूचियों से युक्त लिफाफा	1
28.	पीठासीन ऑफिसरों के लिये पुस्तिका का लिफाफा	1
29.	ई.व्ही.एम. मशीन के लिये निर्देशिका का लिफाफा	1
30.	अमिट स्याही सेट का लिफाफा	1
31.	बैंगनी रंग स्टाम्प ऐड का लिफाफा	1
32.	पीठासीन ऑफिसर की धातु की मोहर के लिये लिफाफा	1

23. **साइन बोर्ड**

(1) पीठासीन अधिकारी

(2) मतदाता अधिकारी

(3) प्रवेश

(4) निर्गमन

(5) मतदान अभिकर्ता

(6) क्षेत्र इत्यादि बताने के लिये विविध सूचना नियम 30 (1) (अ)

24. **लेखन सामग्री**

1.	सामान्य पेंसिल	1
2.	बाल पेन	2 नीले+1 लाल

3.	कोरा कागज	8 पन्ने
4.	पिनें	25 नग
5.	मुहरबंद करने हेतु मोम/चपड़ी	6 नग
6.	मतदान प्रकोष्ठ की सामग्री	2+2-4
7.	गोंद/लेई	1 बोतल
8.	ब्लेड	1
9.	मोमबत्ती	4 स्टिक्स
10.	पतला टवाईन धागा	20 मीटर
11.	धातु की पट्टी	1
12.	कार्बन पेपर	3
13.	तेल पोछने के लिये कपड़ा	1
14.	पेकिंग पेपर	2 पन्ने
15.	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिये कप या खाली डिब्बा।	1
16.	ड्राइंग पिन	12 नग
17.	चेक लिस्ट	1
18.	रबर बेंड	10 नग
19.	सेलो टेप	1

ऐसी सामग्री की सूची जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा क्षेत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट को व जिसे उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जायेगी।

1. एरो मार्क रबर स्टेम्प
2. पीठासीन अधिकारी की धातु की सील
3. लेखन सामग्री—
   - (i) स्टेम्प पेड
   - (ii) वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने की सामग्री
   - (iii) लोहे का स्केल
   - (iv) अमिट स्याही रखने के लिये डिब्बा
   - (v) उपयोग में न ली गई सामग्री।

उपाबंध 6

(अध्याय 6, पैरा 5 देखिए)

इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के लिए माडल मतदान केन्द्र

एक साथ हो रहे मतदान केन्द्र का ले-आउट

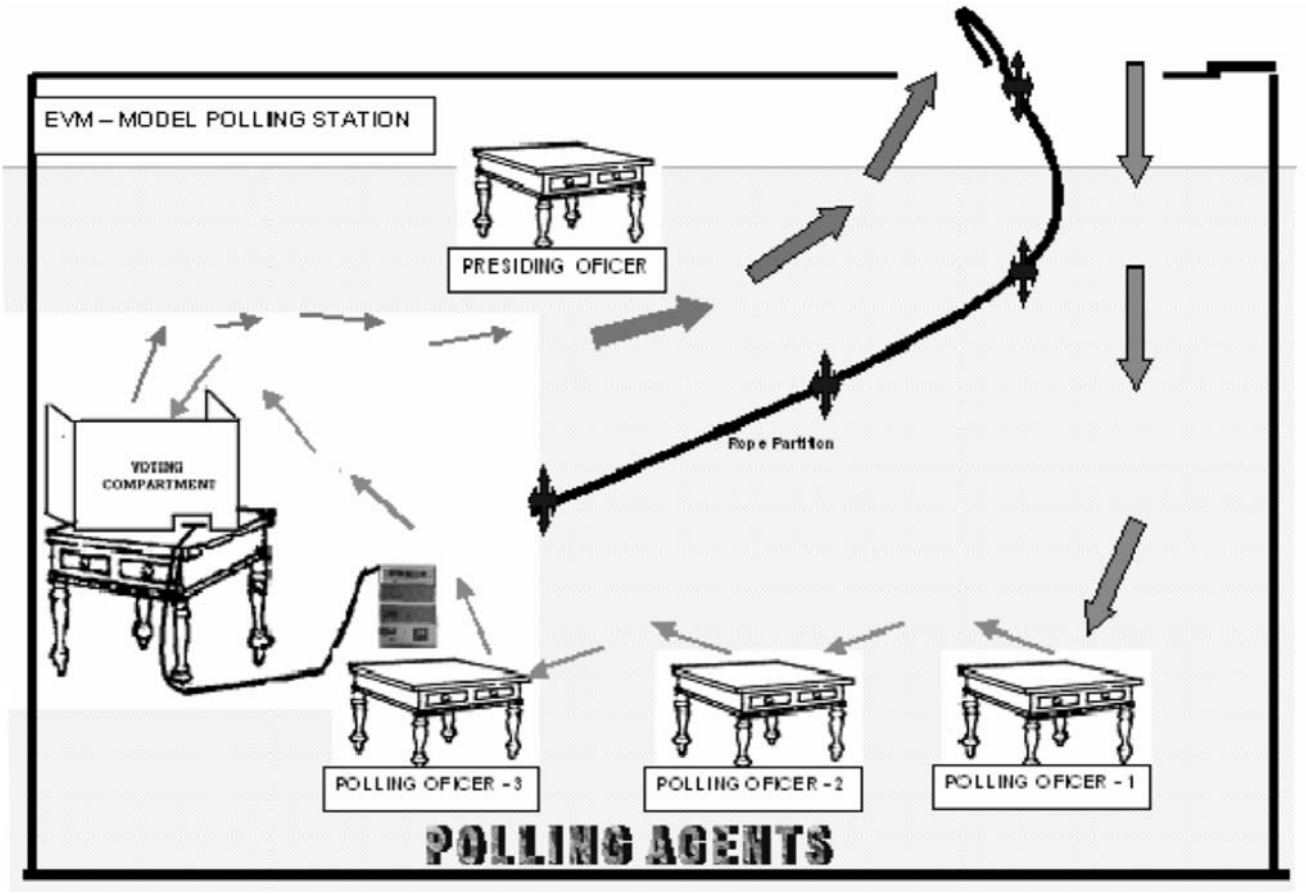

टिप्पणी :- मतदान यूनिट से सम्बद्ध केवल, मतदान कक्ष के पीछे के भाग पर छेद के माध्यम से बाहर आनी चाहिए और इस छेद के माध्यम से पीठासीन अधिकारी या तीसरा पोलिंग ऑफिसर जो कन्ट्रोल यूनिट का इन्चार्ज है अपनी सीट से मतदान इकाई के साथ उसके संयोजन तक केबल की पूरी लम्बाइ और वह जोड जिससे व बैलेटिंग यूनिट से जुडा हुआ है को ठीक तरह से देखने के लिए समर्थ हो सके ताकि कोई भी निर्वाचक, पीठासीन अधिकारी द्वारा पता लगे बिना मतदान कक्ष के भीतर केबल से छेडछाड करने में समर्थ न हो। तथापि मतदान कक्ष में यह छेद इतना बडा भी नहीं होना चाहिए जिससे मतदान यूनिट के शिखर पर किसी भी भाग को प्रकट कर दे।

उपाबंध 6

(अध्याय 6, पैरा 5 देखिए)

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के लिए आदर्श मतदान केन्द्र
समानान्तर निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र का ले-आउट

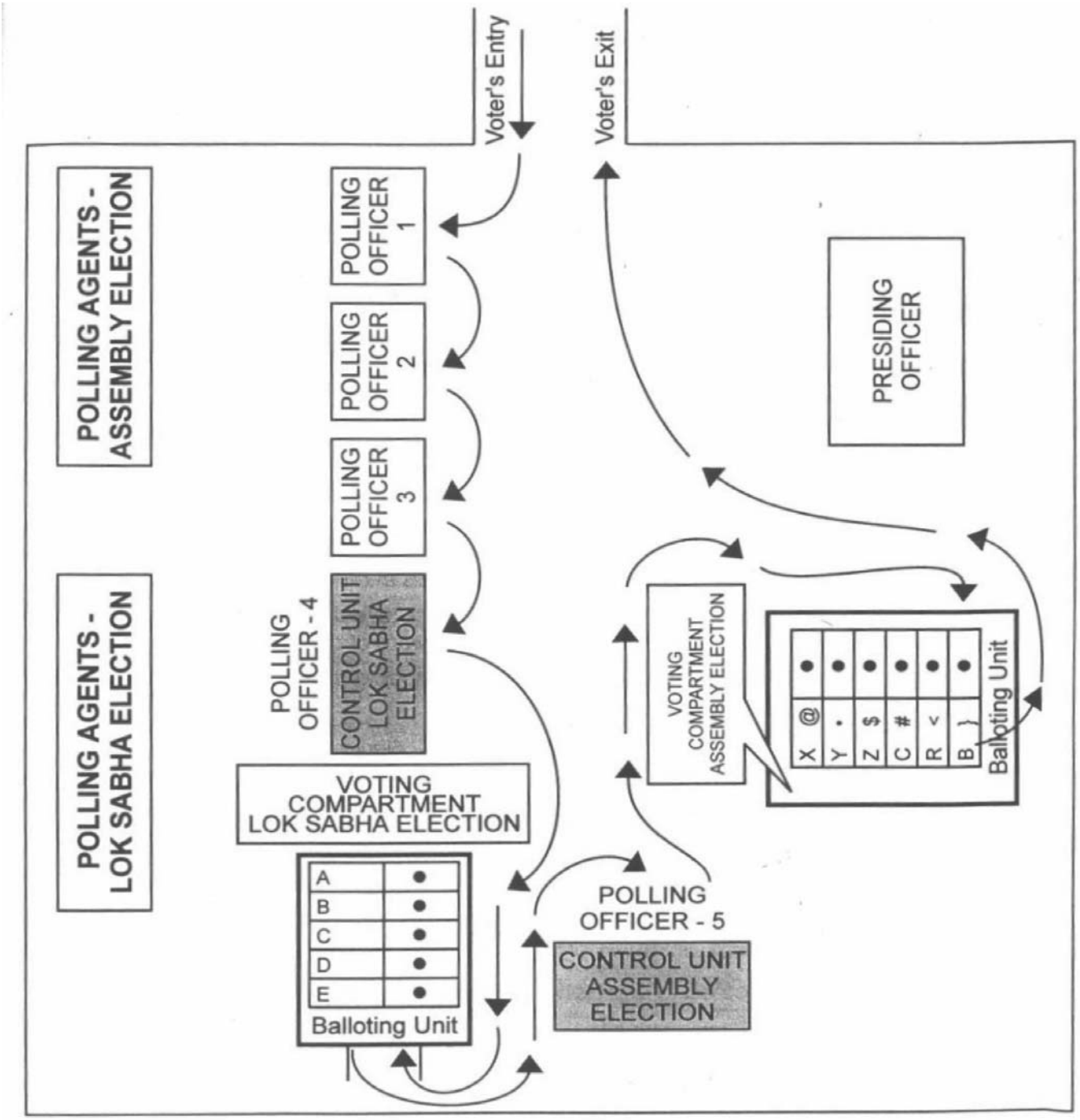

उपाबंध 7

(अध्याय 16, पैरा 1 और 2)

पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग-I

मतदान आरम्भ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा.....

संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निवाचन

मतदान केन्द्र का क्रम सं. और नाम.....

मतदान की तारीख.....

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूं :-

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को,-

(क) दिखावटी मतदान आयोजित करने यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है;

(ख) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्चाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है;

(ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारूप 17क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है।

(2) कि मैंने मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिये प्रयुक्त पेपर सील (लों) पर अपने हस्ताक्षर तक दिये हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) मैंने स्ट्रीप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैंग पर पूर्व से छपा क्रम संख्या पढ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकार्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करेन से इन्कार किया :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

तारीख.....
समय.....

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

भाग-II

पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चात्वर्ती मतदान मशीन के उपयोग, यदि कोई हो, के समये घोषणा.....

.....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन.....

मतदान केन्द्र की क्रम सं.....और नाम.....

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूं :-

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया है कि :-

(क) दिखावटी मतदान करके दिखा दिया है कि मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।

(ख) यह कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्रों और निर्चाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाये गये चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है।

(ग) यह कि मतदान के के समय उपयोग में लाये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारूप 17ग) पर किसी भी अन्य मतददाता के संबंध में प्रविष्टि नहीं है।

(2) कि मैंने पेपर सील पर जो वोटिंग मशीन के कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को सुरखित रखती है, पर हस्ताक्षर कद दिये है तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) मैंने स्ट्रीप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैंग पर पूर्व से छपा क्रम संख्या पढ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकार्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करेन से इन्कार किया :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी

भाग-III
मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 धा(2) के अधीन यथा-अपेक्ष्जित प्ररूप 17(ग) के भाग-I रिकार्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक-एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

तरीख.....

समय.....

रिकार्ड किये गये मतों के लेखों (प्रारूप 17 ग का भाग-I) में की गयी प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्ररूप 17 ग के भाग-I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इन्कार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्ररूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गयी है।

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी

समय.....

भाग-IV
मतदान मशीन को मुहरबन्द करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

तरीख.....

समय.....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इन्कार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाही :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी

समय.....

उपाबंध 8

(अध्याय 18, पैरा 4 देखिए)

आपत्ति शुल्क(चैलेंज फीस) के लिए रसीद

बुक नं..... पृष्ठ सं.....

श्री.....अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से 2(दो रूपये मात्र) रूपये नकद, निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की डिपाजिट निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किये।

तारीख..... पीठासीन अधिकारी
मतदान केन्द्र के लिए
क्र.....
संसदीय/विधान सभा
निर्वाचन क्षेत्र के लिए,

फारफीटेउ टू गवर्नमेन्ट

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 36(5) के अधीन राशि रु. 2.00 (रु. दो मात्र) वापस प्राप्त की।

पीठासीन अधिकारी

.....

दिनांक..... प्रत्याशी/चुनाव एजेंट/
मतदान एजेन्ट का नाम
और हस्ताक्षर।

आपत्ति शुल्क(चैलेंज फीस) के लिए रसीद

बुक नं..... पृष्ठ सं.....

कार्यालय पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र नं.....
संसदीय/.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें.....
विधान सभा आती है, के मतदान केन्द्र सं.....
के लिए पीठासीन अधिकारी का कार्यालय।

श्री.....अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से 2 (दो रुपये मात्र) रुपये नकद, निर्वाचन का संचालन नियम, 1661 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किये।

स्थान.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी
मतदान केन्द्र के लिए
क्र.....
संसदीय/विधान सभा
निर्वाचन क्षेत्र के लिए,

उपाबंध 9

(अध्याय 18 पैरा 6)

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सेवामें,

थाना अधिकरी,

.....

.....

विषयः- .....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन मतदान केन्द्र (सं. और नाम).....में प्रतिरूपण

मतदान की तारीख.....

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री..... पुत्र श्री..... और.....निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे श्री..... के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री..... होने का दावा किया है जिसका नाम..... निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं..... में क्रम सं.....पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका है कि वही उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार में वह छद्मवेशी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171 च के अधीन यथा- अपेक्षित कार्रवाई करें।

भवदीय,

स्थान..... हस्ताक्षर.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी

प्रति .....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर और .....को प्रेषित

प्रति .....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर और .....को प्रेषित

हस्तक्षर

पीठासीन अधिकारी

रसीद

उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा (तारीख).....को.....बजे (समय) मेरे सुपुर्द किये गये है।

हस्ताक्षर

---

*यहां संबंधित रिटर्निंग आफिसर का पदेन पदनाम लिखें।

उपाबंध 10
(अध्याय 18, पैरा 10.2)

निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप

मैं, सत्यानिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि सन् 20..... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख के जिसने प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गयी थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधीक की थी।

मुझे, निर्वाचक नामावली या निर्वाचन नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

.....

नाम.....

.....

पिता/माता/पति का नाम.....

.....

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.....

तारीख.....

निर्वाचक की क्रम संख्या.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

तारीख.....

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम

.....

उपाबंध 11
(अध्याय 18, पैरा 10.3)

.....(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)..... से के लिए निर्वाचन, मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम.....

भाग-I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गयीं हैं।

क्र.सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
आदि				

भाग-II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इन्कार कर दिया है।

क्र.सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
आदि				

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी

उपाबंध 12
(अध्याय 22, पैरा 1.3 देखिए)

अन्धे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
(अन्तर्गत..... लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम.....मैं,.....पुत्र श्री.....आयु.....वर्ष.....का निवासी.....घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने आज तारीख.....को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं,.....की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा

साथी के हस्ताक्षर

.....

यहां पूरा पता लिखा जाए।

.....

.....

.....

उपाबंध 13
(अध्याय 30, पैरा 1.4 देखिए)
प्ररूप 17ग
(नियम 19 ड. और 56ग (2) देखिए)

भाग-I रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

.....निर्वाचन क्षेत्र से.....लोक सभा/राज्य/संघ राजक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन.....

	निर्वाचन क्षेत्र.....	अ ब स
	मतदान केन्द्र की संख्या और नाम	75-क/ख ग
	मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान सं.	नियंत्रण यूनिट- मतदान यूनिट-
1.	मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या	995
2.	मतदाताओं के लिये रजिस्टर (प्ररूप 17 क) में यथा-प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या।	761
3.	नियम 49 ण के अधीन मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या।	2
4.	नियम 49 ड के अधीन मतदान करने के लिये अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या।	1
5.	मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या।	778
6.	क्या मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चिय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा-मत 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिये अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की (2-2-4) से मेल करती है, देखने में आया अन्तर।	हां, मेल करती है

7. उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मत पत्र नियम 49 त के अधीन जारी किये गये।

9. निविदत मतपत्रों की संख्या

	क्रम संख्यांक से	तक
(क) प्रयोग के लिये प्राप्त (10)	00981	00990
(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये (3)	00981	00983
(ग) अप्रयुक्त और वापिस किये गये (7)	00984	00990

9. पेपर सीलों का लेखा

क्रम संख्यांक

क 009758 से 009760 तक

1. प्रदाय किये गये पेपर सील की कुल संख्या

क 009758 से क 009760 तक

2. प्रदाय किये गये पेपर सील की कुल संख्या.....3

3. प्रयुक्त पेपर सील की संख्या (1) (क009758)

4. रिटर्निंग आफिसर को वापिस की गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या.....(2)

(मद 2 में से मद 3 को घटाएं)

5. क्षतिग्रस्त पेपर सील की क्रम संख्या, यदि कोई हो — कुछ नहीं

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

तारीख.....

स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या

भाग-II

गणना का परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1.	क	109
2.	ख	59
3.	ग	77
4.	घ	263
5.	ड.	38
6.	च	2
7.	छ	51
8.	ज	65
9.	झ	94
	कुल	758

क्या उपर्युक्त दर्शित मतों की कुल संख्या भाग ख की मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या दोनों के बीच कोई अन्तर देखने में आया है- हां, मेल करती है।

तारीख.....

स्थान.....

गणना सुपरवाइजर के पूर्ण हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

तारीख.....

स्थान.....

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

उपाबंध 14
(अध्याय 33, पैरा 1 देखिए)

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. मतदान की तारीख :

3. मतदान केन्द्र की संख्या :

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है-

(i) शासकीय या अर्द्ध-शासकीय भवन;

(ii) निजी भवन;

(iii) अस्थायी संरचना;

4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो :

5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो , और ऐसी नियुक्ति के कारण :

6. मतदान मशीन-

(i) उपयोग में लायी गयी नियंत्रण यूनिट की संख्याः

(ii) उपयोग में लायी गयी नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्याः

(iii) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की संख्याः

(iv) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्याः

7. (i) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्याः

(ii) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्यांकः

7(अ). (i) प्रदाय किए गए विशेष टेग की संख्याः

(ii) प्रदाय किए गए विशेष टेग की क्रम संख्यांकः

(iii) उपयोग में लाये गये विशेष टेग की संख्यांः

(iv) उपयोग में लाये गये विशेष टेग की क्रम संख्यांकः

(v) उपयोग में न लाये गये वापस किये गये विशेष टेग की क्रम संख्यांकः

7(ब). (i) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्याः

(ii) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांकः

(iii) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्यांः

(iv) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांकः

(v) उपयोग में न लाई गई वापस की लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांकः

8. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों, उनकी संख्या।

9. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं।

10. (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या;

(ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिये अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या;

(iii) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17ग) के अनुसार मत दिया है;

(iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या।

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के भारसाधक

प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

11. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिये-

पुरूष.....

महिला.....

कुल.....

12. चुनौतीयुक्त (चैलेंज्ड) मत -

स्वीकृत संख्या.....

अस्वीकृत संख्या.....

जब्त की गयी रकम.....

13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रामाण-पत्र (ई.डी.सी.) प्रस्तुत करने पर मत दियेः

14. उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दियेः

15. प्रॉक्सी द्वारा दिये गये मतों की संख्या।

16. निविदत मतों की संख्याः

17. निर्वाचकों की संख्या-

(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की-

(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया -

18. क्या मतदान स्थगति करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारणः

19. डाले गये मतों की संख्या-

7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक

9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक

11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक

1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक

3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक

20. मतदान समाप्त होने के समय पर दी गयी पर्चियों की संख्याः

21. निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण

मामलों की संख्या-

(क) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के अन्दर मत प्रचारः

(ख) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करनाः

(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कटपूर्वक बिगाडना, नष्ट करना या हटानाः

(घ) मतदाताओं को रिश्वत देनाः

(ड) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करनाः

(च) मतदान केन्द्र पर कब्जा करनाः

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुईः-

(1) बलवाः

(2) खुली हिंसाः

(3) प्राकृतिक विपत्ति

(4) बूथ पर कब्जाः

(5) मतदान मशीन का विफल होनाः

(6) अन्य कोई कारणः

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मशीन को :-

(क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकरः

(ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करकेः

(ग) नुकसान पहुंचाकर या छेडछाड करके मतदान को दूषित किया गया।

कृपया ब्यौरा दें।

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर किशकयतें, यदि कोई हों:

25. विधि तथा व्यवस्था का भंग करने संबंधी मामलों की संख्याः

26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई होः

27. क्या आपने मतदान के प्रारम्भ के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो, घोषणाएं कीं।

स्थान.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 14-पाइंट रिपोर्ट, और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग आफिसर को भेजनी चाहिए।

उपाबंध 15

(अध्याय 9, पैरा 10)

(पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के माईक्रोप्रेक्षक व निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक या रिटर्निंग आफिसर को प्रसतुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी का प्रपत्र)

पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षकों/रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने के लिये प्रपत्र

मतदान केन्द्र क्रमांक	सी.पी.एफ. की नियुक्ति हां/नहीं	मायक्रो पर्यवेक्षकों को नियुक्ति हां/नहीं	विडियों कैमरा व्यवस्था	कुल मतदाता	कुल डाले गये मत	मतो को प्रतिशत	कुल उम्मीदवार की संख्या	अभिकर्ताओं श्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या	मतदाता जिन्होंने ईपीआईसी के अलावा उन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया गया	दिखावटी मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया हां/नहीं	नकली मतदान किया हां/नहीं	क्या मशानी को उपर्युक्त प्रकार से बंद एवं मुहरबंद किया गया?	क्या 17-ग मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया?	ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया	क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई? हां/नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

यह मात्र उदाहरण है।

उपाबंध 16

दिखावटी मतदान प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मैं.....

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक.....लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र.....

ने आज दिनांक.....बजे दिखावटी मतदान का संचालन किया।

दिखावटी मतदान में कुल.....मतदाताओं ने मत किया एवं मतदान के पश्चात् मैंने सावधानी से मेमोरी को साफ किया तब मत संख्या ''0'' दिखाया।

(क) दिखावटी मतदान के समय निम्न उम्मीदवारों के अभिकर्ता जिनके नाम अधोलिखित है, उपस्थित थे। मैंने उनके दस्तखत ले लिये हैं।

(ख) दिखावटी मतदान के समय केवल एक ही उम्मीदवार का अभिकर्ता उपस्थित था। दस मिनट और इंतजार के अन्य मतदान अधिकारियों के साथ.....बजे उम्मीदवार के नाम के साथ आाकर्ता का नामदर्ज किया।

(यदि कोई भी अभिकर्ता उपस्थित न हो तो कोई भी अभिकर्ता उपस्थित नहीं था लिखें)

.....	.....	.....
अभिकर्ता का नाम	उम्मीदवार का नाम	अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख..... हस्ताक्षर

समय..... पीठासीन अधिकारी का नाम

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थित : 86- कोतमा (सामान्य) भाग संख्या : 2

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थिति, जिसमें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्थित है: 12 शहडोल (अ.ज.जा.)

1. पुनरीक्षण का विवरण :

पुनरीक्षण का वर्ष	:	2013
अर्हता तिथि	:	01.01.2013
पुनरीक्षण का स्वरूप	:	संक्षिप्त पुनरीक्षण
प्रकाशन की तिथि	:	15.01.2013

निर्वाचक नामावली की पहचान
नये परिसीमन के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

2. भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण

भाग में आने वाले अनुभागों की संख्या व नाम :

1. सूईडांड, सुईडांड
2. ग्राम कनवाही, सुईडांड

मुख्य ग्राम का नाम	:	सुईडांड
बन्दोबस्त संख्या	:	994
वार्ड क्रमांक	:	0
थाना	:	कोतमा
तहसील	:	कोतमा
जिला	:	अनूपपुर
पिन कोड	:	484334

3. मतदान केन्द्र का विवरण :

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम
1. सुईडांड

मतदान केन्द्र की विशेष हैसियत : सामान्य

मतदान केन्द्र का भवन व पता :
शा. प्राथमिक शाला भवन, सुईडांड, सुईडांड

इन मतदान क्षेत्र के सहायक (ऑक्जिलियरी) मतदान केन्द्रों की संख्या निरंक

4. मतदाताओं की संख्या:

आरम्भिक क्रम संख्या	अन्तिम क्रम संख्या	मतदाताओं की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1	**514**	**280**	**234**	**514**

1 EPIC No : HJC0023143 Name : RAMZAUVA Father's Name : NEIHALHA (L) House No : 1 Age : 52 Sex : Male	2 EPIC No : HJC0022582 Name : L.RINMAWII Husband's Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 49 Sex : Female	3 EPIC No : HJC0001305 Name : REBEKI Father's Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 25 Sex : Female
4 EPIC No : HJC0003145 Name : LALSANGZUALI Father's Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 23 Sex : Female	5 EPIC No : HJC0003210 Name : VANLALFAKA Father's Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 20 Sex : Male	6 EPIC No : HJC0001743 Name : LALTHANNGURI Husband's Name : LALAWTA(L) House No : 2 Age : 69 Sex : Female
7 EPIC No : HJC0023226 Name : LALCHHINGPUII Father's Name : LALAWTA(L) House No : 2 Age : 49 Sex : Female	8 EPIC No : HJC0002998 Name : HMINGCHUNGNUNGA Father's Name : LALLAWTA (L) House No : 2 Age : 43 Sex : Male	9 EPIC No : HJC0023234 Name : Darthanmawii Father's Name : Lallawta (L) House No : 2 Age : 39 Sex : Female
10 EPIC No : HJC0023671 Name : Lalrotlinga Father's Name : Lallawta (L) House No : 2 Age : 24 Sex : Male DELETED	11 EPIC No : Name : Lalawithanga Mother's Name : Velchhingi House No : 2 Age : 29 Sex : Male	12 EPIC No : HJC0019422 Name : Thangluri Husband's Name : Zosanglura (L) House No : 3 Age : 46 Sex : Female
13 EPIC No : Name : Zonunkimi Chhangte Father's Name : Zosanglura (L) House No : 3 Age : 19 Sex : Female	14 EPIC No : HJC0001727 Name : Banthanga Father's Name : Chawla (L) House No : 4 Age : 86 Sex : Male	15 EPIC No : HJC0001735 Name : Lalzami Husband's Name : Banthanga House No : 4 Age : 76 Sex : Female
16 EPIC No : HJC0001933 Name : Lalduhawma Father's Name : Banthanga House No : 4 Age : 45 Sex : Male	17 EPIC No : HJC0023564 Name : Daniala Father's Name : Banthanga House No : 4 Age : 30 Sex : Male	18 EPIC No : HJC0022673 Name : Lalnunmawia Father's Name : Huama House No : 5 Age : 39 Sex : Male
19 EPIC No : HJC0022574 Name : Hmangaihpari Husband's Name : Lalnunmawia House No : 5 Age : 35 Sex : Female	#20 EPIC No : HJC0003228 Name : Ramzauva Father's Name : Banthanga House No : 6 Age : 39 Sex : Male	#21 EPIC No : HJC0003129 Name : Fakzuali Husband's Name : Ramzauva House No : 6 Age : 37 Sex : Female
22 EPIC No : HJC0019471 Name : Lalsangluaia Father's Name : Khuanuna (L) House No : 7 Age : 86 Sex : Male DELETED	23 EPIC No : HJC0022632 Name : Sapmawia Father's Name : Lalsangzala House No : 7 Age : 46 Sex : Male DELETED	24 EPIC No : HJC0024042 Name : Ramhmingthangi Husband's Name : Sapmawia House No : 7 Age : 41 Sex : Female
25 EPIC No : HJC0004119 Name : Chuauthanpari Husband's Name : Laltanpuia Ralte House No : 7 Age : 23 Sex : Female	26 EPIC No : Name : Lalbiakdiki Father's Name : Sapmawia House No : 7 Age : 19 Sex : Female	27 EPIC No : Name : Laltanpuia Ralte Father's Name : Lallianthanga House No : 7 Age : 31 Sex : Male
28 EPIC No : HJC0000182 Name : Panawra Father's Name : Thata (L) House No : 8 Age : 74 Sex : Male	#29 EPIC No : HJC0003657 Name : Zothanpuii Husband's Name : L.Rama House No : 8 Age : 31 Sex : Female	30 EPIC No : HJC0019364 Name : Lalhnuna Pachuau Father's Name : L.Sangluaia House No : 9 Age : 44 Sex : Male

N.B. :- Age as on 01.01.2006 # - Corrected as per Supplement

पूरक का विवरण : पूरक संख्या : 2

निरंतर अद्यतन, 2013 अर्हता तिथि : 01.01.2013

मूल नामवली	:	मूल नामावली 2013, पूर्ववर्ती समस्त पूरक सूचियों को एकीकृत कर
पूरक प्रक्रिया तथा वर्ष	:	2013
पूरक का स्वरूप	:	संक्षिप्त पुनरीक्षण
प्रकाशन की तिथि	:	15.01.2013

घटक I - परिवर्धन सूची

अनुभाग : 1- सुईडांड, सुईडांड तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

515 -	516 -	517 -
निर्वाचक का नाम : सुलेखा	निर्वाचक का नाम : राम	निर्वाचक का नाम : सुनील कुमार
पिता का नाम : यशवंत	पिता का नाम : श्याम	पिता का नाम : अभयराम
गृह संख्या : 4	गृह संख्या : 15	गृह संख्या : 55
आयु : 20 वर्ष लिंग : महिला	आयु : 24 वर्ष लिंग : पुरूष	आयु : 20 वर्ष लिंग : पुरूष

परिवर्धनों की संख्या	पुरूष	महिला	कुल
	2	1	3

घटक II - निरसन सूची

अनुभान : 1- सुईडांड, सुईडांड तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

S 45 MP/11/083/150948	S 46 BDC0262170	S 50 BDC5532072
निर्वाचक का नाम : जयशरण	निर्वाचक का नाम: फुन्दी	निर्वाचक का नाम : गंगाप्रसाद
पिता का नाम : छोटी	पिता का नाम : जयशरण	पिता का नाम : जयपसिंह
गृह संख्या : 13	गृह संख्या : 13	गृह संख्या : 14
आयु : 34 वर्ष लिंग : पुरूष	आयु : 31वर्ष लिंग :महिला	आयु : 20 वर्ष लिंग : महिला

निरसनों की संख्या	पुरूष	महिला	कुल
	2	1	3

घटक III - निरसन सूची

अनुभान : 1- सुईडांड, सुईडांड तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

51 BDC6047187	50 BDC0262246	50 BDC6047062
निर्वाचक का नाम : सोनीया बाई	निर्वाचक का नाम: बुधवारिया बाई	निर्वाचक का नाम : मुन्नी
पिता का नाम : गंगाप्रसाद	पिता का नाम : रघुवीर	पिता का नाम : मिहीलाल
गृह संख्या : 14	गृह संख्या : 17	गृह संख्या : 27
आयु : 20 वर्ष लिंग : महिला	आयु : 49 वर्ष लिंग : महिला	आयु : 27 वर्ष लिंग : महिला

संशोधनों	पुरूष	महिला	कुल
की संख्या	0	3	3

निर्वाचकों का विवरण :

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक, नाम व आरक्षण स्थिति : 86 - कोतम (सामान्य) भाग संख्या : 1

(क) निर्वाचकों की संख्या :

	नामावली का प्रकार	नामावली की पहचान	निर्वाचकों की संख्या		
			पुरूष	महिला	कुल
I मूल	मूल नामावली	मूल नामावली 2013, पूर्ववर्ती समस्त पूरक सूचियों को एकीकृत कर	280	234	514
II परिवर्धन सूची	पूरक-1	पूरक सूची- 2013	2	1	3
		कुल :	2	1	3
III निरसन सूची	पूरक-1	पूरक सूची- 2013	2	1	3
		कुल :	2	1	3
निरंतर अद्यतन पुनरीक्षण, 2013 के बाद नामावली में निबल निर्वाचक (I+II+III)			280	234	514

(ख) संशोधनों की संख्या :

नामावली का प्रकार	नामावली की पहचान	संशोधन की संख्या
पूरक-1	संक्षिप्त पुनरीक्षण-2013	3
	कुल :	3

स्थान : कोतमा

दिनांक : 15.01.2013

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

विधान सभा क्षेत्र : 86-कोतमा (सामान्य)

मतदाता पर्ची

मतदाता रजिस्टर के कॉलम नं. (1) के

अनुसार मतदाता का सरल क्र.....

निर्वाचक नामावली के अनुसार

निर्वाचक का सरल क्रमांक.....

मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मतदाता पर्ची

मतदाता रजिस्टर के कॉलम नं. (1) के

अनुसार मतदाता का सरल क्र.....

निर्वाचक नामावली के अनुसार

निर्वाचक का सरल क्रमांक.....

मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर.....